राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3   **सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का अड़तालीसवां दिवस**   संख्या: 21

बुधवार,
19 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम। सबको होली की शुभकामनाएं। बिराजिये। आपको सबको हैप्पी होली।

प्रश्न। श्री रेवन्तराम डांगा।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: आप अभी तो प्रश्न पूछो। राम-राम हो गयी अपनी। इसके बाद करेंगे दिनभर।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): सबसे पहले होली की सभी को शुभकामनाएं। मेरे आदरणीय आदर्श बड़ों को प्रणाम। छोटों को राम-राम साहब।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो न।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): प्रश्न संख्या 420 ..(व्यवधान)..

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 420 ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: विराजो। संख्या जो है सो है। ..(व्यवधान).. माननीय मंत्रीजी, बोलें।

पांचौडी व हरसोलाव में महाविद्यालय की स्थापना

420. श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार नये राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खींवसर के पांचौड़ी व हरसोलाव में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) राजकीय महाविद्यालय खोलना राज्य सरकार की सतत प्रक्रिया है। बजट घोषणा/माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के माध्यम से प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोले जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के पांचौड़ी व हरसोलाव में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से इतना ही निवेदन है कि पांचौड़ी बहुत बड़ा कस्बा है और मरुस्थलीय भू-भाग है, आस-पास 30 किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। पांचौड़ी के सीनियर सैकण्डरी स्कूल में बच्चों की संख्या काफी है जिनको आगे की उच्च शिक्षा के लिये काफी दूर जाना पड़ता है, इसलिए माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि छात्र हित में पांचौड़ी में सरकारी कॉलेज खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्रश्न पूछो। यह आपकी डिमांड तो ठीक है। माननीय मंत्रीजी, कुछ कहना है?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में 6 राजकीय महाविद्यालय हैं और यह सभी 6 महाविद्यालय प्राइवेट महाविद्यालय हैं। अभी इनके गोटन और पांचाला में कॉलेज हैं और आपके हरसोलाव 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए यहां पर पर्याप्त महाविद्यालय हैं और ज्यादा दूरी पर आपका यह क्षेत्र नहीं है। फिर भी गुणावगुण के आधार पर और वित्तीय प्रबन्धन होने पर आपके यहां महाविद्यालय खोलना संभव होगा।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री छोटू सिंह। ...(व्यवधान).. अब मैं समझता हूं होली का रंग थोड़ा-सा उतार पर होगा।

वेयर हाउस धर्मकांटा व कोरियर को उद्योग का दर्जा

421. श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): (श्री प्रताप पुरी के स्थान पर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में वेयर हाऊस/गोदाम/लॉजिस्टिक/धर्मकांटा व कोरियर सेवाओं का होना भी आवश्यक है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेवाओं को उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। विश्नोई जी, आपको उत्तर देना है? बोलिये।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई): (1) प्रदेश में वर्तमान में रीको द्वारा कुल 425 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उक्त व अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक वाणिज्यिक सेवाओं का होना आवश्यक है।

राज्य सरकार विविध पहलुओं का अध्ययन कर विभिन्न आर्थिक-वाणिज्यिक गतिविधियों को उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित करती है।

राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के बिन्दु 5.3.6 के क्रम में राज्य सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 'लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' को उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित करने का विचार रखती है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के बिन्दु 5.3.6 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पोकरण एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर टेराकोटा नाम की मिट्टी का बहुत बड़ा हब है और वहां की मिट्टी इतनी प्रसिद्ध है कि वहां पर प्रजापत समाज उसके खिलौने भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं। क्या सरकार उन बर्तन और खिलौने बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा देने के लिये वहां की मिट्टी को आरक्षित करके उन लोगों को उस लीज की जगह को आरक्षित करके लैण्ड देना चाहती है और मिट्टी निकालने का विचार रखती है या नहीं? मेरा पहला क्वेश्चन यह है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पोकरण में जो मिट्टी उद्योग का सदस्य जिक्र कर रहे है कि यह पोकरण की पारम्परिक कुम्हार कला है और विशेष रूप से मिट्टी की जो प्रसिद्ध रेगिस्तानी संस्कृति है और प्राकृतिक संसाधनों का संयोजन करती है। पोकरण की मिट्टी से बनी पोटरी में प्राकृतिक और मृदु रंगों का इस्तेमाल होता है, जो इसे एक विशेष आकर्षण देता है। पोटरी साधारण, लेकिन आकर्षक डिजाइन में बनायी जाती है। जैसे बर्तन हैं, घड़े हैं, फूलदान हैं, सजावटी वस्तुएं हैं। इन पर स्थानीय ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: जो इन्होंने पूछा है, वह बताओ।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): इसमें कुम्हारों के लिये दो किस्तों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत, कुम्हारों के प्रोत्साहन के लिये राज्य सरकार के द्वारा बजट की घोषणा करके प्रधान मंत्रीजी की तरफ से 5 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर तीन लाख रुपये की जो मदद कुम्हारों के लिये की जाती थी, उसको माननीय भजन लाल जी ने राजस्थान की बजट घोषणा 2025-26 में बिन्दु संख्या 70 पर प्रदेश के माटीकला बोर्ड से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये, उनके उत्थान के लिये प्रारंभ की गयी योजना को वृहद रूप देते हुए आगामी वर्ष 2025-26 में 2 हजार इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंदने की मशीनें भी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा है। वर्ष 2024-25 में ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः इन्होंने जो पूछा है, पूछा क्या है?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उनके प्रोत्साहन के लिये पूछा है और उनके प्रोत्साहन के लिये ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न पूछो।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): मेरा क्वेश्चन यही है आपके माध्यम से, क्या उनको वहां जमीन देने की मंशा रखते हैं? मिट्टी ही नहीं निकालेंगे तो बर्तन कहां से बनेंगे, खिलौने कहां से बनेंगे? आदरणीय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनको आरक्षित लैण्ड वहां पर दी जाये।

श्री अध्यक्षः आप विराजिये, प्रश्न आ गया ध्यान में। इस लाइन का, कि जमीन उपलब्ध करायेंगे या नहीं, इसका उत्तर बताइये।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले के अन्दर अलग-अलग छह इंडस्ट्रियल एरिया पूरे क्षेत्र में हैं और पोकरण के अन्दर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया प्रस्तावित है। जमीन की उपलब्धता होने के बाद में इस दिशा के अन्दर विचार किया जाएगा, क्योंकि पोकरण के अन्दर जो अभी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर सभी जमीनों का आवंटन हो चुका है। जो नवीन प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अन्दर उस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। .(व्यवधान).. आपके दोनों पूरक प्रश्न हो गये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो वही क्वेश्चन है। आदरणीय, निवेदन यह है कि पोकरण के आस-पास किसानों के लिये खेती का एक विशेष कारण है। वहां किसी प्रकार का कोई वेयर हाउस नहीं है। क्या सरकार वहां वेयर हाउस बनाने की मंशा रखती है? यदि रखती है तो कब तक? और नहीं रखती तो क्यों नहीं?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा जैसाकि मैंने अभी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी का उत्तर भी दिया है, आने वाले समय में जो नया इंडस्ट्रियल एरिया प्रस्तावित है, उसमें यदि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये किसानों को ध्यान में रखते हुए वहां पर वेयर हाउस की कोई आवश्यकता ध्यान में लायी जाएगी तो उस दिशा में सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में उच्च जलाशय का निर्माण

422. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कपासन के भादसौड़ा व आकोला में पानी की टंकियां क्षतिग्रस्त होने के कारण तोड़ दी गयी हैं? यदि हां, तो उक्त टंकियों को तोड़ने के बाद उनके स्थान पर दूसरी टंकियों का पुनर्निर्माण नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त दोनों टंकियों का पुनर्निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पहुंना में उच्च जलाशय (टंकी) क्षतिग्रस्त होने के कारण जन हानि होने की संभावना है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी को ध्वस्त कर नवीन टंकी का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में विभाग द्वारा पेयजल योजना भादसौड़ा व आकोला के क्षतिग्रस्त उच्च जलाशयों को सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत क्रमशः माह जून, 2021 एवं अक्तूबर, 2023 में साइट से हटा दिया गया है।

उक्त क्षतिग्रस्त उच्च जलाशयों के स्थान पर ग्राम भादसौड़ा व आकोला में नवीन उच्च जलाशय क्षमता क्रमशः 150 किलोलीटर व 200 किलोलीटर के निर्माण की स्वीकृति जाखम बांध आधारित वृहद परियोजना के अंतर्गत जारी की गई है।

जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक दिनांक 30.05.2023 द्वारा राशि रुपये 3,645.56 करोड़ की जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्तमान में ग्राम भादसौड़ा एवं ग्राम आकोला में पम्प हाउसों से सीधे बूस्टिंग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार, ग्राम भादसौड़ा व आकोला में नवीन उच्च जलाशय क्षमता क्रमशः 150 किलोलीटर व 200 किलोलीटर के निर्माण की स्वीकृति जाखम बांध आधारित वृहद परियोजना के अंतर्गत जारी की जा चुकी है।

जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक दिनांक 30.05.2023 द्वारा राशि रुपये 3,645.56 करोड़ की जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

(3) ग्राम पहुंना में वर्तमान में 02 उच्च जलाशय क्षमता क्रमशः 100 किलोलीटर व 200 किलोलीटर कार्यरत हैं। 100 किलोलीटर क्षमता के उच्च जलाशय की सीढ़ियां व बालकनी क्षतिग्रस्त हैं, जिससे जनहानि की संभावना नहीं है।

उक्त उच्च जलाशय लगभग 50 वर्ष पुराना है, जिसके स्थान पर 150 किलोलीटर क्षमता के नवीन उच्च जलाशय के निर्माण की स्वीकृति जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना के अंतर्गत जारी की जा चुकी है। परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत उच्च जलाशय के निर्माण के उपरान्त वर्तमान में कार्यरत 100 किलोलीटर क्षमता के उच्च जलाशय को नियमानुसार साइट से हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

jyg/rtm/19.03.25/11.10/1b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने साफ-साफ कहा है कि 30.05.23 को इसकी स्वीकृति जारी कर दी, निविदा प्रक्रिया में है, दो साल हो गये, पता ही नहीं चला, क्या कारण रहे कि आकोला 2 लाख लीटर उच्च जलाशय, भादसौड़ा 1.5 लाख लीटर उच्च जलाशय, पहुंना 1 लाख लीटर उच्च जलाशय की स्वीकृति 30.05.23 को होने के बावजूद भी निविदाएं अब तक नहीं लगी है? क्या कारण रहे हैं निविदा नहीं लगने के और कब तक पुन: इसकी स्वीकृति जारी करके इन तीन टंकियों को वित्तीय स्वीकृति जारी करके, टेंडर जारी करके कब तक निर्माण पूर्ण हो जायेगा? इतना-सा निवेदन है, तीनों टंकियों का।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह काम काफी पहले हो जाना चाहिए था। मार्च 2024 तक जेजेएम में कम्पलीट करना था, आगे इसकी स्वीकृति अभी मिली है कि जेजेएम की तारीख मार्च, 2028 तक बढ़ायी है, हमने इसके टेंडर लगा दिये हैं और 26.03.2025 को इसकी बिड खोल रहे हैं। फिर भी इसमें चूंकि बड़ी, 3.5 करोड़ रुपये का टेंडर है, इसमें कॉन्ट्रेक्टर आते हैं या नहीं आते हैं, कई चीजें लेट हो गयी हैं, तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कल ही मैं इसके एस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार के मद से इन तीनों की सैंक्शन निकाल देंगे, तुरंत अप्रेल माह में इसके टेंडर करवाकर इसका काम चालू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और था। आपने आश्वासन दिया कि अप्रेल माह में ही इसके टेंडर जारी हो जायेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा निवेदन है कि जाखम परियोजना का बार-बार जिक्र हो रहा है और पिछली सरकार में जाखम परियोजना में कपासन विधान सभा क्षेत्र के 353 गांव थे सारे के सारे, उन सारे गांवों को जाखम परियोजना में जल जीवन मिशन परियोजना में लिया गया। अब तक वहां पर जमीनें आवंटित हो गयी टंकी बनाने के लिए लेकिन अब तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है? क्या यह जल जीवन मिशन की परियोजना धरातल पर उतरेगी, उतरेगी तो कब तक? इतना निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस मंशा से हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा के अनुरूप इसकी स्वीकृति 2028 तक बढ़ायी है, हंड्रेड परसेंट इसके टेंडर हम लगा रहे हैं और आने वाले जो भी इतने बड़े काम करने में साल भर, दो साल जो भी टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड में काम करवाकर कपासन विधान सभा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, लगभग 344 गांव हैं और 255 ढाणियों को हंड्रेड परसेंट जल जीवन मिशन से जोड़ेंगे, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पूरे

चित्तौड़गढ़ जिले को और प्रतापगढ़ को, पूरे कम्प्लीट जोड़ देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि टेंडर कब तक लग जायेंगे?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जब जेजेएम की डेट बंद हो गयी थी तो हमने हेम मॉडल पर इसके टेंडर लगा दिये थे। हम कहीं से, प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेकर इसको करेंगे बाकी अब हमें पैसा केन्द्र सरकार भी दे रही है, अगर उसमें नहीं आयेंगे तो इस योजना के तहत हम तुरंत काम चालू करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आ गया। हो गये, दो हो गये। ...(व्यवधान)... आपके सारे उत्तर दे दिये।

श्री प्रताप लाल।

गोगुन्दा की देवास परियोजना

423. श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में देवास परियोजना स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है?

(2) उक्त परियोजना के अब तक प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं? उक्त परियोजना अब कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

(जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत): (1) जी हां। विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा में देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना स्वीकृत है। परियोजना के निर्माण हेतु कार्यादेश दिये जा चुके है। वर्तमान में प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा भूमि सेट अपार्ट के आदेश किये जा चुके हैं एवं निजी भूमि अधिग्रहण हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 16 अंतर्गत पुनर्वासन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं अवार्ड जारी करने हेतु निजी सम्पतियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना के निर्माण हेतु कार्यादेश दिये जा चुके हैं तथा प्रक्रियाधीन वन भूमि प्रत्यावर्तन एवं निजी भूमि अधिग्रहण हेतु कार्यवाही पूर्ण होते ही कार्य प्रारम्भ करवाया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि तकनीकी स्वीकृति 21.06.2023 और निविदा जारी की है 04.07.2023, कार्य आदेश जारी किया है 07.10.2023 यानी कि चुनाव की घोषणा हुई थी 09.10.2023 को तो केवल चुनाव की दृष्टि से ही इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था? इतना लम्बा समय होने के बाद भी वर्तमान में इस परियोजना के कार्य अभी तक चालू क्यों नहीं हुए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हां, यह ठीक है कि पिछली सरकार में इसका चुनावी फायदा लेने का आनन-फानन में जब चुनाव सिर पर थे तब उन्होंने इसका टेंडर किया था, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी को उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया, इसका हमने शिलान्यास भी कर दिया। और इसमें जो समय लग रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 07.10.2023 को कार्य आदेश जारी कर दिये, निजी भूमि अधिग्रहण हेतु अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही कर प्रकाशन 11.03.2023 को हुआ, धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 12.06.2024 एवं 19.06.2024 को भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं पदेन उप खण्ड अधिकारी द्वारा सुनवायी की गयी, धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 01.08.2023 को सामाजिक समाघात रिपोर्ट हेतु कमेटी बनायी गयी, धारा 8 के अंतर्गत 03.09.2024 को सामाजिक समाघात रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया, धारा 11 का प्रकाशन 26.11.2024 को किया जा चुका है। धारा 16 के अंतर्गत मुआवजा हेतु जमीन, मकान, पेड़, कुएं आदि का सर्वेक्षण व नाप प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार वन भूमि प्रत्यर्पण में विभिन्न चरणों में समय लगने से कार्य में विलम्ब हो रहा है। वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में बांध व टनल साइड पर प्रवेश व निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है, अनुमति हेतु प्रकरण अग्रिम स्तर पर प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ पूछना है?

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या देवास परियोजना के बांध से स्थानीय लोगों के सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी की उपलब्धता कराये जाने का आप विचार रखते हैं? दूसरा है, क्या डूब क्षेत्र में निकट स्थित सरकारी भूमि का आवंटन डूब क्षेत्र में आ रहे काश्तकारों को भूमि के एवज में करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना में से स्थानीय निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग द्वारा डेड स्टोरेज के पानी का उपयोग करने हेतु अण्डर इसूल का प्रावधान रखा गया है तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल हेतु पानी की मांग किये जाने पर तद्नुसार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निवासियों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के लिए जल की मांग एवं उपलब्धता का गुणवत्ता के आधार पर आकलन कर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि डूब क्षेत्र में विस्थापितों को हो रहे परिवारों को जहां तक सम्भव हो सकेगा डूब क्षेत्र के

आसपास काश्तकारी भूमि पर भी पदस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अगर आपके ध्यान में कोई और सरकारी भूमि नजदीक उचित उपलब्ध हो तो आप बता दें, हम इस पर भी विचार कर लेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

उसी विधान सभा क्षेत्र का पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि पिछली सरकार की कमी की वजह से शुरू नहीं हो पाया। मेरा सीधा-सा प्रश्न है कि आपने खुद ही जवाब दिया है, हमारे समय में स्कीम सैंक्शन हो गयी, टेंडर हो गये, वर्क ऑर्डर हो गये, विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गयी, सारे काम हमारे समय में शुरू हो गये तो कमी कहां रह गयी, वो बता दो आप।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि अगर इनकी काम करने की मंशा होती तो समय पर लगाते, किसी पंडित जी ने तो कहा नहीं, ज्योतिषी ने तो कहा नहीं कि आप लास्ट में लगाओ तो फायदा होगा।

श्री अध्यक्षः चलो आगे। यह तो बहस हो जायेगी।

अगला प्रश्न। श्री लादु लाल पितलिया।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनजाति की बस्तियों हेतु बजट आवंटन

424. श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विगत पांच वर्षों में जनजाति बस्ती में मूलभूत सुविधाओं हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग के आदेश दिनांक 26.05.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत नान्दषा (जागीर), खाखरमाला, नाथडियावास, पालरा, पीथाखेडा, नाहरी, चावण्डिया, अडसीपुरा, भूणास, खाखला, भीटा, बागड, बारियापुरा एवं थला में विभिन्न विकास कार्यों हेतु जनजाति भागीदारी योजना अन्तर्गत प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी किन्तु वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त बजट आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) बजट का आवंटन विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किया जाकर अनुसूचित जनसंख्या, संसाधनों तथा बजट उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्र की सापेक्ष मांग को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति के लोगों को मूलभूत सुविधाओं द्वारा लाभान्वित किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र सहाडा में मूलभूत सुविधाओं हेतु विगत पांच वर्षों में स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभागीय आदेश दिनांक 26.05.2023 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध उक्त ग्राम पंचायतों में जनजाति भागीदारी योजनान्तर्गत विभागीय पत्रांक 29275-83 दिनांक 17.10.2024 द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य गांवों में विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्षेत्र की सापेक्ष आवश्यकता, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, संसाधनों तथा बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्यों को होली की राम-राम।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न संख्या 424 का जवाब मिल गया है और माननीय मंत्री महोदय, बाबूलाल खराड़ी जी के उत्तर से खुश हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद उनको। जय श्री राम। गो माता की जय।

श्री अध्यक्षः ठीक है। आगे।

श्री उदयलाल भडाणा।

गोड़ो का खेड़ा (माण्डल) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

425. श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डल के ग्राम पंचायत मंगरोप के ग्राम गोड़ों का खेड़ा में खसरा संख्या 4786/3847 चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा है? यदि हां, तो सरकार उक्त भूमि को कब तक अतिक्रमण से मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): (1) जी हां, यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डल की तहसील-हमीरगढ़ स्थित ग्राम पंचायत मंगरोप के राजस्व ग्राम गोडों का खेड़ा के खसरा संख्या 4786/3847 किस्म चरागाह भूमि पर गेहूं, मसूर व चने की काश्त की जाकर अतिक्रमण किया गया है।

उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार हमीरगढ़ के प्रकरण संख्या 93/2024 से 99/2024 दर्ज किया जाकर बेदखली आदेश दिनांक 10.03.2025 किये जा चुके है। उक्त आदेशों की अनुपालना में मौके से बेदखली कार्यवाही की जावेगी।

MLS/RTM/19.03.2025/11:20/1c

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे हजारों केस हमारे विधान सभा क्षेत्र में हैं। पूर्ववर्ती सरकार के जन प्रतिनिधि इसी विभाग के थे। उन्होंने अपने चहेतों को 50-50 बीघा जमीन पर कब्जा करा दिया। आपके विभाग के तहसीलदार, पटवारी जो हैं, उन्होंने कब्जा साबित करने के लिए 91 के नोटिस दिये, जिससे आम जनता परेशान है। जो मैंने प्रश्न लगाया था, उसके बाद 10.03.2025 को आपके अधिकारियों ने कार्यवाही की।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें आप।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): अब ये जो दोषी अधिकारी हैं, कब तक कब्जा हटा दिया जायेगा? केवल नोटिस ही दिया, कब्जा नहीं हटाया, मौके पर कब्जा है। कब तक हटा दिया जायेगा?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र माण्डल में सम्मिलित तहसील हमीरगढ़ की ग्राम पंचायत में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की जांच पटवार हलका मंगरोप से करायी जाकर अतिक्रमण पाये जाने पर पटवार हलका की रिपोर्ट के आधार अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली के आदेश दिनांक 10 मार्च को हो गये।

उक्त बेदखली आदेशानुसार पटवार हलका मंगरोप द्वारा दिनांक 12.03.2025 को मौका पर्चा तैयार किया जाकर मौके पर खड़ी फसल को कब्जेरात लिया जाकर आगामी 10 दिवस में नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् प्रकरणों में पैनल्टी/नीलामी राशि वसूली की जाकर राजकोष में जमा करा मौके पर अतिक्रमित भूमि को भैतिक रूप से अतिक्रमण मुक्त करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः कुछ पूछना है और? वैसे तो आ गया।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से थोड़ा और पूछना चाहूंगा, जो आपके विभाग के पटवारी, नायब तहसीलदार कब्जा कराकर नोटिस देते हैं और हटाते नहीं हैं, क्या सरकार उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के माध्यम से समय-समय पर अतिक्रमियों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही की जा रही है और माननीय एमएलए साहब से मैं यह कहना चाहता हूं, ऐसे अगर कोई भी मामले हैं, उनकी जांच करके जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री विनोद कुमार।

गोचर व ओरण भूमि का नियम विरुद्ध भू-परिवर्तन

426. श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट संख्या 1554/2004 में पारित निर्णयानुसार नदी, नाले, बहाव क्षेत्र, पार्क, सुविधा क्षेत्र, गोचर, ओरण, वॉटर कैचमेंट आदि क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक है? यदि हां तो रोक के पश्चात् विगत तीन वर्षों में किन-किन शहरों व गांवों में प्रतिबन्धित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य हित में उपरोक्त परिवर्तित भूमि से सम्बन्धित आदेशों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट संख्या-1554/2004 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 में बिन्दु संख्या-205 के उप बिन्दु संख्या-(v), (xi) एवं (xxxi) में ईको सेंसिटिव जोन/ईकोलॉजिकल जोन/हरित क्षेत्र व मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत खुला क्षेत्र, सामान्य सुविधाएं, खेल-मैदान, गार्डन, पार्क, रिक्रिएशनल एरिया एवं पहाड़, वन क्षेत्र, नदी, अन्य जलाशय व कैचमेंट क्षेत्र आदि क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्देश में गोचर, ओरण भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन को प्रतिबन्धित नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.2019 व 21.11.2019 द्वारा समस्त क्षेत्रफल के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का निर्णय राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के द्वारा ही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही, राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 में संशोधन हेतु जारी की गयी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 एवं 06.11.2024 में मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन कि पूर्ण शक्तियां राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को ही प्रदान की गयी हैं।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबन्धित भू-उपयोगों से राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा विगत 3 वर्षों में किसी भी नगरीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबन्धित उपयोगों से राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा विगत 3 वर्षों में किसी भी प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब प्राप्त हो गया है। मैं पूरक क्वेश्चन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः पूछिये।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनायी गयी है। इस कमेटी द्वारा 3 सालों में भू-उपयोग परिवर्तन की कोई भी स्वीकृति नहीं दी गयी है। इसके बावजूद पीलीबंगा नगरपालिका 13 पीबीएन के 85/73 पत्थर नं. 31/317 मुरबा नं. 45 किला नं. 1 ता 3, 8/1, 8/2, 9 ता 14, 16 ता 25 वेयरहाउस व गोदाम की जो जगह आरक्षित थी, उसकी जगह आवासीय कॉलोनी काट दी गयी। इसमें मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राज्य स्तरीय कमेटी के नियम के विरुद्ध जाकर अवासीय कॉलोनी काटी गयी, क्या गोदाम में वेयरहाउस की जगह आवासीय कॉलोनी काटी जा सकती है? यदि काटी जा सकती है तो इसका नियम बताएं। यदि नहीं काटी जा सकती, उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे और कब तक करेंगे?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत् सदन को और माननीय विधायक महोदय को बताना चाहूंगा, उनका प्रश्न था, क्या सरकार राज्य हित में उपरोक्त परिवर्तित भूमि से सम्बन्धित आदेशों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

यह इन्होंने जोधपुर उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में पूछा था। उसमें विभाग ने जवाब भेजा है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबन्धित उपयोगों से राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा विगत 3 वर्षों में किसी भी प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

कौन-से प्रकरणों में? जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट संख्या 1554/2004 में पारित निर्णय अनुसार नदी, नाले, बहाव क्षेत्र, पार्क, सुविधा क्षेत्र, गोचर, ओरण, वॉटर कैचमेंट आदि क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन के कोई प्रकरण अगर हमने किये हों, उसके सम्बन्ध में हमने इनको जवाब भेज दिया।

अब चूंकि भू-उपयोग परिवर्तन की जो हमारी कमेटी थी, उसने जो इनका प्रश्न था, भू-उपयोग प्रकरणों को छोड़कर, जिनमें राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना नहीं होती हो, ऐसे बहुत से प्रकरण समिति के समक्ष आये और उनमें उन्होंने भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की, जिनमें एक प्रकरण ईकोलॉजिकल जोन का था, जिसमें एक पर्यटन इकाई को दिया गया है, बाकी औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय, आवासीय से वाणिज्यिक, वाणिज्यिक से आवासीय जैसे प्रकरणों में दिया गया था।

कायदे से कोई भी कॉलोनी बिना स्वीकृति के नहीं काटी जा सकती है। अगर कोई गोदाम/वेयरहाउस से आवासीय भू-परिवर्तन हुआ है और माननीय विधायक महोदय के संज्ञान में अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण है, वे अवगत कराएंगे तो हम उसकी जांच करवा देंगे। जांच करवाने के बाद जो भी निष्कर्ष आयेगा, उसके अनुसार जो भी विधिक कार्यवाही होगी,

हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ बचा?

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा, अवगत तो मैंने करवा दिया, अब इसमें कब तक कार्यवाही करेंगे, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आपकी शिकायत प्राप्त होने पर एक माह में जांच करवाकर उसके खिलाफ कार्यवाही कर लेंगे।

प्रश्न संख्या 427

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मुकेश भाकर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, ठेकेदारों के खिलाफ है और माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। मुझे आशंका है, ठेकेदारों ने उनका अपहरण कर लिया होगा या कोई लोभ-लालच दे दिया होगा, आपको जांच करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में विद्युत कनेक्शन

428. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में विगत चार वर्षों में कितने कृषि एवं घरेलू बिजली कनेक्शन के कितने आवेदन प्राप्त हुए? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में किसानों द्वारा मांग राशि जमा कराने एवं विद्युत लाइन डालने के उपरान्त भी अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वंचित किसानों को कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में विगत चार वर्षों में बिजली कनेक्शन हेतु कृषि एवं घरेलू श्रेणी के प्राप्त आवेदनों का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मांग पत्र राशि जमा होने के उपरान्त उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एवं वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। घरेलू श्रेणी के दिनांक 28.02.2025 तक के जमा मांग पत्र आवेदकों में से 7 विवादित के अलावा सभी कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

(3) जी हां। जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एवं वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से हटाएं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सूचना देनी चाहिये। साधारणतया यह सब पक्षों के लिए है। कोई प्रश्न लगे, वह सदस्य उपस्थित रहे। यदि नहीं हो सकता तो किसी को ऑथोराइज कर दे, जैसे आज मैंने एक का किया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, यह पहला मौका नहीं है, कई बार सदस्य आते वक्त लेट हो जाते हैं, नहीं भी आ पाते, पर इस प्रकार का आप एलीगेशन नहीं लगा सकते।

श्री अध्यक्ष: चलिये। अगला प्रश्न।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं जांच की मांग कर रहा हूं, जांच करवा लें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। हो गया। ...(व्यवधान)... श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मुझे उत्तर मिल गया है। मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय सचेतक महोदय। आप भी बैठिये। दोनों बैठो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसको कार्यवाही से तो हटवाया जाये, जो आरोप ये लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, कार्यवाही देखूंगा मैं। शाम को देखूंगा।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि 2018 से लाडपुरा के अभी तक कितने कृषि विद्युत कनेक्शन ऐसे पैंडिंग हैं, जिनके डिमांड नोटिस जारी हो चुके हैं और क्या ऐसे कनेक्शनों की कोई समय-सीमा निर्धारित है, जिसमें आप कनेक्शन देते हैं। अगर ऐसा है तो इतने विलम्ब होने के कारण क्या आप ऐसी फर्म्स पर कोई कार्यवाही करेंगे और जो पैंडिंग कनेक्शन हैं, वे कब तक आप दे देंगे? यह मेरा पहला क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि आपने जो 2018 से 2022 तक जारी कनेक्शनों की पैंडेंसी के बारे में जो पूछा है, लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 2018 से 2022 तक के 833 मांग पत्र जारी किये गये हैं। इन मांग पत्रों में से जो 18 ऐसे मांग पत्र थे, जो विवादित हैं, आरओडब्ल्यू की वहां पर उपलब्धता नहीं है, ट्यूबवैल नहीं होने के कारण या कॉलोनी विकसित हो गयी हो,

mkd/rtm/19.03.2025/11:30/1d

जिस कारण उन पर कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं था। जो वैध कनेक्शन दिये जाने सम्भव थे वे 815 कनेक्शन हैं। उनमें से हमने 554 कनेक्शन जारी कर दिये हैं। जो पैंडिंग

कनेक्शन हैं वे कुल 279 हैं, उनमें से 231 कनेक्शन ऐसे हैं जो तत्काल कनेक्शन के हैं और 261 ऐसे कनेक्शन हैं, जिनमें अभी फसल खड़ी होने के कारण जारी किया जाना सम्भव नहीं था। हमारे पास उनको कनेक्शन देने के लिए सभी सामग्री उपलब्ध है। जैसे ही फसल कटेगी तो हम आने वाले समय में गर्मी व बरसात के पहले-पहले प्राथमिकता के आधार पर इन कनेक्शन धारकों को कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगे।

आपने फर्म के बारे में, जिसको टर्न-की पर काम दिया गया था, उसमें देरी होने के कारण पूछे हैं। उसके द्वारा समय पर कार्य नहीं करने के कारण उसे निलम्बित कर दिया गया है। उसकी धरोहर राशि बकाया थी, वह भी हमने जब्त कर ली है और नियमानुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

उसी की रिस्क एंड कॉस्ट पर ये कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। जो 2019 से अभी तक के पैंडिंग कनेक्शन हैं, वे 43 मांग पत्र हमारे पास आए थे, 31 पैंडिंग हैं, इन्हें भी हम फसल कटने के बाद तुरन्त जारी करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवा देंगे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने परिशिष्ट-अ में मुझे जवाब दिया है कि लगभग 836 घरेलू कनेक्शन अभी भी पैंडिंग हैं, तो ये कब तक जारी किये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): लाडपुरा क्षेत्र में जिनके 836 कनेक्शन घरेलू हैं, उन्हें जारी करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। जैसे-जैसे हमारे पास सामान की उपलब्धता होती है, वैसे ही हम जारी कर रहे हैं। इन्हें भी शीघ्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इन्हें अतिशीघ्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचन्द मीणा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई तय समय-सीमा तो बताओ?

श्री अध्यक्ष: बता दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई तय समय तो होगा, कुछ महीने में, दो महीने में, छह महीने में, कुछ तो कहें, ये क्या बात हुई? साहब, घरेलू कनेक्शन भी 836 पैंडिंग हैं और आप तारीख ही नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाओ। माननीय मंत्री जी, कुछ बतायेंगे।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि उक्त घरेलू कनेक्शन की जो श्रेणी है, उसमें 30 से 75 दिन में कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है। उसके अनुसार हम उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जारी किये जाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। यह जो सदस्या ने पूछा है, उनको भी जारी किया जाना सम्भव होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा। नो-नो, अब इन्होंने पूछ लिया। श्री गोपीचन्द मीणा।

उपखंड मुख्यालय जहाजपुर व कोटड़ी में बस स्टैंड का निर्माण

429. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर व कोटड़ी पर निगम के बस स्टैंडों के लिए भूमि एवं आधुनिक भवन का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों उपखण्ड मुख्यालयों पर बस स्टैंडों के लिए भूमि आवंटन व भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार कोटडी के पुराने बस स्टैंड के चौक में सी.सी. सड़क निर्माण व सुलभ शौचालय का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर एवं उपखण्ड मुख्यालय कोटडी पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व का कोई बस स्टैंड/भूमि उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य सरकार के बजट वर्ष 2025-26 में जहाजपुर भीलवाडा बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण सम्बन्धी घोषणा की गई है।

जहाजपुर में बस स्टैंड नगरपालिका के स्वामितत्व का एवं उपखण्ड मुख्यालय कोटडी में बस स्टैंड पंचायतीराज विभाग के स्वामित्व का है।

निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण उपखण्ड मुख्यालय कोटडी में बस स्टैंड हेतु भूमि आवंटन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) पंचायतीराज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कोटडी के पुराने बस स्टैंड के चौक में सी.सी. और सुलभ शौचालय निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं सीधे ही मेरा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चलिये, पूछिये।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजन लाल जी और उप मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछो।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): कोटड़ी, जहाजपुर में बस स्टैंड स्वीकृत कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा पहला प्रश्न है, जहाजपुर स्टैंड निर्माण हेतु आपने बजट में घोषणा कर दी, लेकिन हमारे पास वहां जमीन उपलब्ध है, आस-पास 100 किलोमीटर की दूरी पर वर्कशॉप नहीं है, भीलवाड़ा, कोटा और जयपुर जाना पड़ता है।

इसलिए, मेरा माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय जी से पहला प्रश्न निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार जहाजपुर उपखंड मुख्यालय पर वर्कशॉप खोलना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो

वर्कशॉप खोलने का है, तो वित्तीय स्थिति, प्रबन्ध सही होगा तो उसके बाद ही खोला जाना सम्भव है। बाकी अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेवाड़ और भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कोटड़ी, चारभुजा नाथ का मन्दिर है, वहां उपखंड मुख्यालय पर हजारों श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं। यात्रियों के लिए नवीन बस स्टैंड निर्माण करने, खोलने का विचार सरकार रखती है? नहीं तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अभी इनको बस स्टैंड दिया है और फिर भी जहाजपुर बस स्टैंड नगरपालिका के स्वामित्व का एवं उपखंड मुख्यालय कोटड़ी में बस स्टैंड पंचायत राज विभाग के स्वामित्व में है। जब भी वित्तीय प्रबन्ध सही होगा तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार किया जाना सम्भव होगा।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कंवरलाल।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वर्कशॉप के लिए तो वित्तीय संसाधन देखेंगे। डबल इंजन की सरकार है, वर्कशॉप के लिए। आप तो घोषणा कर दो, आपका सदस्य मांग रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हमारे पास अभी वर्कशॉप हैं। जितनी गाड़ियां हैं, उतने वर्कशॉप हैं।

प्रश्न संख्या 430

श्री अध्यक्ष: अभी हैं। श्री कंवरलाल। श्री कंवरलाल। क्या है?

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह प्रश्न सरकार के खिलाफ था, इसलिए कंवर लाल को... (..व्यवधान..)...

श्री अध्यक्ष: अब विराजो, हो गया। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न हो गया।

खण्डार में जल जीवन मिशन योजना

431. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार के कौन-कौन से गांवों को जल जीवन मिशन योजना में सम्मिलित किया गया है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना में किस-किस साइज की पाइपलाइन कितनी गहराई में डाली गई है एवं कौन-कौन से गांवों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार के सभी

252 आबाद ग्रामों को जल जीवन मिशन अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु बृहद परियोजनाओं/लघु योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जल जीवन मिशन के तहत विधान सभा क्षेत्र खण्डार में 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 एम.एम. तक की विभिन्न साइज की पाइपलाइन विभागीय मापदण्डानुसार भू-तल से सामान्यतः 90 सेन्टीमीटर मृदा कवर रखते हुए डाली गई है।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत 182 लघु योजनाओं में से 88 लघु योजनाओं के कार्य पूर्ण कर 91 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की जा चुकी है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्षः चलिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। 2020 के अन्दर केन्द्र सरकार ने जब योजना स्वीकृत की, उस समय खण्डार के अन्दर 252 गांव को लाभान्वित करने के लिए 182 स्कीम्स पास हुईं, उसमें से 91 का काम पूर्ण किया। 2023 तक 15 ठेकेदारों ने इन 91 स्कीमों पर काम किया। इनमें से एक भी योजना पर काम पूर्ण नहीं हुआ, कहीं पाइप लीकेज हैं, कहीं पाइप कम हैं तो मेजरमेंट ज्यादा है।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय स्पीकर महोदय, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। 2023 से पहले-पहले इन्होंने ठेकेदारों के बिल भी पास कर दिये। किस पॉलिटिकल आदमी के प्रेशर में बिना काम के इन लोगों ने बिल पास किये? जे.ईएन, ए.ईएन, एक्स.ईएन, एसई इन सभी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। किन ठेकेदारों के बिल पास हुए? जिनका काम कम्प्लीट नहीं है, उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): जो पाइपलाइंस हमारी अनकम्प्लीट हैं, उनके लिए नये पाइपलाइन स्वीकृत करके उनका काम पूर्ण कराना चाहिए।

श्री अध्यक्षः चाहिए नहीं, पूछो, क्या करेगी सरकार।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): क्या सरकार, माननीय मंत्री महोदय, नई पाइपलाइन स्वीकृत कर इसके काम को जल्द पूर्ण करायेंगे?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डार विधान सभा क्षेत्र में टोटल 252 गांव में से 195 गांव के ओटीएमपी स्कीम के तहत और 172 ढाणियों को जोड़ने का काम लगभग 182 टेंडर लगाये थे। उनमें से लगभग 91 गांव और 88 ढाणियों के काम हमने कम्प्लीट किये हैं। 35 हजार 570 कनेक्शन अभी तक जारी कर चुके हैं और शेष 82 योजनाओं के अन्तर्गत 92 गांवों की योजनाओं का कार्य प्रगति पर

है।

माननीय सदस्य ने अभी बताया कि जो योजनाएं आपने कम्प्लीट दिखाई हैं, इनके अन्दर कहीं पर पानी नहीं जा रहा है, कहीं पाइप लीकेज हैं, घटिया पाइप डाले हैं, कम डेफ्थ पर डाले हैं, वास्तव में यह प्रोब्लम सभी जगह पर आ रही है, क्योंकि काम की सही प्रोपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाए।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे विभाग से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर माननीय सदस्य के डायरेक्शन में इनको जो भी जांच होगी, वहां पर इनके जो भी नीचे आदमी हैं, उनको जांच में उनके साथ में लेते हुए पूरी जांच करेंगे। जो भी अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। कांट्रेक्टर ने अगर गलत भुगतान लिया है, उसकी रिकवरी करेंगे और उसको ब्लैक लिस्टेड करेंगे और दोबारा हमें काम करना पड़ेगा तो विभाग के स्तर पर नई पाइप लाइन भी डालेंगे, बाकी हंड्रेड परसेंट खण्डार विधान सभा क्षेत्र के हर व्यक्ति को, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी का एक मिशन है कि पानी मिलना चाहिए, हंड्रेड परसेंट 55 लीटर पानी देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला और पूछना है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ईसरदा योजना से मात्र 17 गांव जोड़े हैं, जबकि ईसरदा बांध चौथ का बरवाड़ा तहसील में आता है और चौथ का बरवाड़ा तहसील खण्डार विधान सभा क्षेत्र में आती है।

क्या मंत्री महोदय चौथ का बरवाड़ा तहसील के बाकी गांवों को भी इस योजना से जोड़ने की मंशा रखते हैं?

दूसरा, मेरे यहां पर जो नवीन हैंडपम्प और बोरिंग्स हैं, उनकी स्थिति ऐसी है, जो पिछली सरकार में लगे थे, जहां पर 200 फीट पाइप डालने का बिल उठाया गया, तो वहां पर पाइप मात्र 100 फीट ही डाला गया, उसकी भी अलग से एक जांच होनी चाहिए। इन्होंने जो घोटाले किये, वे घोटाले भी खुलें और राजस्थान के अन्दर विधान सभा क्षेत्र खण्डार की जनता को पानी मिले और चम्बल योजना से भी मेरे खण्डार तहसील को जोड़ने की क्या सरकार मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल 252 गांव में से एक 191 गांवों की तो ओटीएमपी पर स्कीम हो गई थी। इनके बाकी बचे हुए टोटल 57 गांव बचे थे, उसमें से 17 गांवों को तो ईसरदा, दौसा परियोजना से जोड़ रहे हैं। उसमें 39 ढाणियां भी हैं और बाकी 40 गांव चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल योजना इसकी भी हमने स्वीकृति जारी करा दी है और इसके टेंडर भी हम लगा रहे हैं। इन 57 गांव और 73 ढाणियां को आने वाले समय के अन्दर हम जोड़ लेंगे और इन 17 गांवों के टेंडर भी हमने खोल दिये हैं, बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर देंगे और 40 का भी हमने टेंडर लगा दिया है।

Bhs/Rtm/19.03.25/11.40/1e

रही बात इनके जो हैंडपम्प, ट्यूबवैल की जहां भी दिक्कत है उसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में भी घोषणा की है वास्तव में जहां-जहां दिक्कत है, और आप हमें लिख कर दे देना, जितने भी पुराने सोर्स हैं उनको भी हम ठीक करेंगे और जब तक यह पानी नहीं आयेगा तब तक उन पुराने सोर्सेज को ठीक करते हैं हम। हैंडपम्प, ट्यूबवैल जितनी भी संख्या में आप देंगे हम हंड्रेड परसेंट सैंक्शन करेंगे और पुराने जो डेप्थ कम है और इन्होंने भुगतान उठाया है उनकी भी हम जांच करा देंगे।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): मंत्री महोदय, चम्बल घड़ियाल योजना से खण्डार तहसील को जोड़ने के लिए मैंने निवेदन किया है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा करा लो, पानी की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष: पानी पर चर्चा हो गई थी, आप थे नहीं। डिमाण्ड्स में आ गई थी पानी की। अगला प्रश्न।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): खण्डार विधान सभा क्षेत्र के 252 गांवों को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। माननीय मंत्री जी, हो गया, दूसरा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। बैठो। नहीं। नो, अंकित। नो। माननीय सदस्य, यह प्रश्न काल है। श्री संदीप शर्मा।

ताकली बांध सिंचाई परियोजना से सिंचाई

432. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ताकली बांध सिंचाई परियोजना कब स्वीकृत हुई तथा इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ?उक्त की निर्माण अवधि क्या थी तथा कितनी लागत से उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना से कितनी नहरें निकाली गई हैं तथा उक्त से किस-किस गांव की, कितनी-कितनी भूमि सिंचित होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बांध का निर्माण पूर्ण होने के बाद भी किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? अब कब तक पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) ताकली बांध (तकली बांध) सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिनांक 19.07.2006 को, संशोधित स्वीकृति दिनांक 26.07.2011 को तथा पुन: संशोधन स्वीकृति दिनांक 14.12.2016 को जारी की गई थी।

बांध निर्माण हेतु कार्यादेश दिनांक 29.06.2007 को जारी किया गया तथा कार्य तीन वर्ष में पूर्ण किया जाना निर्धारित था, परन्तु डूब क्षेत्र में आ रहे सात गांवों के विस्थापन में समय लगने/विलम्ब के कारण कार्य की समयावधि दिनांक 13.11.2023 तक बिना शास्ति

के बढ़ाई गई। बांध निर्माण का कार्य दिनांक 05.06.2023 को पूर्ण किया गया।

नहरी तंत्र का निर्माण कार्य दिनांक 12.07.2018 को प्रारम्भ किया गया तथा वर्तमान में प्रगतिरत है। परियोजना पर अब तक राशि रुपये 275.05 करोड का व्यय किया जा चुका है।

(2) ताकली बांध (तकली बांध) में सीधे नहर से सिंचाई के स्थान पर दबाव आधारित पाइप युक्त जल वितरण प्रणाली पर आधारित है, जिसमें पाइप नेटवर्क के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी प्रस्तावित है। परियोजना से 33 गांवों की 7800 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है, ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) परियोजना अंतर्गत बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में पाईप युक्त वितरण प्रणाली का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है। किसानों को आगामी रबी फसल हेतु पानी दिया जाना प्रस्तावित है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हर प्रश्न पर उठ जाते हैं। प्रश्न काल इतना इम्पोर्टेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मंत्री जी का उत्तर प्राप्त हो चुका है, मैं पूरक प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): ..कि आपकी ताकली बांध सिंचाई परियोजना जो कि 2008 में प्रारम्भ हुई थी और अब जाकर आपके उत्तर में आया है कि यह रबी की फसल तक आप इसको पूर्ण करके दे देंगे और इसमें आपने जो कारण बताया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस विस्थापन में इतना विलम्ब हुआ, इस बांध का काम करने में पूरे पन्द्रह साल से भी अधिक लग गये क्या यह विस्थापन आपने पूर्ण कर लिया है यानी सभी विस्थापितों को पुनर्वार्सित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो ऐसे कितने लोग हैं और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है और इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

दूसरा प्रश्न पूछ लूं, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: पहले एक का उत्तर आ जाने दो फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेना। माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरान्त प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकार व पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में निर्मित आवास के स्थान पर प्रत्येक परिवार को 30X60 साइज का भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया है जिससे 7 गांवों के लगभग 1376 विस्थापितों को भूखण्ड आवंटित कर पुनर्स्थापित किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दबाव आधारित पाइप युक्त जल की जो वितरण प्रणाली है यह किस प्रकार काम करती है? यह नहरी तंत्र किस प्रकार बेहतर करेगी और इसके क्या लाभ मिलेंगे? और साथ ही यदि इस तकनीक के द्वारा यदि पाइप के अन्दर कोई मलबा या कोई काई या कोई रुकावट आ जाती है तो इसके व्यवधान को कैसे दूर करेंगे? और ऐसी कितनी परियोजनाएं और प्रस्तावित हैं?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सीधे नहर से फ्लो सिंचाई के माध्यम से जल उपलब्ध कराये जाने के स्थान पर दबाव आधारित पाइप नेटवर्क के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय कर वितरण प्रणाली हेतु दिनांक 12.07.2018 को कार्यादेश दिये जिसमें पूर्व में रबी सिंचाई हेतु प्रस्तावित 4,432 हेक्टेयर के स्थान पर 7,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा 31 के स्थान पर 33 गांवों में किसान लाभान्वित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मलबा और कोई कचरा आने की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताना चाहता हूं कि पानी को डिग्गी में आने के पश्चात पम्प से उठाया जायेगा जो कि काफी दबाव के साथ वितरित किया जाता है। साथ ही, पानी की डिग्गियों में समवेल के आगे जाली लगी होती है जिससे कचरा पाइप लाइन में जाने से पूर्व ही हट जाता है। इस परियोजना में प्रथम पांच वर्ष तक रखरखाव, ऑपरेशन संवेदक द्वारा ही किया जाता है। पांच वर्ष के बाद जल उपयोगिता संगमों द्वारा यह कार्य किया जाता है फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि फिर भी कोई मलबा और अगर कचरा उसमें घुस जायेगा तो दबाव से उसको हटा दिया जायेगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं, और भी हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। हो गया। दो प्रश्न हो गये। अब अगला प्रश्न पुकार लिया है। डॉ. दयाराम परमार।

राजस संघ में कार्यरत कार्मिक

433. डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में राजस संघ नाम की संस्था संचालित है? यदि हां, तो उक्त संस्था कब व क्यों बनाई गई तथा आदिवासी क्षेत्र के विकास में इस संस्थान की क्या भूमिका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थान में कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनमें से जनजाति वर्ग के कितने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर (राजस संघ) संचालित है। आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन

शीर्ष संस्था के रूप में 27 मार्च, 1976 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज., जयपुर से पंजीकृत करवा कर राजस संघ की स्थापना की गयी है। राजस संघ द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर आवंटित 4 विभिन्न जनजाति कल्याण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर में 1 अधिकारी व 16 कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से 4 कर्मचारी जनजाति वर्ग के कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके विभाग ने दो संस्थाएं रजिस्टर्ड करा रखी हैं और सरकार की जनजाति की जो भी कल्याण योजनाएं हैं वह उनके द्वारा आप सम्पादित कराते हैं जबकि आपके टी.ए.डी. विभाग के पास में राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं वो सब आपके पास में हैं, तो आप उनके माध्यम से क्यों नहीं कराना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल है कि आप राजस संघ से क्यों करा रहे हैं, बाकी विभाग भी हैं उनसे क्यों कराना नहीं चाहते? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस संघ रजिस्टर्ड हुआ था तो उसके उद्देश्य थे, उसके उद्देश्य भी मैं आपको बताना चाहता हूं।

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): मैं यह उद्देश्य नहीं... ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सुन लो, तो आपको पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक बार सुन लें, फिर आपका दूसरा प्रश्न हो तो आप कर लेना।

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं संस्थाओं के बारे में, दो संस्थाएं इनके पास में हैं, जो संस्थाएं विभाग स्वयं रजिस्टर्ड करवा करके उनके द्वारा सरकार के काम सम्पादित कराता है तो आपके पास ऑलरेडी पूरे विभाग हैं, जितने राजस्थान सरकार के विभाग हैं वो टी.ए.डी. विभाग के अण्डर में हैं, तो आप उनके माध्यम से कार्य क्यों नहीं करना चाहते? यह पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर सुन लीजिये।

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): हां, दो जवाब।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब संस्था बनी थी तो उनके उद्देश्य थे, वो काम हम करा रहे हैं। अब आप यह चाहते हैं इससे नहीं कराना है तो इसके पीछे मंशा क्या है, क्या आप चाहते हो कि इस राजस संघ को भंग कर दिया जाये? और भंग करने की आपकी मंशा है तो उसके भी कुछ नियम हैं वह मैं

आपको बताना चाहता हूं।

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): यह उत्तर है क्या?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हां, उत्तर वो ही है न। काम जो आप कराना चाहते हैं... ...(व्यवधान)...

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): नहीं-नहीं, मैं भंग कराने की बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सुन लो उत्तर फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ लेना।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब संस्था बनी थी तो उसमें यह उद्देश्य थे कि यह-यह काम करायेंगे, वो हम करा रहे हैं। अब आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाह रहे हो कि क्यों नहीं कराना चाहते हो, तो उद्देश्य हैं वो काम तो हम करा रहे हैं न और उसके बाद में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: या तो आप विराज जाओ या आप विराजो, एक जना बोले, या तो प्रश्न आये या उत्तर आये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं वो ही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको जो उत्तर देना हो, दीजिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस संघ को समाप्त करने की प्रक्रिया सहकारिता अधिनियम वर्णित है तथा संघ हेतु शक्तियां पंजीकृत सहकारी समितियों को हैं जो संघ को लेखों एवं अंकेक्षणों के आधार पर अथवा अन्य किसी कारणों के आधार पर कार्यवाही की जाती है। अब काम नहीं कराना या कराना आप यह चाहते हो कि इनसे मत कराओ। हम लोग चाहते हैं कि राजस संघ पिछले समय में हमारे जनजाति क्षेत्र में मत्स्य पालन, ...(व्यवधान)...

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): आपके पास मत्स्य विभाग है, आप मत्स्य का काम इनसे कराना चाहते हैं राजस संघ से तो आपके पास विभाग है तो उसका उपयोग कब करोगे?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उत्तर पूरा सुनो। जब मत्स्य पालन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसमें वो लोग बीज का उत्पादन करते हैं, फिर बीज जनजाति के जो मछुआरे हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है मांग के अनुसार और उनको मार्केट उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, जन जाति क्षेत्र में वन उपज जो हैं उनको पहले वन उपज जैसे फुंआर है, गोंद है, शहद है वहां से पैदा होने वाला है, इसको जो लोग इकट्ठा करते हैं उनको मार्केट उपलब्ध कराता था। अब आप चाहते हैं कि इससे नहीं कराना, तो हम देखेंगे कि यह काम नहीं कर रहा है तो इसका परीक्षण करायेंगे। परीक्षण कराने के बाद में इनसे कराना है कि नहीं करना है इस पर विचार किया जायेगा।

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब क्या दे रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि मेरा सवाल यह है कि आप दो

संस्थाएं, यह मां बाड़ी केन्द्र चलाते हैं आप स्वच्छ परियोजना के माध्यम से। यह मत्स्य का आप चलाते हैं राजस संघ से तो जो ऑलरेडी आपके पास सरकार के पूरे विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं और जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे काम नहीं करवा कर एक संस्था से काम करवा रहे हो, उस संस्था का आपको अता-पता ही नहीं है कि कैसे बालबाड़ियां मंजूर होती है, मां बाड़ी केन्द्र कैसे मंजूर होते हैं, कौन करता है, इसका विभाग से आप काम क्यों नहीं कराना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। आप नहीं। माननीय सदस्य, नो-नो। अंकित नहीं। मैंने दस बार कह रखा है उसके लिए मैं हूं। मैं हूं दूसरा कोई सदस्य प्रश्न पूछे तो, अभी सदस्य ही पूछ रहे हैं, सदस्य को नहीं रोकोगे। हो गया। माननीय मंत्री जी।

Kas/rtm/19.03.2025/11.50/1f

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता रहा हूं कि जो इनके उद्देश्य हैं, उसके हिसाब से हम काम करा रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि आप उनसे काम क्यों करा रहे हो, तो उनके उद्देश्य हैं, इसलिए हम काम करा रहे हैं। आप चाहते हो कि उनसे नहीं कराना चाहिये, तो मैंने आपको कहा है कि हम परीक्षण करायेंगे, क्योंकि राजसंघ वास्तव में कब से मृत सा पडा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है, हम चाहते हैं कि उसको पुनर्जीवित करें, यह हमारी मंशा है, इसलिए हम काम करा रहे हैं। मां बाड़ी का आपने कहा, तो मां बाड़ी का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री भागचन्द टांकडा।

बांदीकुई तहसील में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की स्थापना

434. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की तहसील बांदीकुई में अतिरिक्त जिला कलक्टर व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): दौसा जिले में दो अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय दौसा एवं लालसोट वर्तमान में संचालित है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की तहसील बांदीकुई में नवीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने सम्बंधी कोई भी प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है प्रदेश में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई हुई है, उस पॉलिसी के नियम क्या हैं और किस आधार पर यह खोले जाते हैं?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): ....(व्यवधान).... है पॉलिसी, किसने कहा नहीं है?

श्री अध्यक्षः आप तो इधर ध्यान दो, आप बोलो।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 (ग) (1) एवं धारा 260 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राजस्थान सरकार प्रदेश में नवीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का सृजन करने हेतु अधिकृत है।

जिला दौसा में 2 अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय दौसा, लालसोट वर्तमान में संचालित हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय दौसा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उप खण्ड दौसा, लवाण, बसवा, महुआ, सिकराय, नागल, राजावतान, मंडावर, सैंथल एवं बांदीकुई शामिल हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय लालसोट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उप खण्ड लालसोट एवं रामगढ़, पचवारा शामिल हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, क्या सरकार प्रदेश में जहां-जहां पर नगर विकास न्यास स्थापित हैं, उक्त सभी स्थानों की भांति बांदीकुई में भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्षः यह तो इसी में आ गया।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग में इस सम्बन्ध में कोई भी विचार विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री जीवाराम चौधरी।

सांचौर नगरपालिका द्वारा जारी पट्टे

435. श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर की नगरपालिका सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जारी पट्टों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिका में विगत पांच वर्षों में पट्टे किस आधार पर जारी किए गए? क्या सरकार नियम विरुद्ध जारी पट्टों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) नगर पालिका सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कुल 7006 पट्टे जारी किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. कृषि भूमि	3891
2, 69-क नियमन	2813
3. खांचा भूमि	0003
4. कच्ची बस्ती नियमन	0002
5. स्टेट ग्रांट एक्ट	0297

(2) उक्त नगर पालिका सांचौर में विगत पांच वर्षों में समय समय पर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत जारी किये गये परिपत्रों /आदेशों के आधार पर पट्टे जारी किये गये हैं।

विभिन्न शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर परिषद द्वारा जांच कर 13 पट्टों को निरस्त किया गया है। निरस्त पट्टों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया। मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि नगर परिषद् सांचोर में पिछली सरकार के कार्यकाल में सैकड़ों फर्जी पट्टे जारी हुए, जिसका किन शब्दों में मैं वर्णन करूं, वो शब्द नहीं मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो 12-13 स्पेसिफिक पट्टे इन्होंने कैंसिल किये हैं, जिसके लिये हमारे पार्षद हड़ताल पर बैठे हैं, खूब धरना-प्रदर्शन किया, उसके बाद इनकी सरकार ने 12-13 पट्टे दिखावे के रूप में कैंसिल किये। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे सैकड़ों पट्टे हैं, जो सरकार की जमीन थी और पिछली सरकार ने प्राइवेट आदमियों को लेन-देन करके वो जमीन आवंटित कर दी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, क्या पूछना है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): आप उसकी जांच करवा कर बाकी के जो इस प्रकार के पट्टे जारी किये हुए हैं, उनको निरस्त करोगे या नहीं करोगे? अगर करोगे, तो कब तक करोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। ....(व्यवधान).... आप तो विराजो, आपको क्या हो जाता है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को एवं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 2018-23 के काल खंड में नगर परिषद सांचोर में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 7006 पट्टे जारी किये गये थे। इन जारी किये गये 7006 पट्टों से 10,76,96,221 रुपये प्राप्त हुए थे। इनमें से कृषि भूमि के तहत कुल 3891 पट्टे, 69 (क) के अंतर्गत 2813 पट्टे, खांचा भूमि के 3 पट्टे, कच्ची बस्ती के 2 पट्टे और स्टेट ग्रांट के अंतर्गत 297 पट्टे जारी किये गये थे। इसमें कृषि भूमि के जारी पट्टों से 10,21,34,568 रुपये प्राप्त हुए। 69 (क) के अंतर्गत ....(व्यवधान)....

पहले सुन तो लो। आप सुन लो, आपके सारे जवाब आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब दिलवा रहे हैं। माननीय सदस्य, पहले जवाब सुन लो, फिर पूरक प्रश्न पूछ लेना। आप तो पट्टों की जांच की बात बता दो।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): खांचा भूमि के पट्टों से 2,01009 रुपये और कच्ची बस्ती के पट्टों से 1597 रुपये एवं स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जारी पट्टों से 4,45,797 रुपये प्राप्त हुए। विभिन्न प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जारी किये गये पट्टों में से 13 पट्टे निरस्त किये गये हैं। एक प्रार्थी गोकुल दास वैष्णव का परिवादित

क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को की गई शिकायत पर क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में निरस्त किया गया। श्री नारायण सिंह, किशोर कुमार एवं भभुता राम के तीन पट्टे ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः यह पूछ रहे हैं कि अन्य निरस्त करोगे कि नहीं?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): दर्ज प्रकरण की प्राथमिक जांच संख्या 9/2023 के आधार पर निरस्त किये गये हैं। वर्तमान में 3 पट्टों की मूल पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष प्रकरण में अनुसंधान में है। ....(व्यवधान).... आप बैठो, एक बार पूरा जवाब सुन लो। श्री पुरुषोत्तम पुरोहित के एक पट्टे को सहायक निदेशक सतर्कता स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 18.3.2024 को दिये गये निर्देशों की पालना में पट्टे की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए निरस्त किया गया है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अन्यों की जांच कराओगे कि नहीं?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): चूंकि कुछ प्रकरणों में न्यायालय का स्थगन आदेश है ....(व्यवधान)....

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रहा हूं महिला बाल विकास विभाग को आवंटित जमीन पर भी पिछली सरकार ने पट्टे दे दिये, उसको खारिज करोगे या नहीं करोगे, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जिन-जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है, वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक-एक की जांच करवा कर जो विधि विरुद्ध पाये गये, उन सबको निरस्त किया जायेगा और अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके काल खंड में किये गये सारे कार्यों की जांच कराने की जो घोषणा की गई है, उसमें यह जांच भी शामिल होगी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय मंत्री जी, यह कब तक कर दोगे? मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, कब तक कर दोगे?

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मंत्री जी खड़े हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): बिना जांच कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। आपके पास विशेष रूप से अगर कोई शिकायत है, वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए, उस शिकायत की जांच करवा कर, शिकायत में जो भी अनियमितता पाई जायेगी, उनके पट्टे भी निरस्त होंगे और जिसने गलत पट्टे जारी किये हैं, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, महिला विकास विभाग की जमीन की शिकायत का मैंने आपके माध्यम से निवेदन कर दिया ना।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। जी अजय सिंह।

नागौर व डीडवाना में सौभाग्य योजना में कनेक्शन

436. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या सरकार नागौर एवं डीडवाना जिले में ढाणियों में निवास करने वाले किसानों एवं मजदूरों को सौभाग्य योजना के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): जी नहीं। नागौर एवं डीडवाना जिलों सहित प्रदेश में सौभाग्य योजना दिनांक 15.03.2022 को समाप्त हो चुकी है।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि नागौर जिले का सर्वे जनवरी, 2024 में हो चुका है, जिसमें 12,800 हाउस होल्ड्स ढाणियां हैं, जिनमें बिजली नहीं है। मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यह है कि आप इनमें कब तक बिजली लगा दोगे? यदि योजना समाप्त हो गई है, तो कोई दूसरी योजना चालू करें या केन्द्र सरकार से शुरू करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024 तक जो सर्वे आये हैं, सर्वे के आधार पर 12,820 जो घरेलू उपभोक्ता हैं, वो चिह्नित कर लिये गये हैं। हम इनकी डीपीआर बना रहे हैं, डीपीआर बनाकर केन्द्र को भेजना प्रस्तावित है। केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन वंचित कनेक्शनों को जारी किया जाना संभव हो पायेगा।

Msk/rtm/19.03.25/1200/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से गतका खेल को विद्यालयों की खेल प्रतियोगिताओं में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

2. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने के संबंध में।

3. श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना देने वाले पर हमला होने के संबंध में।

4. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज तय मानकों से ज्यादा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से चूरू जिले की गोचर भूमि में कटानी मार्ग

नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में आमजन का एन.बी.एफ.सी. कम्पनियों द्वारा किये जा रहे शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के बोरखेड़ी गांव में वन विभाग द्वारा फसल नष्ट किये जाने से सदमे के कारण किसान की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

9. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं राजस्थानी लोक संगीत की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से सुजानगढ़ में स्वीकृति के उपरान्त भी स्टेडियम का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री टीकाराम जूली, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में श्रमिक की मृत्यु का क्लेम समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. ऋतु बनावत, श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), श्री टीकाराम जूली, एवं श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ के संगम महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में।

2. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग ऐप, सट्टे आदि के चंगुल से बचाये जाने के संबंध में।

3. श्री छगनसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा नवीन बालिका विद्यालय खोले जाने के संबंध में।

4. श्री उदयलाल डांगी, सदस्य की ओर से बेड़च नदी का सौन्दर्यीकरण कर विकसित किये जाने के संबंध में।

5. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में भूमि एकीकरण में री-फिटिंग की समस्या का स्थायी समाधान किये जाने के संबंध में।

6. श्री राम सहाय वर्मा (रेगर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के देवधाम जोधपुरिया के लक्खी मेले में आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में।

7. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं

को प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में।

8. श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में।

9. श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मीठोड़ा में पूर्व जनप्रतिनिधि की हत्या की जांच में विलम्ब के संबंध में।

10. श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से बारां जिला मुख्यालय पर खेल अकादमी की स्थापना किये जाने के संबंध में।

11. श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर के हिरणमगरी स्थित सैटेलाइट अस्पताल का विस्तार किये जाने के संबंध में।

12. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले में खान धारकों को पर्यावरणीय स्वीकृति अविलम्ब जारी कराये जाने के संबंध में।

13. श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अंता के सीसवाली स्थित कृषि उपज मण्डी का संचालन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

14. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

15. श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के लघु सीमान्त किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 19/03/2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 33 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	मा. विधायक का नाम	संपादित विषय
1.	श्री केसाराम चौधरी	मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र एवं जिला पाली में जल जीवन मिशन के तहत पाइन लाइन बिछाए बगैर फर्जी भुगतान उठाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2.	श्री डूंगरराम गेदर	सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानो को खातेदारी अधिकार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3.	श्री भागचन्द टांकड़ा	महाराष्ट्र, आंधप्रदेश व मध्यप्रदेश राज्य की तर्ज पर बांदीकुई में राज्य द्वारा वित्तपोषित सावित्री बाई फूले राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में।
4.	श्री संदीप शर्मा	कोटा में स्मार्ट सिटी मिशन के अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने के संबंध में।

डॉ. ऋतु बनावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं राजस्थानी लोक संगीत की उपेक्षा

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर भारत की पहचान की बात करें तो भारत की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चार चीजों से होती है। वे हैं, भारतीय संस्कृति, भारत का शास्त्रीय संगीत, भारत का योग और कुशल एवं सशक्त नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी। मैं यह कहना चाहूंगी कि भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधताओं और परम्पराओं के कारण विश्व के पटल पर अपनी विशेष पहचान रखता है। कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता में भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और संगीत कला इसी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। संगीत कला हमारी अमूल्य धरोहर है। इसके प्रचार-प्रसार हेतु संगीत नाटक एकेडमी, विभिन्न सांस्कृतिक केन्द्रों, विभिन्न समारोहों के आयोजनों, भिन्न-भिन्न योजनाओं, छात्रवृत्तियों के माध्यम से संगीत विषय को विद्यालयों और महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में स्थापित कर भारतीय संगीत की परम्परा को गति दी गयी। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसने गुरु-शिष्य परम्परा का एक साकार रूप अभी भी जीवन्त रखा हुआ है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चूंकि मैं पारिवारिक और सामाजिक रूप से संगीत से जुड़ी हुई हूं तो मैं यह कहना चाहूंगी कि संगीत को वैकल्पिक विषयों में मैंने पढ़ा भी है। उदयपुर के स्वर्गीय पंडित चतुरलाल जी, तबलावादक, पंडित राम नारायण जी सारंगी वादक, पंडित देवगंधर जी शास्त्रीय गायक, उदयपुर के डागुर बंधु ध्रुपद गायक, पुरुषोत्तम दास रखावत जी आदि अनेक कलाकारों ने भारतीय संगीत के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट, विषय आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट हो गये।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): मैं यह कहना चाहती हूं कि जैसे ईश्वर ने हमें कंठ के रूप में सुर दिया है, लय के रूप में धड़कन दी है। उसी प्रकार हमारे वैकल्पिक विषय के रूप में भारतीय शास्त्रीय संगीत चल रहा है। वहां पर आज हम साइंस के क्षेत्र में देखें तो लैब असिस्टेंट हैं। लेकिन लगातार देखने में आ रहा है, मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ी हूं। एमजी कालेज, उदयपुर। संभाग का सबसे बड़ा कालेज होने के बाद भी 12 साल हो गये हैं, अभी तबलावादक नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: ध्यान आ गया। श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)

डा. ऋतु बनावत (बयाना): साथ ही, दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा केन्द्र होने के बाद भी वहां पर बहुत सारे विद्यालयों में भी संगीतकार नहीं है। मेरा कहना यही है कि संगीत को जीवन्त रखने के लिए, शास्त्रीय संगीत को जीवन्त रखने के लिए आप तबलावादक की पोस्टिंग करें।

श्री अध्यक्ष: हो गया, अंकित नहीं हो रहा है। इतना थोड़े ही होता हे।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): 000

सुजानगढ़ में स्वीकृति उपरान्त भी स्टेडियम निर्माण का अभाव

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले सुजानगढ़ में बजट घोषणा में स्टेडियम की घोषणा हुई, युवाओं की बहुत बड़ी मांग थी। उस मांग पर सुजानगढ़ में स्टेडियम बनाने और खेल मैदान बनाने की घोषणा हुई। उसके बाद सरकार आज तक उसकी जमीन उपलब्ध नहीं करा पायी। 4 हैक्टेयर जमीन की जो खेल विभाग ने मांग रखी, उसके लिए बजट भी पी डब्ल्यू डी को सरकार ने आवंटित कर दिया। फिर सुजानगढ़ का जो सिंघी परिवार, जो भामाशाह परिवार है, वह आगे आया।

mdp/rtm/19.03.25/12:10/1h

परंतु विडम्बना है कि आज तक खेल विभाग ने उस जमीन का कब्जा अपने पास नहीं लिया है और न ही कोई निर्माण करने की बात आगे बढ़ाई है। न ही अपनी तरफ से जमीन की कोई पहल की है। युवाओं में बहुत बड़ी निराशा है कि दो साल होने के आये हैं। बजट उसका पीडब्ल्यूडी के पास आया हुआ है, परंतु खेल विभाग बिलकुल भी रुचि नहीं दिखा रहा है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि स्टेडियम को बनाये।

वहीं दूसरी ओर, जो पुरानी जगह शहर के बीच में एन.के.लोहिया स्टेडियम, जिसकी जमीन भामाशाहों ने दी थी और जिसमें खेल वृत्तियां होनी चाहिए थीं, परंतु विड़म्बना यह है कि नगर परिषद उसको समय-समय पर लगातार व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किराये पर दे देता है। महज 5-7 हजार रुपये के लिए उस जमीन को मेला लगाने के लिए, स्टॉल्स लगाने के लिए या इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रेंट पर दे देता है और खेल गतिविधियां रुक जाती हैं। युवाओं में बहुत बड़ी नाराजगी है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि एन.के.लोहिया स्टेडियम को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए देना बंद करे और जल्दी से जल्दी जो सिंघी परिवार ने जमीन दी है, उस पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराए, जिसका बजट आया हुआ है या अन्य कोई जमीन कोई आपके पास है, तो वहाँ बना दें, लेकिन शहर के अन्दर या नजदीक होनी चाहिए। इसलिए तुरंत इसको बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

प्रदेश में बजरी का अवैध खनन व परिवहन

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद जो आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आये दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार, गहरी सांस लेकर कुम्भकर्णी नींद के अन्दर सो रही है। मैं समझता हूं कि

इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सी बी आई का सहयोग नहीं कर रहे हो और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता है तो सी आर पी एफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ...(व्यवधान)...

यह इस सरकार का आचरण है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... आपके समय में..

श्री अध्यक्षः आप विराजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम नहीं कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि इसी सरकार के ...(व्यवधान)... केबिनेट मंत्री..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप विराजिए। ...(व्यवधान)... इतने मंत्री बैठे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना एक करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री, इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सी आई को को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं, निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर आवाज उठा चुके हैं कि हमारे यहां पर अवैध खनन हो रहा है। आप कब जागोगे? मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में, गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भरतपुर और डीग के अंदर खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस कुम्भकर्णी सरकार को जगाओ। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, इस कुम्भकर्णी सरकार को जगाओ। जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है।

श्री अध्यक्षः अगला। श्री मनोज कुमार, सादुलपुर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार..

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। फिर आगे से नहीं दूंगा। ...(व्यवधान)...ऐसे करेंगे तो आगे से स्थगन नहीं दूंगा। बैठिए। हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जनता ...(व्यवधान)... जानना चाहती है।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

सादुलपुर में श्रमिक के मृत्यु क्लेम की अप्रदायगी

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान का बहुत गंभीर विषय है। ...(व्यवधान)...श्रमिक, अंतिम छोर का व्यक्ति, जो राजस्थान की सरकार में हिताधिकारी की

सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना मृत्यु में सहायता योजना 2014...

श्री अध्यक्षः सदन चलने दीजिए। ...(व्यवधान)... नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): श्रमिक की मौत हो जाती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन श्रमिकों के साथ अंतिम छोर पर इतना बड़ा अन्याय व जुल्म मैंने कहीं नहीं देखा। सरकार में ...(व्यवधान)... हिताधिकारी

बहिर्गमन

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः इसके बाद आपको देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना में, इस योजना में ये राजस्थान प्रदेश का बहुत बड़ा विषय है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे कि श्रमिक की डैथ के बाद दो-दो वर्ष हो गये हैं, (समय समाप्ति सूचक घंटी) उनका क्लेम स्वीकृत होने के बाद, ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, बोल ही नहीं पाया।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, कुछ बोलेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट। राजस्थान में जिस तरीके से... बाद में बोलूं इनके? मेरी बात तो बोलूं। राजस्थान प्रदेश में करोड़ों श्रमिक हैं, जिनकी दो वर्ष से एफ डी आर नहीं होने के कारण श्रमिक को ब्याज नहीं मिलता और श्रमिक की एफ डी नहीं होने से दो-दो साल से लोग वंचित हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। आ गया आपका।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): शुभ-शक्ति योजना सरकार ने बंद कर दी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में इतिहास लिखेंगे, तब ये लिखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। विधान सभा की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से संचालित की जा रही है। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और कोई कारण नहीं, कोई आधार नहीं, कोई मुद्दा नहीं और कांग्रेस को सुनना पसंद नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस एक दूसरे को इशारे में कि आज मेरे साथ कितने बाहर निकलते हैं और दूसरे के साथ कितने बाहर निकलते हैं। इसलिए हम कांग्रेस के नेचर की घोर निंदा करते हैं कि बिना किसी आधार के वह सदन से वाकआउट कर गए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी का खनन होता था। पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे। स्वयं ...(व्यवधान).... बना दिये गये थे, वह हम पर आरोप लगा रहे हैं। अपने घर में झांक कर देखें। कांच के मकान में रहने वाले पत्थर

नहीं फेंक सकते ...(व्यवधान).... हम इनकी निंदा करते हैं।

श्री अध्यक्षः आप सब विराजिए। ...(व्यवधान).... नहीं बोलेंगे। चुपचाप बैठिए। अगला। 295, श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात रह गयी थी।

श्री अध्यक्षः हो गयी थी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्षः एक मिनट में बोलिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान प्रदेश के श्रमिकों का बहुत बड़ा मुद्दा है। दो वर्ष से पूरे राजस्थान के मजदूरों की एफ डी आर नहीं हो रही है। उनको शुभशक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, श्रमिक विभाग लूट का अड्डा बन चुका है। सरकार इस बात का जवाब दे। राजस्थान में आपके वोट का अगर सबसे बड़ा साधन है तो वह श्रमिक व्यक्ति है और उसकी एफ डी आर नहीं हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपने इनका जवाब दिया है। श्रमिक का जवाब दीजिए, जो राजस्थान प्रदेश में लाखों श्रमिक एफ डी आर, दो साल से इंतजार कर रहे हैं। या तो सरकार ब्याज दे, नहीं तो उनकी एफ डी आर समय पर करवाकर श्रमिक को लाभान्वित करने का काम करे। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्षः श्री चन्द्रभान सिंह। नहीं, अब कुछ नहीं। आप उस समय बोल लिए। चन्द्रभान सिंह। डा. शिखा मील। माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हम नहीं थे।

श्री अध्यक्षः आप वाकआउट करेंगे तो उनको स्वतंत्रता है बोलने की। जो जवाब देना था, दे दिया ...(व्यवधान).... अब नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी में हिम्मत है तो सामने जवाब देकर दिखाए ...(व्यवधान)... हम देखें कि क्या जवाब दिया है।

श्री अध्यक्षः शिखा मील। माननीय सदस्य, बैठिए। शिखा मील, बोलिए।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार..

श्री अध्यक्षः एक सेकण्ड। श्री अशोक कुमार कोठारी। नहीं, स्थगन वाला ध्यान से रह गया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

युवाओं को जकड़ता ऑनलाइन गेमिंग एप व सट्टा

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव ऑनलाइन गेमिंग एप, सट्टे और सूदखोरों के कारण बर्बाद होती युवा पीढ़ी को बचाने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा पीढ़ी शीघ्र करोड़पति बनने के लालच में ऑनलाइन गेमिंग एप, सट्टे व सूदखोरों के मकड़जाल में फंस कर बर्बाद हो रही है। इंफ्लूएन्सर द्वारा सोशल मीडिया पर युवाओं को गेमिंग एप से करोड़पति बनने का लालच देकर, उनको भ्रमित किया जा रहा है। इस भंवरजाल में युवा ऐसा फंस जाता है कि सूदखोरों द्वारा शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर समाज में बदनामी के डर से युवा पीढ़ी अवसादग्रस्त होकर अपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है और कई युवाओं द्वारा तो आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी जा रही है।

सट्टेबाजी अधिनियम 1867 के तहत सट्टेबाजी अवैध है. लेकिन ऑनलाइन गेमिंग को इस अधिनियम के दायरे से बाहर माना जाता है। ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी में व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम राज्य सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग को सट्टेबाजी घोषित किया जावे व ऐप के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा कानून के माध्यम से सुनिश्चित की जावे। प्रदेश में ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सरों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, जो ऐसी ऐप का प्रचार-प्रसार कर रहे है और प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम गठित की जाये जो विशेष तौर पर ऑनलाइन गेमिंग एप व सट्टे में उपयोग में लिये जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर नजर रखे।

Ans/rtm 12.20 1j 19.03.2025

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहोर में विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा नवीन बालिका विद्यालय की स्थापना

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र आहोर के निम्न विद्यालयों को क्रमोन्नत करने व नवीन बालिका विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर निम्न विद्यालयों को क्रमोन्नत करने व नवीन बालिका विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की कृपा कराये, क्योंकि ये निम्न विद्यालय वर्तमान मांपदण्ड पूरे कर रहे हैं, साथ ही इनकी आवश्यकता देखते हुए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो इस प्रकार है-

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुडतरा, मिठडी, सेलडी, रसियावास खुर्द, सुमेरगढ़ खेडा, बागुन्दा, बिजली को उच्च माध्यमिक विद्यालय में एवं गोविन्दला, देवगढ, गोविंदपुर व कुण्डली (नोरवा) को राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये।

2.चांदराईय, गुडाबालोतान, हरजी, भाद्राजून एवं उम्मेदपुर में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता है।

3. गांव बागरा, नौसरा व भवरानी में नवीन राजकीय बालिका विद्यालय एवं सियाणा में

राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय खोला जाये।

4.निम्न विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने हेतुः-

रा.उ.प्रा.वि. पंचानवा, भागली पुरोहितान, मण्डला, (बालिका) पांचोटा तथा रा.उ.मा.वि. थांवला, ओडवाडा, मेडा उपरला, कंवला, सनवाडा, सांडन, पादरली, देलदरी, बोकडा, चुण्डा, सराणा, अजीतपुरा, मालगढ, शंखवाली, छीपरवाडा, जोडा व किशनगढ में कक्षा-कक्ष निर्माण एवं आहोर विधान सभा की जर्जर विद्यालयों का मरम्मत कार्य किया जाये, ताकि छात्र-छात्राओं को पढ़ने में सुविधा प्राप्त हो सके।

अतः श्रीमान जी निवेदन है कि उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने व नवीन बालिका विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों में कक्षा-कक्षों को बनाने का श्रम करायें।

श्री अध्यक्षः श्री उदयलाल डांगी।

बेड़च नदी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में बेड़च नदी स्थित है, जिसका उद्गम स्थल उदयसागर बांध है। यह नदी वल्लभनगर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, और इस नदी के आस-पास में कई गांव बसे हुए हैं। बेड़च नदी की कुल लंबाई लगभग 27 किलोमीटर है और यह नदी उदयसागर बांध से निकलकर, सरजणा बांध से आगे बडगांव बांध को जोड़ती हुई आगे बढ़ती है।

विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की संजीवनी कही जाने वाली प्रमुख बेड़च नदी आज अतिक्रमण, प्रदुषण, गंदगी, एवं विभाग की लापरवाही में पड़ी हुई है। आज इस नदी का सौंदर्यीकरण व विकास कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): लेकिन दुर्भाग्य से यह नदी कई समस्याओं से ग्रस्त है। बेड़च नदी का अधिकांश भाग झाड़ियों और कांटेदार पेड़ों से घिरा हुआ है, जिससे इस नदी में पेंथरों और जंगली जानवरों की संख्या बढ़ गयी है एवं क्षेत्र में पेंथरों के दिखाई देने की घटनाएं आम हो गई हैं।

अतः श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बेड़च नदी में झाडियों की साफ सफाई का कार्य करवाने व बेड़च नदी का सौन्दर्यीकरण कर इसे विकसित करवाने की कृपा कराये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री संजीव कुमार।

भादरा में भूमि एकीकरण में री-फिटिंग की समस्या का समाधान

श्री संजीव कुमार (भादरा): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत भादरा विधान सभा क्षेत्र में 1959 से चल रही री-फिटिंग की समस्या का समाधान करवाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि तहसील भादरा के कुल 24 चकों/ग्रामों

में री-फिटिंग की समस्या भूमि एकीकरण वर्ष 1959 से पूर्ण होने के समय से बकाया है। भूमि एकीकरण की कार्यवाही के दौरान काश्तकारों की भूमि एकीकृत कर दी गयी थी तथा राजस्व रिकार्ड एकीकृत भूमि के अनुसार तैयार कर दिया गया था, परन्तु तैयार अभिलेख के अनुसार काश्तकारों को कब्जा नहीं दिया गया था। काश्तकार भूमि एकीकरण की कार्यवाही से पूर्व जिस कदर क़ाबिज़ थे अब भी उसी जगह क़ाबिज़ है। इस प्रकार काश्तकारों के मौक़े पर कब्जे व जमाबन्दी के इन्द्राज में अन्तर है, जिसमें 15,171.061 हैक्टेयर रकबा तथा 2,759 काश्तकार प्रभावित है। इस भूमि में से कुल 390.08 बीघा भूमि सिवाय चक दर्ज है, जिस पर 133 काश्तकार क़ाबिज़ है। भूमि एकीकरण के समय इन ग्रामों/चकों की भूमि का एकीकरण बीच में अधूरा रह गया था। परिणामस्वरूप री-फिटिंग की नौबत आ गयी है।

अतः इन 24 ग्रामों/चकों में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मौक़े पर सर्वे करवाया जाकर, वर्तमान में मौका अनुसार रिकार्ड तैयार करवा कर उक्त 1959 से चली आ रही री-फिटिंग की समस्या का स्थायी समाधान करवाये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामसहाय वर्मा। (अनुपस्थित) श्री मनीष यादव।

सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में अधिकांश राज्य अपने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने हेतु या तो कोटा निर्धारित कर चुके हैं या राज्य विशेष के सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ाकर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। परंतु राजस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं में इस प्रकार की नीति न होने के कारण बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं जिससे प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते।

महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक अत्यंत कठिन प्रदेश है, जहां के युवा विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे प्रदेश के युवाओं को राजस्थान की भर्तियों का समुचित लाभ मिल सके।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि तय नियमों का अनुसरण करते हुए राजस्थान की विभिन्न सरकारी भर्तियों विशेषकर, ग्रेड-2, ग्रेड-3, चतुर्थ श्रेणी तथा सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु आवश्यक नियम एवं प्रावधान निर्धारित किए जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

महवा में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों की पूर्णता

श्री राजेन्द्र (महवा): अध्यक्ष महोदय, होली के महापर्व पर आपको प्रणाम, सदन को भी

प्रणाम।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा की बहुत ही महत्त्वपूर्ण योजना "जल जीवन मिशन योजना" की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त योजना में पूर्व में हो रही अनियमितताओं के कारण वहां के काम रोक दिए गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव वहां निवास कर रहे लोगों एवं अन्य जीवों पर हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में पानी की विकट समस्या है और वहां के लोगों और मवेशियों को पानी के लिए दर दर भटकने जैसी हालत हो रही है। वहां के आमजन टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर हो रहे हैं।

महोदय विगत सरकार ने वहां "हर घर नल से जल" की जगह "चहेते लोगों के घर नल से जल" की योजना अपना रखी थी, जिससे आम लोगों को उक्त योजना से दूर रहना पड़ा है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से माननीय PHED मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा की जनभावनाओं को देखते हुए वहां उक्त योजनाओं के बंद और स्वीकृत पड़े कार्यों को पुनः चालू करवाने की कृपा करें। साथ ही जिन घरों तक 'नल से जल' नहीं पहुंचा उन्हें चिन्हित कर उक्त योजना से जोड़ने की कृपा करें जिससे वहां के लोगों को पानी मिल सके।

श्री अध्यक्षः सबका पूरा हो सके।

श्री राजेन्द्र (महवा): साथ ही देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र जी मोदी का हर घर नल से जल का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना के मीठोडा में पूर्व जनप्रतिनिधि की हत्या की जांच में विलम्ब

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, होली के महापर्व पर आपको प्रणाम, सदन को भी प्रणाम।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सबंधी नियम-295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का गाँव मीठोडा जिसमे श्री आम सिंह पूर्व उप प्रधान, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला परिषद् सदस्य की दिनांक 26 जून 2023 को रात में जघन्य हत्या हो जाती है जिसको लेकर तत्कालीन समय में ही सिवाना पुलिस थाने में प्रकरण-176/2023 दिनांक 27 जून 2023 को दर्ज हुआ, तभी से लेकर आज दिन तक किसी भी प्रकार का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

VPS-RTM-19.03.2025-12.30-1k

क्षेत्र में जाने माने आदमी की हत्या हो जाना और अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा जाना, क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से दहशत का माहौल है आमजन का सरकार और पुलिस प्रशासन से जो विश्वास है वह कम करने में भी कई प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं हालांकि पुलिस द्वारा लम्बे समय तक अन्वेषण भी किया गया है, सामाजिक रूप से भी क्षेत्र

में कई प्रकार के ज्ञापन द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवाया जा चुका है।

मेरे क्षेत्र में लोग किसानी काम को लेकर अधिकतर खेतों में ही निवास करते हैं जो अपनी-अपनी ढाणी बनाकर रहते हैं। लोग इस प्रकार की घटना से डरे हुए हैं। मुझे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सैकड़ों लोगों द्वारा अवगत करवाया जाता है। मैं इस क्षेत्र में आमजन की समस्या निवारण के लिए जाने पर एक ही समस्या सामने आती है मात्र आम सिंह हत्या कांड।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और राजस्थान सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त हत्याकांड की पत्रावली अवलोकन के साथ विशेष जाँच दल गठित करवाकर जघन्य हत्याकांड खुलवाने के साथ अपराधियों को सजा के साथ आमजन में विश्वास कायम करवाने का श्रम कराएं। धन्यवाद, जय हिंद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री राधेश्याम बैरवा।

बारां जिला मुख्यालय पर खेल अकादमी की स्थापना

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां मे खेल एकेडमी खोलने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बारां एक जिला मुख्यालय है। यहां पर सम्पूर्ण जिले से खिलाडियों का आना होता हैं परंतु यहां पर खेल एकेडमी नहीं होने की स्थिति में खिलाडियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। समय पर खिलाडियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण खिलाडियों को काफी निराशा का सामना करना पड़ता हैं। साथ ही खिलाडियों को अन्य जिलों में प्रशिक्षण हेतु जाने को विवश होना पड़ता है। जिससे उनका समय एवं धन दोनों व्यय होता है।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा युवा मामले एवं खेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि बारां मुख्यालय पर खेल एकेडमी खोलने की कृपा करें, ताकि स्थानीय खिलाडियों को समय रहते प्रशिक्षण की प्राप्ति हो सके। जय हिंद। जय भारत।

श्री अध्यक्षः श्री फूल सिंह मीणा। (अनुपस्थित)

श्री बाबूसिंह राठौड़। (अनुपस्थित)

श्री कंवरलाल। (अनुपस्थित)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, सत्ता पक्ष के एम.एल.ए. किसी दबाव से नहीं आ रहे क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः 295 में तो कोई दबाव होता नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सचेतक महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन पर कोई दबाव है क्या? आप नई परिपाटी मत डालो। ...(व्यवधान)... नई परिपाटी मत डालो, बैठ जाओ आप। हां, इनको तो बैठाओ। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विराजो। दोनों एक दूसरे को उत्तर देते रहोगे तो ...(व्यवधान)... इसमें कोई

दबाव 295 में नहीं होता, स्थगन में तो होता है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें भी नहीं होता, साहब। पर यह अब आपके तीन-तीन गायब हैं, बताओ।

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हमारे कोई गायब नहीं हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कहां हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप पीछे झांक कर देखें तो कृपया, आपको पता लगेगा कि पीछे कितने गायब हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, जिन सदस्यों के अध्यक्षजी नाम बोल रहे हैं, वे सदस्य मौजूद नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप तो अपने पीछे झांक कर देखें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो अकेला ही काफी हूं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके पीछे वाली लाइन गायब हो रही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो अकेला ही काफी हूं आप सबके लिए। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बाहर से कोई इशारा मिल रहा है इसलिए उठ-उठकर जा रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजो। श्री अर्जुन लाल। माननीय, दोनों आप विराजो। दोनों की दोस्ती अच्छी है। ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, होली की राम-राम। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वह ही कर रहा हूं आगे। आपकी मध्यस्थता में। ...(व्यवधान)...

बिलाड़ा में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व के विशेष उल्लेख बाबत।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत वर्ष में हुई अतिवृष्टि के कारण एवं ओलवी तालाब/एनिकट, रामपुरिया तालाब/एनिकट, रामासनी तालाब, खारी कला/खारी खुर्द तालाब, पालासनी देवलिया तालाब के ओवलफ्लो एवं इनकी पाल क्षतिग्रस्त होने के कारण आस-पास के गांवों में यथा- ओलवी, पीथासनी, पालासनी, गोलिया, बिरामी, भंटिडा इन गांवों के समस्त खेतों में पानी की डूब में आने के कारण किसानों के द्वारा बोई गई खरीफ की फसल को भारी हानि हुई है। पूरे क्षेत्र में लगभग सभी किसानों की फसल चौपट हो चुकी है तथा आस-पास के गांवों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कें एवं इन पर बनी पुलियाएं भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जिससे ग्रामीणों का आवागमन दूभर हो चुका है।

अतिवृष्टि के कारण उक्त गांवों के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के कई गांवों की ग्रामीण सड़कें एवं पुलियाएं, तालाबों एवं एनिकट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इनकी

मरम्मत करवाना भी अत्यावश्यक है। सरकार से मेरी मांग है कि उपरोक्त गांवों में अतिवृष्टि के कारण ग्रामीणों के आवास/भवन क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए हैं उनका मौका मुआयना एवं सर्वे कर दिया गया है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर को सूची प्रस्तुत कर दी गई है अतः राज्य सरकार से मांग है कि उनको आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दिलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना के लघु सीमांत किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना ग्रामीण क्षेत्र में बसी हुई है जिसमें 90 प्रतिशत लोग खेती/किसानी पर ही निर्भर हैं। आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि किसान को समय पर पानी, समय पर बिजली एवं मंडियों में आवागमन के लिए सड़कों की महती आवश्यकता है। अधिकतर किसानों के पास जमीन का रकबा बहुत कम है। लघु सीमांत कृषक हैं जिनसे उनका जीवन यापन ही नहीं हो पाता है। लघु सीमांत कृषकों को राज्य सरकार की विशेष योजनाओं का लाभ दिया जावे एवं समय पर बिजली पानी एवं सिचाई के लिए जल उपलब्ध मोहनपुरा डैम (मध्य प्रदेश) से दिलवाया जावे। साथ ही, स्थानीय उपज को अच्छा मूल्य मिल सके इसके लिए राज्य सरकार को कृषि उपज सम्बन्धित उद्योग लगाकर किसानों को लाभ दिलाया जावे। साथ ही, किसानों को सहकारी बैकों एवं केडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर किसानों का ध्यान रखा जाए। फसल बीमा एवं पूर्व बकाया बीमा राशि को शीघ्र जारी करवाया जावे। जिससे कृषि विभाग द्वारा और बीमा कम्पनी द्वारा क्रोप कटिंग करके किसानों को फायदा दिलाया जावे। बीमा क्लेम के लिए टोल फ्री नम्बर पर बात करते हैं तो नम्बर बंद आते हैं या मिलते ही नही हैं। कोई स्थाई समाधान के लिए ऑफ लाईन व्यवस्था तहसील मुख्यालय पर किसानों को उपलब्ध करवाई जाए तथा कृषि संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए व तार बंदी, पाइप लाईन, फार्म पौंड आदि योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जाए ताकि किसानों को इन योजनाओं से उचित लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मारवाड़ जंक्शन व पाली जिले में जल जीवन मिशन के तहत फर्जी भुगतान

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके समक्ष पर्ची के माध्यम से एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाना चाह रहा हूं जिसमें हमारी केन्द्र की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल पहुंचाने की जो महती योजना बनाई थी, उस योजना में अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से तथा पूर्ववर्ती सरकार की मिलीभगत से किस तरह से यह गड़बड़ घोटाला किया गया, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्रवण कुमारजी, धीरे बोलिये। आपकी आवाज यहां तक आ रही है। ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 125 करोड़ की मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत पाली जिले में रानी के 68 गांव, देसूरी के 78 गांव व बाली के 78 गांव, 224 गांवों को, 123 ढाणियों को हर घर जल के लिए, पाइप लाइन बिछाने की योजना स्वीकृत हुई थी, उसमें तीन वर्ष पूर्व दो फर्मों को ठेका मिला और दो फर्मों ने ठेका लेकर उन अफसरों की मिलीभगत से बिना पाइप लाइन बिछाये ही करोड़ों रुपये का भुगतान उठा लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाई क्लस्टर 4 प्रोजेक्ट के तहत कई गांवों में 16000 मीटर से ज्यादा लम्बी पाइप लाइनें बिछाई ही नहीं गयीं और फर्जी भुगतान उठा लिया गया। ऐसा ही डायलाना क्लस्टर में पम्प हाउस से जंक्शन तक 10 एम.एम. की, 250 एम.एम. की डी.आई. 6920 मीटर लम्बी पाइप लाइन का भुगतान किया गया मगर मौके पर पाइप लाइन ही नहीं मिली। इसी तरह से दांतीवाड़ा क्लस्टर में 6 से 12 सोलंकियान, 150 एम.एम. की 3890 मीटर लम्बी पाइप लाइन की भुगतान राशि कर दी गयी पर मौके पर पाइप लाइन ही नहीं है और भुगतान उठा लिया गया। इसी तरह से गांव घनेराव में, घनेराव जंक्शन से घनेरा ई.एस.आर. तक 150 एम.एम. की 1459 मीटर लम्बी पाइप लाइन बिछानी थी मगर हमारी सरकार ने जांच करवायी तो मौके पर पाइप लाइन का नामोनिशान ही नहीं था।

Ssy/Rtm/19.03.25/12.40/1I

इसी तरह से खिवाड़ा में सिवास तक डीआई पाइप लाइन बिछानी थी, मगर वह भी नहीं थी और जब उनको मालूम पड़ गया कि यहां पर पाइप लाइन नहीं है तो इन्होंने रातों-रात दीपावली के एक दिन पहले पूरी रात में पाइप लाइन डालकर के दिखाया कि हमने पाइप लाइन डाल दी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसी तरह से मारवाड़ जंक्शन के 130 गांवों में रेगुलर ठेकेदार थे और 53 ठेकेदारों ने इसमें काम किया। मगर पूरी योजनाओं को चौपट कर दिया, कई ठेकेदार तो भाग गये, पाइप लाइनें बाहर पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने घोटाला किया है।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर। माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी-पूरी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

सूरतगढ़ में किसानों को खातेदारी अधिकार की प्रदायगी

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। पर्ची के माध्यम से आपका और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ तहसील के सैकड़ों किसान 1955 के पूर्व के गैर खातेदार हैं। 70 से 75 वर्ष बीत गये, 2 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन किसानों को खातेदारी नहीं मिल रही है। किसान तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, फाइल बनाने में, फाइल पूरी करने के नाम पर लाखों रुपए ठगा चुके हैं।

नहरी चकबंदी क्षेत्र के काश्तकारों ने समस्त किश्त की राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दी। मूल आवंटन की पत्रावली रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है, जिससे खातेदारी नहीं दी जा रही है। डी कॉलोनी एरिया के आराजी, जो काश्त किसान आवंटी हैं, जो टीसी आवंटी हैं, जो पिछले 40-50 सालों से जमीन जोत रहे हैं, ट्यूबवेल बना रखे हैं, खेत में ढाणी बनाकर के बैठे हैं, लेकिन खातेदारी जारी नहीं की जा रही है। रंग महल, अमरपुरा, नांगलिया, मालेर, कुंभगढ़िया आदि काफी क्षेत्र के जो किसान हैं, वह पेराफेरी की 8 किलोमीटर की परिधि से बाहर होने के बावजूद भी खातेदारी से वंचित हैं। सूरतगढ़ पेराफेरी क्षेत्र के अंदर खातेदारी जारी की गई, लेकिन जांच के नाम पर काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है। बिरानी गांवों के अंदर लगभग 15 चक प्लान बनाए जा चुके हैं, लेकिन लागू नहीं किए जा रहे हैं।

अतः आप से निवेदन है कि सूरतगढ़ क्षेत्र के डी कॉलोनी, कॉलोनी, 55 पूर्व, टीसी आवंटी किसानों को जल्दी से जल्दी खातेदारी देने के आदेश फरमाये जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भागचंद टांकड़ा।

बांदीकुई में सावित्री बाई फूले राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया।

भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले का महिला शिक्षा में योगदान को संपूर्ण देश की आबादी भुला नहीं सकती, किंतु संपूर्ण भारत की तरह राजस्थान में भी महिला शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में अभी कम है। भारत के उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की उच्च दर की तुलना में राजस्थान अभी भी पीछे है और महिलाओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में बहुत पीछे है। इसके पीछे अपने सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखने के लिए उत्तरदायी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र जिला दौसा में जहाँ अब तक कोई भी विश्वविद्यालय स्तर का संस्थान नहीं है और साथ ही यहां पर सड़क ट्रेन की कनेक्टिविटी भी उत्तम श्रेणी की है। अतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की तर्ज पर बांदीकुई में राज्य द्वारा वित्त पोषित राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय माँ सावित्री बाई फूले के नाम से स्थापित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा में स्मार्ट सिटी मिशन के अधूरे कार्य की पूर्णता

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जो विकसित देशों की तरह भारत के शहरों को भी उस श्रेणी में लाने की योजना थी, इसमें लगभग 1.64 लाख करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहर हमारे भारत में भी हों, इसकी ओर लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी की यह महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन पिछले 5 साल तक इस योजना के मूल स्वरूप को बिगाड़ने के अलावा इसमें जिस तरीके का कार्य है, जो प्रस्तावित थे उनको तो हटा दिया गया और मनमर्जी के काम किए गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चयनित योजना में जयपुर, कोटा, अजमेर इसके अंदर कई कार्य अभी लंबित हैं, जो अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मॉनिटरिंग के अभाव में अभी तक अटके हुए हैं। केंद्र सरकार ने 2 बार ग्रांट देकर इसकी समय अवधि को बढ़ाया है, परंतु केंद्र सरकार ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि यह समय सीमा समाप्त होने के बाद, 31 मार्च के बाद इसकी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष जी, अभी तो बोलना चालू किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, कोटा में इस योजना के पैसे का ऐसा दुरुपयोग किया गया, योजना के कार्यों को समयबद्ध संपन्न करने के बजाय सजावटी बिजली के खंभे, जो अभी भी बंद पड़ी हुई लाइटें हैं, जो स्मार्ट सिटी का पैसा था उनका बुरी तरीके से दुरुपयोग हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्मार्ट शहर आपके यहाँ भी है अजमेर का, इसमें विधायको को सदस्य के रूप में भी आमंत्रित नहीं करते हैं, ना उनके कोई सुझाव लिए जाते हैं और अब चूंकि यह राशि समाप्त होने वाली है, मनमर्जी से सपने साकार करने के लिए इस पैसे का कोटा में दुरुपयोग हुआ है, वह तो आपको मैं बताना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पुन: फिर भविष्य में ऐसी योजनाएं आयेंगी, यह बहुत गंभीर विषय है इसलिए आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आ गया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इन पैसों का दुरुपयोग हुआ है, स्मार्ट शहर का और इसकी जो भी देनदारियां हैं, लगभग 272 करोड़ रुपये, जो हमारे प्रदेश में भी जो अन्य शहर हैं, उसके स्मार्ट शहरों के अंदर यह देनदारियां हमारी राज्य सरकार को देनी पड़ेंगी।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसलिए 31 मार्च तक यह काम पूरे किए जायें और जितने भी कामों में अनियमितता हुई हैं, उनकी जांच भी करवाई जाए। मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराये गये कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री बालमुकुंदाचार्य। केवल ध्यानाकर्षित करिये। उत्तर के बाद फिर बोलना।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। ध्यानाकर्षण।

श्री अध्यक्ष: आप बताइये ना क्या है? जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, 4 लाइनें तो पढ़ोगे ना। ध्यानाकर्षण किस पर कर रहे हो?

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी अंतर्गत किये गये कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: ठीक। मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन कर कुल 152 चिह्नित किये गये थे, जिनकी स्वीकृति जारी की गई थी, उनमें से 143 काम पूरे हो चुके हैं, 9 प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन हैं, 01 शिकायत इनके सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी।

स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड केंद्र एवं राज्य के सहयोग से अनुदानित एक स्पेशल पर्पज वीइकल है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: रुपये 500-500 करोड़ है। स्मार्ट सिटी मिशन में केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये, राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये एवं नगर निगम तथा जे डी ए द्वारा 100-100 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल 1000 करोड़ रुपये की राशि की हिस्सेदारी है।

भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मार्च, 16 में गठित जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार स्वीकृत सभी कार्यों को स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तकनीकी अधिकारियों, तकनीकी सलाहकार संस्था के विशेषज्ञ अभियंताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण, तकनीकी मापदंडों अनुसार कराये जाते हुए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों यथा आइआइटी, एमएनआइटी जयपुर एवं अन्य एनएबीएल स्वीकृत प्रयोगशालाओं से जांच कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा गणगौरी बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के भवन निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। चिकित्सालय निर्माण कार्यों में अनियमितता के सम्बन्ध में माननीय विधायक हवा महल विधान सभा क्षेत्र के माध्यम से दिनांक 04.05.2024 को शिकायत प्राप्त हुई, जिसके क्रम में संपूर्ण गुणवत्ता जांच सम्बन्धी दस्तावेज जिसमें तृतीय पक्ष निरीक्षण, एमएनआईटी जांच रिपोर्ट एवं विभिन्न प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट सहित माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, माननीय विधायक महोदय के कार्यालय

को भिजवाते हुए नोडल एजेंसी रूडसिको को भिजवाई जा चुकी है।

अन्य संदर्भित सभी निर्माण कार्यों के क्रम में स्थिति है कि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राशि रुपए 800 करोड़ के कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सक्षम स्वीकृति उपरांत नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ, गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए जन उपयोगी कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिनमें से कई कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

spp/Rtm/19.03.25/12.50/1m

समय-समय पर कार्य की प्रगति के दौरान निर्माण कार्यों की तकनीकी सलाहकार संस्था से जांच कराते हुए स्मार्ट सिटी के तकनीकी एवं सक्षम अधिकारियों की जांच के साथ तृतीय पक्ष द्वारा भी निरीक्षण करवाये जाने के उपरांत अन्य संस्थाओं, जिसके तहत राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालय IIT RURKI और MNIT JAIPUR एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं से जांच रिपोर्ट, इसके अतिरिक्त कार्यों की साइट पर उपस्थित प्रयोगशाला तथा जयपुर में स्थापित NABL क्रियेटेड प्रयोगशाला द्वारा भी कार्यों में उपयोग ली गयी सामग्री की जांच करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रयोगशालाओं तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण से संतोषप्रद परिणाम प्राप्त होने के उपरांत सक्षम जांच एवं नियमानुसार ही कार्यों का भुगतान किया गया है। वस्तुतः जैसाकि माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव में यह अपेक्षा की गयी है और इसके अनुरूप राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालय एम.एन.आई.टी. जयपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने के बावजूद अतिरिक्त शिकायतों की जांच के क्रम में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 24वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार चिकित्सालय भवन की गुणवत्ता जांच हेतु मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर को पत्र दिनांक 29.01.25 एवं स्मरण पत्र दिनांक 17.03.25 के द्वारा लिखा जा चुका है। जांच रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। तदनुसार प्राप्त रिपोर्ट एवं निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग का यह मानना है कि जब IIT RURKI और MNIT JAIPUR द्वारा जांच की जा चुकी है, जो हमसे ज्यादा विशेषज्ञता रखती है तो हमारी जांच का औचित्य नहीं बनता है। फिर भी हमने उनको दुबारा स्मरण पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि आप भी एक बार इसकी जांच करके जांच रिपोर्ट भेजें और जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही सम्पादित कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जयपुर शहर आध्यात्मिक नगरी भी है और पर्यटन का केन्द्र भी है और जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का लगभग 800 करोड़ रुपये का कार्य पिछले कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, मैं जो जांच हुई है, उससे भी संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने मौके पर जाकर खुद ने भी सैम्पल उठाये थे

और अन्य किसी को भी दिखाये थे और उन्होंने खुद ने यह कहा था कि आप इसकी जांच कराइये, सौ प्रतिशत गड़बड़ है।

गणगौरी अस्पताल की बात करते हैं, उसकी एक मंजिल तो बारिश में नीचे दब ही गयी थी और अनगिनत अनियमितताएं हैं। छह-छह महीने का टाइम बढ़ाये जा रही है कम्पनी, फिर भी उस काम को ओ.के. बताया जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। यह पिछले दिनों एन.के.गुप्ता, एक अधिकारी पिछले साढ़े छह वर्षों से इसी सीट पर बैठकर यह काम देख रहा है। उसी की देखरेख में भी जांच हो रही है तो यह भी समझ में नहीं आया कि वही अधिकारी साढ़े छह वर्ष से एक सीट पर बैठा है और उसी की देखरेख में जांच हो रही है तो क्या वह जांच को प्रभावित कर रहा है? जब जांच के लिये आपके पास एप्लीकेशन आयी तो उसने रिटायरमेंट की फाइल क्यों लगायी? वह अधिकारी एडवांस में रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं? जो-जो उसके अन्दर अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन्होंने एडवांस में रिटायरमेंट के लिये फाइलें लगा दीं। यह भी जांच का एक विषय है।

जो विकास के काम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये होने चाहिये थे, उस प्रकार से मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि वह काम नहीं हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं यू.डी.एच. का मतलब डवलपमेंट है, पर अधिकारी कार्यालयों में बैठकर क्या डवलपमेंट कर रहे हैं? सिर्फ प्राइवेट कॉलोनियों के नक्शे पास करने के अलावा, जिस प्रकार से जयपुर की बसावट हो रही है, 50-60 किलोमीटर में जयपुर बस रहा है। आस-पास में कई छोटे कस्बे और ढाणी तक और छोटे-छोटे शहर हैं, वहां तक जयपुर चला गया तो वहां पर भी क्या डवलपमेंट की आवश्यकता है, क्या अधिकारियों ने इस बारे में विचार किया? जयपुर में आज भी स्थिति यह है कि रोड्स की, नालियों की और जिस प्रकार से थोड़ी-सी बारिश आने पर नाले उफन रहे हैं या सीवर लाइन जिस प्रकार से उफन रही है, यह सब अधिकारियों को देखने की आवश्यकता है और यह अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं तो कृपया इनको डिपार्टमेंट से कहीं दूसरी जगह परिवर्तन करें और नये लोगों को लायें ताकि वह काम को देखें और डवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में विचार करें। हर बार छह-छह महीने में यह कम्पनी टाइम ले लेती है। स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम कर रही है और उसको टाइम दे दिया जाता है और पेमेंट भी दिया जाता है उसको और काम में अनियमितता भी है और वह लेट भी कर रहा है तो मेरा निवेदन है कि आप इसको देखें कि 800 करोड़ का बजट था, जिसको अधिकारी किस प्रकार से डकार रहे हैं और रिटायरमेंट की फाइलें लगा रहे हैं। 800 करोड़ में क्या-क्या काम होना था और अभी तक कितनी राशि का काम हुआ है? आज अधिकारियों को प्राइवेट प्लान पास करने के अलावा सरकारी तौर पर खुद अपनी ओर से डवलपमेंट की योजना बना नहीं रहे।

मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, यह मेरे हाथ में जयपुर के विशेष पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा यह छपा हुआ है। स्मार्ट सिटी के

हाल में दरक रहे बरामदे, गिर रहा है प्लास्टर और 'डिब्बा बने स्मार्ट टॉयलेट।' करोड़ों खर्च करके फिर भी नहीं हो पाया स्मार्ट सिटी की लिविंग लाइफ काम से दूसरे नंबर पर राजस्थान। देश में स्मार्ट सिटी एक्सप्रेस 74 की रफ्तार पर, पूरा ट्रेक नापना बाकी। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़, इंदौर चमके, जयपुर का केवल नाम, करोड़ों रुपये खर्च, फिर भी काम खराब। यह नियमित पेपर में आ रहा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग इंदौर देश में नंबर वन। जयपुर को किसी भी श्रेणी में अवार्ड नहीं। यह लगातार पिछले शासन में भी था और अभी भी कुछ दिनों से यह लगातार आ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन 28 प्रतिशत। मेरा निवेदन है अनगिनत है। मैं टेबल करूंगा अनगिनत है। स्मार्ट सिटी के द्वारा जो 800 करोड़ का काम हुआ है, पिछले कांग्रेस शासन में बहुत बड़ा घोटाला है। आज भी वही अधिकारी बैठे हैं और उन अधिकारियों की देखरेख में काम हो रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिये और यह जांच, मंत्री महोदय, यह पिछले कांग्रेस के शासन में यह काम हुआ था और पिछले कांग्रेस के काल में ही घोटाले हुए थे। उन बरामदों में कोई एक रुपया लगा नहीं जिन बरामदों का पेमेंट हुआ है। रंग-रोगन उड़ चुका है, धुल चुका है और जो पेंटिंग्स थीं, वह हैं नहीं। इसी प्रकार से चौगान स्टेडियम में भी आप चलकर देख लें। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय आपसे कि आप समय निकालकर चलें और यह जांच अगर सही है तो मुझे आप कोट करना, अगर यह गलत है तो इनके खिलाफ कार्यवाही करना।

श्री अध्यक्ष: बिराजें। मंत्रीजी का उत्तर सुनें। माननीय मंत्रीजी, कुछ कहेंगे। बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 143 काम पूरे हुए हैं, उन 754.11 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 9 काम अभी प्रगतिरत हैं, उन पर अब तक 91.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। जबकि इनका कुल बजट 115.71 करोड़ रुपये हैं। यह सूची मैं टेबल कर रहा हूं। अब चूंकि IIT RURKI और MNIT JAIPUR के अलावा बाकी जो NABL से स्वीकृत प्रयोगशालाएं हैं, उनके द्वारा जांच की गयी हैं। IIT RURKI और MNIT JAIPUR के अलावा हमारे पास कोई उच्च स्तरीय जांच एजेंसी नहीं है तकनीकी रूप से, फिर भी हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वह चौगान स्टेडियम में बनने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के भवन निर्माण की तकनीकी जांच करके रिपोर्ट दें। अब रिपोर्ट में अगर कोई कमी-खामी आयेगी तो निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे और इन्होंने जो बात कही है, मैं निवेदन कर दूं कि जयपुर का ड्रेनेज बनाने का प्रस्ताव डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा गया है। स्मार्ट सिटी के कार्यों को देश के स्तर पर रिकग्नाइज भी किया गया है। फिर भी अगर किसी अधिकारी विशेष के प्रति माननीय विधायक महोदय की कोई शिकायत है तो हम यह शिकायत प्रस्तुत कर देंगे तो उस अधिकारी के खिलाफ भी उच्च स्तरीय जांच करवायेंगे और अगर वह दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अब IIT RURKI और MNIT JAIPUR के अलावा अगर

यह और किसी संस्था का नाम लें, जो इनसे उच्च स्तर की हों तो हम उससे भी जांच करवाने के लिये तैयार हैं।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार मंत्री महोदय एक दिन का समय निकाल लें और उन अधिकारियों को बुला लें जिनकी देखरेख में यह काम हो रहा है, न कि कागजों में जांच आयी है। मौके पर चलें और जयनिवास उद्यान, चौगान स्टेडियम, तालकटोरा और जहां-जहां उन्होंने काम बताये हैं करोड़ों रुपये के, उन बरामदों के काम अगर हुए हैं, गुणवत्ता अगर ओ.के. है और वह काम दिखा दें तो आप कहें जो कर दूं और नहीं तो मुझे आप कोट करना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं पिछले डेढ़ साल से उस अधिकारी की शिकायत है और वह अधिकारी साढ़े छह साल से वहीं पर बैठा है। लगातार वह जांच में खुद अधिकारी काम कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिये 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

jyg/rtm/19.03.25/14.00/2c

(समय: 14.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: क्या बात है? एक घण्टा कम पड़ रहा है भोजन में? ऐसा लग रहा है।

ध्यानाकर्षण दूसरा था, श्री भीम राज भाटी। (अनुपस्थित)

ध्यानाकर्षण लगवाते हैं फिर नहीं आये तो, बड़ी मुश्किल से तो लगता है। ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): उस तरफ तो कोई है ही नहीं, साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बैठे हैं न हम सब।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि।

श्री हीरालाल नागर।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम-155 दिनांक 29.10.2024 जिसके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम 36वां) की धारा 86 (1) (एच) सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग विनियम बनाये गये हैं,

सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई।

प्रतिवेदन एवं लेखे

भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी का

लेखा प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24) एवं वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 66 (a) एवं 66 (b) के तहत भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी के लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जवाहरसिंह बेढ़म। ...(व्यवधान)... और कोई मंत्री के पास है? **...**(व्यवधान)... मंत्रीजी? रखिये पत्र, श्री जवाहर सिंह बेढ़म।

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 व 2024-25)

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2012 के नियम 43 के तहत सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 से वर्ष 2024-25 सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सरकार अपने विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे

समय पर प्रति वर्ष रखना सुनिश्चित करे

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इतने सालों के एक साथ क्यों रख रहे हैं? यह प्रतिवर्ष आना चाहिए। अब मैं आगे के लिए निर्देश देता हूं कि प्रतिवर्ष सदन में सबके आते हैं, ये पहला मैं देख रहा हूं जिसमें आठ-नौ साल का एक साथ आ रहा है। क्या रीजन है?

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि हमारे आने के बाद हम प्रतिवेदन रख रहे हैं। पिछली सरकार ने इनको छुपाये रखा तो हम क्या कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: मैं तो सरकार को कह रहा हूं कि सरकार आगे से प्रतिवर्ष रखे। वर्ष 2013-14 से है। इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, यह अच्छा नहीं है।

याचिकाओं का उपस्थापन।

डॉ. शिखा मील बराला।

याचिका

हाड़ौता चारा मंडी के टेंडरों में अपारदर्शिता व अनियमितताओं की जांच

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हाड़ौता चारा मंडी के टेंडरों में अपारदर्शिता व अनियमितता की जांच करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन के ग्राम भादसौडा में

तोड़ी गयी पानी की टंकी का पुनर्निर्माण

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम भादसौडा में तोड़ी गयी पानी की टंकी का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

भादरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग

के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भादरा (जिला हनुमानगढ़) में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. ऋतु बनावत।

रूपवास उप खण्ड मुख्यालय (बयाना)

में ए.डी.जे. तथा ए.सी.जे.एम. कोर्ट्स की स्थापना

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड मुख्यालय रूपवास में ए डी जे तथा ए सी जे एम कोर्ट की स्थापना कराने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024।

श्री कन्हैयालाल, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंह भाटी। (अनुपस्थित)

विधेयक को जनमत जानने हेतु जिन्होंने प्रस्ताव दिये हैं, श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री संदीप शर्मा। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, प्रवर समिति का जो विधेयक आता है, उसमें कोई भी सदस्य जनमत जानने के लिए कह सकता है, बाद में क्या कहेगा वह उसकी इच्छा है। ...(व्यवधान)... उनको जो कहना है वो कहेंगे, जब आपका मौका आये तो आप भी कहना।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 बिल लेकर आयी है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, मुझे विश्वास है कि मरुधरा में जल समस्या का निराकरण करने में यह विधेयक पूरी तरह से प्रभावी सिद्ध होगा। हमारा प्रदेश राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश का 10.41 प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है। 5.5 प्रतिशत जनसंख्या देश की यहां निवास करती है लेकिन इस रत्नगर्भा धरती पर सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य रहा है कि यहां सदैव से जल की कमी से जूझना पडा है। यहां तक कि पानी की कमी के कारण हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है जिसे हम रेगिस्तान के रूप में जानते हैं वहां तो बरसात के अलावा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें बरसाती पानी की व्यवस्था हो सके। देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत और भूजल का 1.70 प्रतिशत जल हमारे पास है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से तेजी के साथ भूजल स्तर गिरता जा रहा है, वह बहुत चिंता का विषय है। इसको लेकर हमारी 2013-2018 की सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य भूजल संरक्षण और जल स्वावलम्बन को लेकर किये और निश्चित रूप से उससे भूजल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई। जिस प्रकार से प्राचीन कुण्ड, बावड़ियों का जीर्णोद्धार

के साथ जल संचय की योजनाओं पर काम किया गया, संरचनाएं बनायी गयीं, उससे उन क्षेत्रों का भूजल काफी अच्छे स्तर तक बढ़ा। योजना के प्रथम चरण में 1192 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 94 हजार जलाशयों का निर्माण कराया गया, जिससे पूरे प्रदेश के सूखाग्रस्त 3529 गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में यह स्थिति है कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने बिलकुल खुलेआम जल दोहन का सबको पूरा अधिकार दे दिया और इस वजह से बहुत तेजी के साथ हमारे कई ब्लॉक्स डार्क जोन में आ गये। यह स्थिति है माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं तो पानी बिलकुल खत्म है। इस जल स्तर की वजह से, इसलिए आज जो बिल हम लेकर आये हैं, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि भूजल संरक्षण के अन्दर यह बिल आज प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी वजह से बहुत सख्त कानून होने के साथ-साथ भूजल संरक्षण में बहुत बड़ी जो आवश्यकता है राजस्थान की, पेयजल के अलावा भी और कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से भूजल को उपयोग किया जाता है लेकिन अब हमारी ईआरसीपी भी उन्होंने दी है, ईआरसीपी के माध्यम से भूजल स्तर भी बढ़ेगा साथ ही साथ जो पीने योग्य पानी है उसकी उपलब्धता भी तय होगी और कृषि के लिए ईआरसीपी की नहर का जो पानी होगा वो निश्चित रूप से काम करेगा। मैं इस विषय में जो हमारे इस बिल में जो एक्ट में धाराएं लायी गयी हैं, भूजल संरक्षण की धारा 8 में पदेन सदस्य के बैठक में नहीं आने पर उप सचिव स्तर के अधिकारी को भिजवाने का विकल्प दिया है जो बिलकुल उचित नहीं है। फिर भी यदि दिया जाता है तो यह शर्त लगायी जाये कि लगातार दो बार ऐसा नहीं कर सकेगा। एवज में भिजवाये अधिकारी को सुझाव देने या आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में अधिकारी की उपस्थिति नहीं मानी जायेगी। बिन्दु संख्या 2(च) में, जिसमें भूजल की परिभाषा है जिसमें एक विधेयक से केवल भूमि की सतह के नीचे के जल की व्यवस्था का प्रावधान है, भूमिगत जल कैसे बढ़े इसके लिए स्थानीय निकाय के अतिरिक्त अन्य कोई विशिष्ट संस्था नहीं है। स्थानीय निकाय आज तक बड़े भवनों पर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पालना नहीं करवा पाये।

MLS/RTM/19.03.2025/14:10/2d

इस अधिनियम से गठित प्राधिकरण ही यदि भूमिगत जल बढ़ाने की व्यवस्था देखे तो अधिक प्रभावी होगी। बिन्दु संख्या 13 प्राधिकरण की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य में बिन्दु 5 व 6 के क्रम में सरकार को विषय भिजवाने पर क्या होगा, यह स्पष्ट होना चाहिये। इस प्राधिकरण के अधिकार और जिम्मेदारी साफ तौर पर परिभाषित की जानी चाहिये। इस बिल में स्पष्ट नहीं है कि इस प्राधिकरण के आदेश की अनुपालना किस विभाग और किस अधिकारी द्वारा की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सुधार अगर कर दिये जाएं तो इसकी प्रशंसा करते हुए इसको पारित करें।

श्री अध्यक्ष: जनमत का वापस ले रहे हो?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वापस नहीं, साहब ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री विश्वराज सिंह मेवाड़। ...(व्यवधान)...

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ले सकता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक बार माननीय सदस्य ने कह दिया, वापस नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं कहा। रिकॉर्ड देख लेना।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कहा। सदस्य ने कहा। सदस्य ने कहा कि वापस नहीं लूंगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए वापस लिया है।

श्री अध्यक्ष: सदन में वापस चर्चा होगी इस पर। चलिये, बैठिये। ...(व्यवधान)... विराजो। आप कन्टीन्यू रखें।

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर अपने विचार रखने की अनुमति दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने गम्भीर और इम्पॉर्टेंट विषय पर एक विधेयक प्रस्तावित किया है। हम सब यहां विधान सभा में अलग-अलग क्षेत्रों से चुनकर आये हैं। हम सभी की लोगों के प्रति एक तरह से सीधी सी जिम्मेदारी है, सीधी सी जवाबदारी है, लेकिन कई बार विधान सभा में और सरकार में ऐसे विषय आते हैं, जिनके बारे में बारीकी से जानकारी होना नामुमकिन है और तब हम प्रशासन या अधिकारीगण से राय लेते हैं और यह जो हमारी लोगों के प्रति सीधी जिम्मेदारी है, उसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना है कि हम वह राय लें कि न लें।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

साथ ही साथ, लोगों की एक जन भावना यह भी है कि जो प्रशासन के तौर-तरीके हैं, प्रशासन के काम करने के मापदण्ड हैं, वे अलग हैं और हमें जो है अब यही देखना है कि यह जो हमारी सीधी जिम्मेदारी है, वह हम निभा रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ, लोगों के मन में यह भी भावना है कि जो भी सम्पत्ति या जो भी कार्य प्रशासन के हाथों में है, वहां कहीं न कहीं कभी कमी नजर आती है। अगर यह विधेयक राजस्थान क्षेत्र के सभी भू-स्रोतों पर लागू होगा तो मेरे ख्याल से पहले प्रशासन और सरकार को यह भी देखना चाहिये कि जो भी भू-जल स्रोत हैं, उनके नियंत्रण में हैं। भले ही बावड़ियां हैं, कुण्ड हैं कि और कोई स्रोत हैं कि पहले की जो जल व्यवस्था है, उन्हें सुधार लें तो यह जल की जो गम्भीरता है, उसमें भी सुधार आयेगा।

जहां तक इस विधेयक की बात है, इस विधेयक के लिए भी जरूर कोई न कोई राय ली होगी। प्रशासन से राय ली होगी, अधिकारियों से राय ली होगी। एक विधेयक को अच्छा

विधेयक कहने के लिए दो तो जरूरतें हैं कि वह न्यायसंगत हो और उसमें स्पष्टता हो। अगर इन दोनों चीजों का अभाव होगा तो फिर या तो उद्देश्य हासिल करने में कमी रहेगी, नहीं तो एक अस्पष्ट विधेयक कई बार भ्रष्टाचार की जड़ बनकर रह जाता है। यह लोगों की मंशा है, यह लोग सोचते हैं।

अगर हम इनके कुछ खण्ड देखें, जैसे खण्ड नम्बर 9 में लिखा गया है कि अगर गठन में कोई त्रुटि हो तो इस आधार पर कोई आवाज नहीं उठा सकता, प्रश्न नहीं उठा सकता। यह एक तरह से न्यायसंगत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस आधार पर अगर कोई गलत लोग बैठकर या गलत तरीके से बैठकर, गलती से कोई निर्णय लें, वह निर्णय भी लागू होगा और इस खण्ड पर कोई न कोई, कभी न कभी न्यायालय में इस मुद्दे को उठा सकता है, उसको चुनौती दे सकता है।

अगर हम खण्ड 13 देखें तो यहां स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा रहा है कि यह किन-किन भू-जल स्रोतों पर लागू होगा। क्या ये जो भू-स्रोत हैं, जो निजी क्षेत्र में हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं या कोई और क्षेत्र में हैं, अगर ये भू-स्रोत हैं, लेकिन अगर काम में नहीं आ रहे हैं, क्या उन पर भी लागू होगा? अगर भू-स्रोत सूखे हुए हैं, लेकिन आगे काम में आ सकते हैं, क्या उन पर भी लागू होगा? खण्ड 13 के (f) में यह लिखा गया है कि अगर कोई ऊर्जा का प्रयोग होता है पानी को निकालने के लिए तो इसको रजिस्टर करना अनिवार्य है। इसका क्या मतलब यही है कि जो पुराने तरीके से पानी निकाल रहे हैं, उनको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है? यह भी खुलासा नहीं किया गया है। खण्ड 13(3)(h) में हितकारी की बात करी गयी है। अब भू-जल के हितकारी कौन हैं? भू-जल की तो कोई सीमा है ही नहीं, तो किस मापदण्ड से और कैसे हम तय करेंगे कि ये ही हितकारी हैं और वो हितकारी नहीं हैं?

हम खण्ड 14 देखें तो उसके अनुसार अगर आपको भू-जल प्रयोग करना है, अगर आप कुछ इन्तजाम लगाते हैं भू-जल निकालने के लिए या बदलते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं। आगे जाकर इसी खण्ड में कहा जाता हैकि अगर आप कृषि उपयोग के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो पानी निकालने के जो इन्तजाम हैं, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है, पानी उपयोग के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, किसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है? अगर तकनीक बदलती रहे तो पानी खींचने के तरीके भी बदलते रहेंगे तो हर बार नये रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं है? खण्ड 14 में अगर हम देखें तो टैरिफ की बात की जाती है कि पानी के प्रयोग पर टैरिफ लगाया जायेगा, लेकिन कई बार भू-जल स्रोत हैं, उनमें अलग-अलग कनेक्शंस नहीं हैं, वो एक ही कनेक्शन से अलग-अलग उपयोग में पानी लिया जाता है, तो आप किस तरीके से मापेंगे कि किस उपयोग के लिए पानी लिया जा रहा है, किस तरीके से यह सब तय किया जायेगा कि किस उपयोग के लिए पानी लिया जा रहा है?

अगर आप खण्ड 19 में देखें तो फिर लिखा गया है कि अगर आप अनधिकृत उपयोग करेंगे तो आपके ऊपर पैनल्टी लगायी जायेगी। यह अनधिकृत उपयोग कौन तय करेगा? जो

खण्ड 17 में अफसर नियुक्त किया गया है, वह तय करेगा? खण्ड 19(1)(i) में यह भी लिखा गया है कि अगर आप पानी के उपयोग के लिए कोई इन्तजाम लगाएंगे या उसको बदलेंगे तो उनकी स्वीकृति अनिवार्य है। सिर्फ उन क्षेत्रों में जहां स्वीकृति जरूरी है, दूसरे क्षेत्रों में नहीं, तो ये कौन से क्षेत्र हैं, जहां स्वीकृति की जरूरत नहीं है? इसका खुलासा भी नहीं किया गया है।

खण्ड 21 में अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ है कि अगर किसी के ऊपर कोई यह साबित कर दे कि जो भी गलत काम हुआ है, उसकी जानकारी में नहीं था या उन्होंने यह सब ख्याल रखा, फिर भी गलत काम हो गया है तो उसे निर्दोष पाया जायेगा, लेकिन न्याय की एक foundation of law है ''Innocent until proven guilty'', लेकिन यहां तो बात है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, उसको साबित करना है कि वह इल्जाम गलत है, तो यह तो न्यायसंगत नहीं है और एक तरह से खराब प्रधानता भी बन सकता है।

खण्ड 23 में लिखा है कि अगर कानून को, न्यायालय को इसको ध्यान में लेना है तो जो भी शिकायत है, वह लिखित में आनी चाहिये, तो यह शिकायत की प्रक्रिया क्या है? अगर वह जांच ऑफिसर पहले शिकायत करेगा, फिर कानून के कोर्ट में जायेगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं है। मेरा यह आग्रह है कि ये जो विषय उठाये गये हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाये, थोड़ा सा सुधार हो और यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधेयक है, इसमें थोड़ा सुधार करके इसको पारित किया जाये।

श्री सभापतिः श्री कालूराम। (अनुपस्थित)

श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। सभापति महोदय, यह बहुत कम समय में और एक ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ दिया है, जिस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। इसमें कोई दोराय नहीं कि भू-संरक्षण के प्रबन्धन की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से आनन-फानन में यह बिल लाया गया और जिस तरीके से इसको ...(व्यवधान)... कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, नहीं बता दीजिये।

श्री सभापतिः नहीं, आप से नहीं बोल रहे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): प्रवर समिति ने जो रैकमेंडेशन दी है,

mkd/rtm/19.03.2025/14:20/2e

कांग्रेस के भी लोग थे, अगर कोई चीज जन विरोधी है तो उसमें कांग्रेस, बीजेपी मत देखो, उससे ऊपर उठो, ऊपर उठकर बात करो।

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून।

बिना पानी जीवन में कुछ नहीं है। बिना पानी कुछ नहीं है, जीवन के अन्दर। जिस तरीके का बिल है, जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

आपको कैटेगरी वाइज बताना चाहता हूं। आपने जल संरक्षण की कोई बात नहीं की। पूरे राजस्थान में इतना पानी बहकर जा रहा है। हम पांच साल ईआरसीपी, ईआरसीपी चिल्लाते रहे, आपने कोई सुध नहीं ली। फाइनली, जब सुध ली तो आपने राजस्थान के हिस्से का पानी भी मध्य प्रदेश को दे दिया। अब आप फिर ऐसी गलती मत करो कि राजस्थान के लोगों के हितों के साथ अन्याय हो। आप इसको किस तरह से लाना चाह रहे हो, आप यह कह रहे हो कि जो जमीन से पानी निकालेगा, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी। किसान को आपने छोड़ दिया, मैं उसके लिए तो आपको शुक्रिया अदा करता हूं।

आप पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, घर में पानी दे नहीं पा रहे हो, यदि वह घर में बोरिंग करवाएगा, मतलब घर में खुद के यूज़ के लिए बोरिंग कराएगा, तो आप कह रहे हो कि इसकी परमिशन लो, परमिशन कौन-सी अभी हो रही है, सेन्ट्रल वाले कहां परमिशन दे रहे हैं। आपने इतना बड़ा वह बना दिया, इसमें न तो परमिशन मिलेगी और आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली।

जितने बोरिंग किए हुए हैं, आदमी उन बोरिंग का इस्तेमाल नहीं कर पायेगा। राजस्थान की सम्पदा को राजस्थान का खुद का आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इससे बुरी बात नहीं हो सकती है।

आपने इस बिल के अन्दर कहा, आपने जो संरचना बनाई है, उस पर भी मैं आता हूं। आपने कहा, दो एमएलएज भी लिए हैं, कांग्रेस-बीजेपी दोनों साथियों ने बैठकर इस पर चर्चा की है, रिक्मंडेशन दी है। आपने चेयरमैन की कैटेगरी बनाई। आपने सर्टेन कैटेगरी लिख दी। ये चीफ सैक्रेटरी, फलां सैक्रेटरी, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, आपने ये मापदंड क्यों बनाये? क्यों इसमें पॉलिटिक्ल आदमी नहीं हो सकता? क्यों हममें से आदमी नहीं जा सकता?

आप पुराना जमाना याद करो, बीकानेर के महाराजा ने गंगनहर बंद बनवा दी। हमारे से पहले जो जेनरेशन थी, इंडिपेंडेंस से पहले, उनके टांके और बावड़ियां देखो। पॉलिटिकल आदमी को जितना तजुर्बा होता है, उतना ब्यूरोक्रेसी को फील्ड में जाने का तजुर्बा नहीं होता है। वे तो ऑफिस में बैठकर के बात करते हैं। मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जिस तरीके से आपने बॉडी बनाई है और चेयरमैन के लिए आपने कैटेगरी रख दी। इस पर भी आपको दोबारा सोचने की जरूरत है।

दूसरी बात, राजस्थान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सभापति महोदय, एक इंडस्ट्री तो वह है, जो पानी बेचने का काम करती है। आप उस पर पाबंदी लगाओ। जमीन से एक्सट्रेक्ट करती है, आप पाबंदी लगाओ। पानी बॉटल के रूप में बेच रही है, लिकर के रूप में बेच रही है, सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बेच रही है, जूसेज के रूप में बेच रही है, शराब के रूप में बेच रही हैं, बीयर के रूप में बेच रही है, आप पाबंदी लगाओ, टैक्सेज लगाओ, उसके ऊपर टैरिफ भी

होना चाहिए।

ऐसी सम्पदा, पानी हमारी वह जरूरत, जिसको वह निकाल कर बेच रहा है, उस पर आप पाबंदी लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं, जिसमें पानी रॉ मैटेरियल नहीं है, जिसमें पानी फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं है, जो प्रोडक्शन होगा, वह प्रोडक्शन पानी का नहीं होगा, लेकिन इंडस्ट्री चलाने के लिए पानी की जरूरत है। उसका रॉ मैटेरियल पानी नहीं है, उसका फाइनल प्रोडक्ट पानी नहीं है तो राजस्थान में इतनी सारी ऐसी इंडस्ट्रीजं हैं। आप यह बिल लाकर सारी इंडस्ट्रीज के दरवाजे बंद कर दोगे।

राजस्थान में एक तो पहले इंडस्ट्री नहीं है। आप यह ले आओगे, इधर तो बात कर रहे हो, राइज़िंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान और इधर कह रहे हो कि हम आपको पानी के भी हाथ नहीं लगाने देंगे तो कैसे इंडस्ट्री आएगी? कैसे चलेगी? ये बीजेपी, कांग्रेस नहीं है और ये सोचकर इस बिल पर डिस्कशन मत करो कि हम ले आये तो हम पास करा देंगे। जनता जवाब मांगेगी, जब घरों में जाओगे। आपके खुद के घर में बोरिंग होने से रुक जाएगा।

आप अपने एमएलए कोटे से पैसे दोगे और वह एमएलए कोटे का पैसा अप्रूव होने से रुक जाएगा। एक तरफ तो यह बिल है और एक तरफ आपका बजट घोषणा पत्र है। हम 2000 हैंडपम्प लगाएंगे, हम इतने बोरिंग लगाएंगे। यह साथ में, यह क्या है फिर? ये लगा दोगे, अगर इसकी पालना करोगे तो, लगा नहीं पाओगे।

मैं गुजारिश करना चाहता हूं और मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं, मंत्री महोदय बहुत सीरियस इश्यू है। इन बातों में समय जाया मत करो। इस पर एक्शन लो और इस बिल को दुबारा से, दुबारा से इसके हर बिंदु पर चर्चा करो और यह सोचो कि कैसे आम आदमी लाभान्वित होगा।

किसी का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बोरिंग कराएगा, कैसे, कैसे कराएगा जी? कैसे पानी मिलेगा उसको? होटल इंडस्ट्री है, राजस्थान के अन्दर पहले ही डार्क ज़ोन है, कैसे इंडस्ट्री चलेगी, कहां से पानी आएगा? घरों के अंदर आप पानी सप्लाई कर नहीं सको, अच्छा, उन इलाकों की बात करता हूं, जिस इलाके के अंदर आप पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइन नहीं है। आप अपना आंकड़ा उठाकर देखना, 8 करोड़ की आबादी में आधी आबादी को ही पानी दे पा रहे हो। बाकी आबादी तो जमीन से ही पानी ले रही है और आप उनके पीने के पानी पर पाबंदी लगा दोगे, बोरिंग नहीं करा पाओगे।

इसमें आपने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि कैसे आदमी को पानी मिलेगा। छोटी ढाणियों में बोरिंग से पानी सप्लाई करते हो, क्या आपने इसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को छूट दी है? वह भी आपने मेंशन नहीं किया। आप जवाब दो, तब बताना।

मैं यह कहना चाह रहा हूं, इस पर बहुत सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जो बारिश का पानी बह रहा है, संरक्षण की क्या बात है? आपने संरक्षण की तो कोई बात नहीं की। इसके अंदर आपने इतने सारे पैरा बना दिये और संरक्षण की कोई बात नहीं है। कैसे

पानी को स्टोर करोगे? हमसे पहले वाली जेनरेशन ने बहुत सारे कर दिए, बहुत सारे डैम बना दिए, बहुत सारी बावड़ियां बना दीं, बहुत सारी झीलों में कन्वर्ट हो गयीं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां पुरानी ट्रेडिशनल जगह है, जहां पानी इकट्ठा होता है। हमने तो कोई काम नहीं किया। उस बारे में एक बात नहीं कर रहे हो आप? पानी बहकर जा रहा है।

मेरा प्रपोज़ल था, मेरी विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। मेरा प्रपोज़ल था, आमागढ की पहाड़ियां हैं, आमागढ झालाना से लेकर आगे जहां दिल्ली रोड पर संकटमोचन हनुमान जी हैं, खोल के हनुमानजी के पीछे का हिस्सा है, सुमेल गांव है, दोनों तरफ पहाड़ियों से पानी आ कर खानिया, एक छोटा डैम होता था, वहां आकर इकट्ठा होता था। वह डैम 1984 की बाढ़ के अंदर टूट गया। उसके बाद से आज तक वह पानी बह करके ही जाता है और उससे पांच किलोमीटर, सात किलोमीटर आगे कानोता डैम है। मैंने प्रपोज़ल दिया और डीपीआर भी बनी। फिर, आप लोगों ने आकर के सब बंद कर दिया। उस सारे पानी को खींचकर लाते। उस छोटे डैम को रिपेयर कराते और वहां से वह पानी उठाकर कानोता डैम में डालते तो पूरे आगरा रोड के लोगों को पानी मिल जाता। लेकिन, आप भू-संरक्षण, जल संरक्षण, जैसी कोई बात इसके अंदर नहीं कर रहे हो।

आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं, आपने इसमें सजा का प्रोविजन कर दिया कि 50 हजार रुपये तक और आगे एक्स्ट्रीम पर जाकर छह महीने तक की जेल की सजा दे दोगे? क्यों दे दोगे भाई? किस लिए दे दोगे? आप खाली पानी का इस्तेमाल करने के लिए सजा दे दोगे? तो ऐसी बातें मत करो कि आप बाहर जाओ और जनता सामने हो जाये। जाओगे गांव के अंदर तो जनता +++ मारेगी, जिस तरह का बिल लेकर के आये हो आप? तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बिल को हम सबको मिलकर के इस पर पूरा..। हां जरूरत है, पानी वेस्टेज हो रहा है, इसकी जरूरत है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ये +++ को बन्द करो, यह राजस्थान की जनता के लिए बिल लेकर आये हैं। इनमें कमी है तो दुबारा सुधार कर देंगे। बाकी इस टाइप की, इतने बड़े बोलने की भाषा नहीं है। मेरी बात सुनो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं बोल लूं, मंत्री महोदय। फिर, आप बोलना। आप बोलो, आप बोलो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं बोलूंगा, बाकी ये +++ शब्दों को हटाओ और ये सुनो, ये जो डेढ़ सौ परसेंट हो गया, आने वाले समय में कह रहे हैं स्टोरेज नहीं करा, मैं दूंगा 5 दिन बाद में जवाब।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप बुरा मत मानो, सच्चाई से अवगत रहा हूं, यही होगा।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बोलने की तमीज रखो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप डिलीट करा दो भले ही।

श्री सभापति: विराजो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सच्चाई से अवगत करा रहा हूं।

श्री सभापति: विलोपित।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): होगा यही, मैं सही बता रहा हूं, आपको। आप सब भुगतोगे, आपके साथ में हम भी भुगतेंगे। इसलिए, इतनी जल्दबाजी मत करो, इस बिल को लाने की। इस बिल को सोच समझकर के लागू करो, ताकि आम आदमी को फायदा मिल सके। (समय समाप्ति सूचक घंटी।)

हम पानी सप्लाई करने के लिए हैं, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं हैं। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इस बिल को जिस तरह से आप लागू करना चाह रहे हो, इसका पूरा एक-एक बिंदु समझो। जल संरक्षण की बात अलग करो, कैसे हम पानी स्टोर करेंगे? इतना पानी राजस्थान में बह रहा है। राजस्थान में शुरू से ही पानी की किल्लत रही है। बारिश का इतना पानी आता है, वह बहकर चला जाता है, उसको स्टोरेज करने की बात करो। उसको मैनेज करने की बात करो। आम आदमी को नुकसान नहीं हो। जिन लोगों ने बोरिंग कर रखे हैं, उनका क्या होगा? किसी का बोरिंग हो गया, वह रिपेयर कराना चाहता है, उसका क्या होगा? तो आपको इसमें दुबारा से होमवर्क करने की जरूरत है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस बिल का घोर विरोध करता हूं, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकिम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, सभापति महोदय के मार्फत मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह भू जल संरक्षण प्राधिकरण बना रहे हो। बारिश का पानी आता है, उसको स्टोरेज करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण बनाते तो हम सब पूरा पक्ष और विपक्ष आपका समर्थन करते, साथ देते।

Bhs/Rtm/19.03.25/14.30/2f

आप जो अभी यह प्राधिकरण बना रहे हो यह तो एक और भ्रष्टाचार की कड़ी जोड़ रहे हो, इससे खोदना बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे, सरकार चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो। पिछले दिनों पूर्ववर्ती सरकार आपकी थी माननीय वसुंधरा जी ने हमारे एरिये को ड्राई ज़ोन घोषित कर दिया था कि यह जो ब्लॉक है वह ड्राई है इसमें किसान बगैर भू-जल संरक्षण विभाग की परमिशन के ट्यूबवैल नहीं खोद सकता। ठीक है, ट्यूबवैल खुदे, भ्रष्टाचार बढ़ गया जो भू-जल संरक्षण विभाग का प्रमाण पत्र है, वह यहीं जो बिजली के कनेक्शन देते हैं ये अधिकारी घर बैठे बनाने लग गए थे कि इतने पैसे दो आपको कनेक्शन की व्यवस्था काम

कर देंगे। ट्यूबवैल भी खुद गया, कनेक्शन भी हो गया, पानी का दोहन नहीं रुका तो वह ही एक आप दूसरा लेकर आये हो, फिर हमारी जब सरकार आयी तो उसको विदड्रा किया कि नहीं यह जो ड्राई जोन है इसको हटाओ, ड्राई नहीं है, हमारे एरिये में पानी है तो वह कनेक्शन होने लग गए बिजली के।

सभापति महोदय, आप जो यह बिल लेकर आये हो इससे कोई रुकने वाला नहीं है कि दोहन रुक जायेगा। इसमें जैसे पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक ढाणी के अंदर पानी की समस्या है, आपने जे.जे.एम. में पानी तो पहुंचाया और 2028 तक पहुंचाओगे तो 2028 तक पानी पहुंचेगा तब तक वह ढाणियों के लोग क्या करेंगे? उनको पानी तो चाहिएगा कल सुबह ही, तो उसमें एक व्यवस्था थी कि सिंगल फेज ट्यूबवैल खोद करके उनको पानी की व्यवस्था की जाये, पांच घर हैं, 10 घर हैं उनके लिए सिंगल फेज ट्यूबवैल से उनके पानी की व्यवस्था की जाये। अब आप यह जब लागू कर दोगे तो प्राधिकरण के पास जायेगी फाइल और प्राधिकरण उस फाइल को रोक कर बैठ जायेगा कि नहीं, हम वहां चेक करेंगे पानी कितना नीचे है, कितना गहरा है, क्या है? तो उस टाइम तक वो पानी की व्यवस्था क्या करेंगे? लोग रोज़ हम और आपके पास आयेंगे कि हमारे यहां पानी की समस्या है इसलिए यह मेरे ख्याल से यह जो आप बिल लेकर आये हो यह ठीक नहीं है, इसमें सुधार किया जाये।

सभापति महोदय, पहले जैसे बहुत सारे लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे पहले जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बावड़ी खुदवाते थे, जोहड़ खुदवाते थे, कुएं खुदवाते थे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं दानदाता, वह पानी की व्यवस्था करने के लिए अपने पैसों से कॉलोनियों में, ढाणियों में, जो दूरदराज जो गांव बसे हैं उनमें पानी की व्यवस्था के लिए कुए खुदवाते हैं अपने पैसों से कि भाई ठीक है मैं इस मोहल्ले में एक कुआ खुदवा देता हूं तो आप लोग इससे पानी पीओ। अब वह कुआ कैसे खुदवायेगा, वह ट्यूबवैल कैसे खुदवायेगा क्योंकि प्राधिकरण उसको परमिशन नहीं देगा और वह खुदेगा नहीं।

सभापति महोदय, दूसरा, मैंने आज ही माननीय मंत्री महोदय को लिस्ट दी हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 39 ओपनवैल हैं, कुए हैं आज भी, उन कुओं की जगह हम लोग दूसरा ट्यूबवैल बनाना चाहेंगे, पी.एच.ई.डी. बनाएगी, सरकार की तरफ से बनेगा, मंत्री जी सैंक्शन देंगे तो फिर वही पी.एच.ई.डी. प्राधिकरण के पास जाओ कि प्राधिकरण परमिशन देगा तब बनाएंगे। प्राधिकरण फिर परमिशन नहीं देगा इसलिए यह जो पानी पर आप जो एक बैठा रहे हो न एक जेलनुमा कि नहीं, पानी भी हमको पूछ के ही पीओगे, यह जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। पानी की तो परमिशन दो जनता को। आप पानी नहीं पीने दोगे, आप बिजली नहीं दोगे, आप सड़क नहीं बना के दोगे, आप चिकित्सा की सुविधा नहीं दोगे, एक पानी बन जाता है कि अपनी मर्जी से कुआं खोद करके एक आदमी पानी निकाल करके अपना पी सकता है, अपने काम में ले सकता है, उसके ऊपर भी आपने पहरा बैठा दिया की नहीं, हम कहेंगे तभी आप कुआ खोदोगे और पानी पीओगे। यह तो सरासर जनता के साथ

कुठाराघात है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एम.एल.ए., एम.पी. या जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत अपने मद से कोई ढाणी ऐसी है कि जहां जन प्रतिनिधि को लगे कि इस ढाणी में पानी पाइप लाइन से सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है तो वह उस कोष से पैसा दे करके और ट्यूबवैल खुदवाते हैं तो उसका भी आपने इसमें कोई जिक्र नहीं किया बिल के अंदर कि उसका क्या प्रावधान है, वह बाहर है या उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? यह मंत्री जी, आप थोड़ा बता दीजिये उसके लिए भी।

सभापति महोदय, एक सिंगल फेज वालों को जो घर के अपने खुद के काम निजी काम के लिए पीने के पानी के काम में लेते हैं घरों में जो खुदवाते हैं उसका भी आपने इसमें जिक्र नहीं किया है कि उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है इसलिए मेरी आपसे अपील है कि एक तो जैसे किसानों को आपने इस से बाहर किया, बहुत अच्छी बात है, अगर किसान को इसके अंदर कर देते तो किसान तो मर जाता। आप इसी तरह किसानों को जिस तरह बाहर किया है उसी तरह पी.एच.ई.डी. और जो सरकारी जो जनहित के अंदर पानी पीने के लिए कुएं खुदते हैं, ट्यूबवैल खुदते हैं, उनको आप इस प्राधिकरण से बाहर करना कि इस प्राधिकरण में उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पीने के पानी के लिए कोई अपने घर में ट्यूबवैल बनाना चाहे तो वह बना सकता है। ड्राई हो गया और उसके अगेन्स्ट कोई ट्यूबवैल खुदवाना चाहता है तो खुदवा सकता है। कॉलोनी होगी बड़ी, क्षेत्रफल बढ़ गया शहर का, गांव का और उस नयी कॉलोनी में पी.एच.ई.डी. नया ट्यूबवैल खोदती है तो उसके लिए प्राधिकरण की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये 4-5 बिंदु हैं यह आप ध्यान में रख करके और इसमें कोई अमेंडमेंट करके और आप इसको बताएंगे।

सभापति महोदय, मैं आपको थोड़ा सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें आपने जो ये प्राधिकरण बनाया इसमें एक जो यह सजा और जुर्माना कर रहे हो इसकी जगह आप यह करते कि हम राजस्थान के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि हर आदमी अपने घर के अंदर मकान की छत के ऊपर जो पानी आता है बारिश का उस पानी के लिए कोई अपने घर के अंदर जो जल संरक्षण बनाएगा, पानी का होद बनाएगा, पूरा पानी इकट्ठा करेगा, एक परिवार पूरा 12 महीने वह पानी पी सकते हैं जब तक दूसरी बारिश नहीं आये, जब तक सीजन नहीं आये बारिश का तब तक। उसमें आप उनको प्रोत्साहन देते, जैसे सोलर में आपने किया है कि सोलर लगायेगा उसको हम सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी देंगे। उसी तरीके से अगर आप पानी पर भी यह थोड़ा करते न कि हम जल संरक्षण के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हर आदमी अपने घर के अंदर एक पानी का होद बनाएगा और बारिश के अंदर पानी आएगा, उसको इकट्ठा करेंगे, वह पीने के भी काम आएगा, पौधों में डालने के लिए काम आयेगा और पशुधन को पिलाने के लिए भी काम आएगा तो इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगी, दोहन भी कम होगा।

सभापति महोदय, इसलिए एक बार मैं फिर आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस

बिल का मैं विरोध करता हूं और इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री डूंगर राम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, राजस्थान भू-जल प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर आज मुझे बोलने का अवसर आपने दिया। यह विधेयक पहले भी प्रवर समिति को सौंपा जा चुका है लेकिन प्रवर समिति ने भी जो रिपोर्ट दी है और जिन बहुत से प्रस्तावों के बावजूद भी इसमें बहुत सारी कमियां उन्होंने छोड़ी हैं और इस विधेयक में जनप्रतिनिधियों से कोई राय मशविरा है, वह इसके बावजूद भी नहीं लिया गया है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में घग्घर नदी चलती है और बह करके पानी जाता है। एक समय तो ऐसा आता है जब हमारी फसलें पानी से डूबती हैं, हमारे घर पानी से डूबते हैं, हमारी ढाणियां पानी से डूबती हैं और मात्र दो महीने बाद उसी क्षेत्र के अंदर ये हालात हो जाते हैं कि हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है तो इस तरह की जो नदियां हैं जो मौसमी नदियां हैं जो मौसम के हिसाब से चलती हैं उनके संरक्षण का इस विधेयक के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उस पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं की गई है क्योंकि इस विधेयक के अंदर जो आमजन लोग हैं उनसे राय मशविरा आपने नहीं लिया है। इसके बावजूद भी सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर जो आई.जी.एन.पी. नहर है उस नहर के नीचे के जो पटड़े हैं उन पटड़ों को भी पक्का करने का काम किया और उनको पक्का करने के बाद रिलाइनिंग करने के बाद भू-जल स्तर है वह गहराता चला जा रहा है जो किसान ट्यूबवैल लगाकर के असिंचित जो भूमि है, जिसमें नहर का पानी नहीं लगता, बारानी भूमि है उसके अंदर जो किसान ट्यूबवैल लगा करके अपना टाइम पास करते थे वह किसान आज बर्बाद होने की कगार पर उस क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सूरतगढ़, पीलीबंगा क्षेत्र के अंदर एक तरफ तो दोहन की वजह से स्थिति गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ सेम की वजह से पानी के अंदर जमीनें डूब गई हैं, बहुत से गांव डूब गए, बहुत से खेत डूब गए और वे सारे के सारे किसान आज बर्बाद हो रहे हैं तो इस पर भी इस विधेयक के अंदर किसी भी तरह की कोई बातचीत, ऐसी जो जगहें हैं उन पर किसी भी तरह की कोई बातचीत इस विधेयक के अंदर नहीं की गई है।

सभापति महोदय, खंड 3 के अंदर जो प्राधिकरण की स्थापना के अंदर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नगण्य है और विशेष तौर पर यह खेती से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गांवों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए किसान संगठनों के जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ-साथ खण्ड 22 के अनुसार जो आपने पानी के लिए दंड का प्रावधान किया है, अब पीने का पानी भी हम नहीं दे पाएंगे, पानी के लिए भी हम लोग दंड का प्रावधान करेंगे और पानी के लिए भी जब किसी को जरूरत होगी तो उसकी फाइल भी प्राधिकरण के पास जायेगी, यह राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हम कर रहे हैं। इसलिए आमजन, किसान,

व्यापारी में इससे डर का माहौल बनेगा और प्राधिकरण के अधिकारियों को बेवजह आम आदमियों को परेशान करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक गलत है, असंवैधानिक है, अव्यावहारिक है इसलिए जनमत जानने के लिए इस विधेयक को वापस लौटाया जावे और इसके अंदर पूरी तरह से संशोधन किए जावें। आम व्यक्ति के साथ बातचीत के साथ उनके साथ सर्वे में उनको शामिल किया जावे। धन्यवाद।

Kas/rtm/19.03.2025/14.40/2g

श्री सभापति: श्रीमती गीता बरवड़।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं इस बिल के थ्रू आपको कहना चाहती हूं। मेरे भोपालगढ़ में पेयजल की स्थिति अभी बहुत खराब है और आगे गर्मी भी आने वाली है। जब अभी हालात इतने खराब हैं, तो आगे गर्मी आने के बाद क्या हालात होंगे? एक-एक घर में पानी की समस्या हो रही है। वहां इतने अवैध कनेक्शन हो रखे हैं कि आधी जनता को पानी मिलता है और आधी को नहीं मिलता है। लोग टेंकर भरवा-भरवा कर बेच रहे हैं। मेरी इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, आप इस समस्या का समाधान किस तरह से करेंगे, इस बिल में इसका कोई भी प्रावधान नहीं आया हुआ है। भू-जल संरक्षण प्रबंध प्रणाली में सजगता और जागरूकता की भी कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्तमान में मेंटिनेंस के कारण ट्यूबवैल बंद पड़े हैं, उनको वापस चालू किया जाये। अगर वो अनफिजिबल हैं, तो सरकार उनको बंद करके उनके गड्ढे भी नहीं भरवा रही है और वो गड्ढे वैसे के वैसे पड़े हैं और रोज यह समस्या आ रही है कि बोरवेल में बच्चे वगैरह गिर जाते हैं।

साथ ही भोपालगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की जीवन दायिनी संरचना बांध, तालाब, झीलों को चिह्नित किया जाकर भारत सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से रिपेयर, रिनोवेशन, रेस्टोरेशन किये जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मेरे क्षेत्र की इन समस्याओं का आप समाधान कराएं। पानी की समस्या अगर इसी तरह से रहेगी और अवैध कनेक्शन भी रहेंगे और इसी तरह से टेंकर भराये जायेंगे? तो इससे टेंकर माफिया भी बढ़ जायेंगे। लोगों को कैसे भरोसा होगा कि आप उन तक यह पानी पहुंचायेंगे। आप हमारी जनता को भ्रष्टाचार व प्यास के हवाले करना चाहते हो। आज मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में पानी की इतनी समस्या है कि हमने रोज धरना-प्रदर्शन कर ट्यूबवैल के लिये कहा, लेकिन वहां ट्यूबवैल नहीं हो रहे हैं। ट्यूबवैल खोदेंगे तो आप किस तरह से खोदेंगे, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है और कई जगह पानी खारा है। जब जमीन में ही पानी खारा है तो न तो वहां ट्यूबवैल हो सकते हैं और न ही वहां हैंडपम्प हो सकते हैं। इसके बावजूद इसमें वहां की

पानी की समस्या का कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ कि इस समस्या का कैसे समाधान किया जायेगा। मैं इस बिल का घोर विरोध करती हूं और यह जनहित में नहीं है।

श्री सभापतिः डा.सुभाष गर्ग। (अनुपस्थित)

श्री जयकृष्ण पटेल। (अनुपस्थित)

श्री समरजीत सिंह।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, आज THE RAJASTHAN GROUND WATER (CONSERVATION AND MANAGEMENT) AUTHORITY BILL, 2024 पर हम चर्चा करने के लिये विधान सभा में इकट्ठे हुए हैं। पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिस पर सरकारों को और हम सबको बैठ कर चर्चा करने की जरूरत है। इस इंपोर्टेंट मेरी मान्यता है कि जनमत का भी सहारा लेना चाहिये था। हालांकि प्रवर समिति ने अपने प्रस्ताव दिये हैं और किसानों को राहत जैसी बातें भी की हैं, कई चीजें आई हैं सामने, परंतु यह इतना बड़ा विषय है और जनता से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मेरी मान्यता है कि इसे जनमत जानने के लिये देना चाहिये ताकि जनता की बात सामने आये। सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी गांवों में टेल एण्ड पर बैठे हुए व्यक्ति का दुख-दर्द नहीं समझ सकते। उस दुख-दर्द को हमें सुनना चाहिये, उनकी बातों को लाकर विस्तार में चर्चा करके इस बिल को लाना चाहिये, ताकि अच्छी स्कीम बना सकें, अच्छा बिल बना सकें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

यह एक एसेंशियल कमोडिटी है, आज हर व्यक्ति को जल की जरूरत होती है। जल बिना जीवन सूना है। आज राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि कहीं तो एक बूंद पानी पीने के लिये नहीं है और कई जगह वाटर लॉगिंग की स्थिति आ गई है। जोधपुर से आने वाले हमारे कई माननीय सदस्य बैठे होंगे, मैं भी जोधपुर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैंने भी देखा कि वहां बूंद-बूंद पानी के लिये हम तरसते थे। पानी पीने को नहीं होता था, मीठे पानी के लिये हमें बड़ी तकलीफ होती थी। पहले तो जोधपुर में पाली से पीने के लिये जवाई बांध से ट्रेन से पानी लाया जाता था, आज स्थिति यह है कि वहां पर वाटर लॉगिंग हो गई। आज अगर आप ट्यूबवैल खोदने की इजाजत नहीं देंगे तो वहां तो अंडर ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है। दो विपरीत परिस्थितियों में हम लोग आज बैठे हुए हैं। सांचोर में नर्मदा का पानी आया, तो आज वाटर लॉगिंग की समस्या कई इलाकों में आ गई। आप जो यह कानून बनाने जा रहे हो कि हम कुएं खोदने की इजाजत नहीं देंगे, हर चीज में परमिशन लेनी पड़ेगी, तो एक नये इंस्पेक्टर राज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चीज पर हमें सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी इंस्पेक्टर राज तो चल ही रहा है। डार्क जोन के नाम पर किसानों को वैसे ही ट्यूबवैल खोदने नहीं दिये जा रहे हैं। तकलीफ होती है, रोज फोन आते हैं कि, साहब, आज वहां पानी रोक दिया गया। पटवारी को, आरआई को, तहसीलदार को पैसे देने पर परमिशन मिलती है। एक नया इंस्पेक्टर राज इस बिल के जरिये आप जो लाने जा रहे हैं, इसके लिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसे

जनमत जानने के लिये भेजेंगे, तभी होगा।

मैंने तो यहीं बैठे-बैठे इसके अलग-अलग खंड देखे और मुझे लगा कि इन खंडों में भी कई जगह हमें सोचने की जरूरत है। चाहे डिस्ट्रिक्ट कमेटी मैनेजमेंट की बात हो, उसमें भी हमने अभी तक कोई क्लीयरिटी नहीं दी है। आपने पावर एण्ड फंक्शन की बात की, restrictions on the utilization of ground water, इसमें आप लोग क्या पैमाना तय करेंगे? इसका मापदंड कैसे तय करेंगे और उसको तय कराने के चक्कर में एक नया इंस्पेक्टर राज वापस शुरू हो जायेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। Registration of all types of drilling rigs, जो मशीनें हैं, आधा टाइम तो आपका उनको रजिस्ट्रेशन करने में चला जायेगा और नई आयेंगी तो उनको करने लग जाओगे। इसमें एक लाइन और कही गई है, drilled of already dug structures for extraction of ground water without registration. उनके ऊपर आप कार्यवाही करने जाओगे जो पहले से खोद चुके हैं। आप कैसे करोगे इन चीजों का? इन चीजों पर भी हमें सोचना पड़ेगा।

आपने 16वे खंड में टैरिफ़ की बात की, tariff for use or disposal of ground water. इसमें भी आप किस तरह से पैमाना तय करेंगे? आज भी मीटर के बिल आते हैं, तो मुझे तो इसकी कोई स्पष्ट नीति दिखी नहीं है। आप लोगों को इन चीजों को सोचने की जरूरत है। खंड 22 में, Punishment for offences, इसके लिये, for the first offence, with a fine upto fifty thousand rupees. और उसके बाद एक लाख और दोनों हो जायेगा। आपकी इसमें क्या रणनीति है? सब चीजें खुल कर सामने आनी चाहिये, जनता के बीच जानी चाहिये, जनता को भी पता होना चाहिये। ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या के लिये हम चिंतित नहीं हैं, हैं चिंतित। खंड 23, cognizance of offences, कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जनता के साथ अन्याय होगा, क्या आपके अधिकारी या जो भी आपका बोर्ड होगा, वो इतना पाक साफ होगा कि वो सारे के सारे सही निर्णय कर लेगा, इस चीज पर भी हमें सोचने की जरूरत है।

कुल मिलाकर मेरा आपके मार्फत सरकार से यह निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट ले सकें और उस इनपुट के जरिये पानी बचाने के लिये, वाटर कंजर्वेशन के लिये, जैसा कि इस बिल के नाम से हम लोग वाकिफ हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सकें। मैं नहीं कहता कि इस पर सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरत है, पर इसको और अच्छी तरह से सोचें, ताकि राजस्थान की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, धन्यवाद।

Msk/rtm/19.03.25/1450/2h

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मुझसे पहले भी मेरे सभी साथियों ने अपने-अपने विचार भू-जल के ऊपर रखे और कई बातें कही गयीं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजस्थान जितना बड़ा प्रदेश है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो पानी की यहां पर जो समस्या है, वह एक बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान के करीबन 302 ब्लॉक हैं, उसमें 250 ब्लॉक डार्क जोन में घोषित किये हुए हैं। भू-जल की जो समस्या है, वह हमारे यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। डेफिनेटली काफी सारे स्टेप्स हम लोगों को इसका संरक्षण करने में उठाने की जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन हमारे सामने आज जो विधेयक आया है, यह भी उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम ही है। हमारे यहां पर कुछ विपक्ष के साथियों को यह आदत हो गयी है कि कुछ भी नया आता है तो हमें बस उसका विरोध करना है। विपक्ष का काम है, विरोध करना। ...(व्यवधान)... मैं विरोध में नहीं बोल रही हूं, मैं अपने सजेशन दे रही हूं और उसके साथ-साथ यह बता रही हूं कि यह एक पहला कदम है, इसके प्रति इतनी इम्पोर्टेन्ट चर्चा चल रही है। उसके साथ-साथ मैं आपके सामने यह भी लाना चाहूंगी कि विधेयक तो आया ही है। इसके साथ-साथ सबसे पहले, क्योंकि आपने बात रखी है तो मैं उसी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलूंगी। हमारी जो राज्य सरकार है, हमारे आदरणीय भजन लाल जी ने ऑलरेडी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो कि एक क्रांतिकारी पहल है, उसके माध्यम से कितने तालाब, चेकडैम, एनिकट आदि बनाये जा रहे हैं, जिनसे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के साथ-साथ ग्राउंड वॉटर भी रिचार्ज हो रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जब भू-जल की बात करते हैं कि हमें ग्राउंड वॉटर का लेवल बढ़ाना है तो लेवल बढ़ाने के लिए हर कदम जरूरी है। यहां पर इस सदन में ही बैठकर, हमारे विपक्ष के अलग-अलग साथियों ने इस बात को रखा कि पेड़ क्यों उगा रहे हो? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी और उसमें सिर्फ मैं आपके 30 सैकिंड लूंगी कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में पिपलांतरी एक गांव है, जो माइनिंग क्षेत्र हुआ करता था। वहां पर ग्राउंड वॉटर की स्थिति बहुत कमजोर थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, रॉक वाटर है। आप कितना भी डीप उसमें ट्यूबवेल करेंगे तो भी आपको नीचे तक गहराई में पानी नहीं मिलेगा, लेकिन उस पिपलांतरी का नाम पूरे विश्वभर में लिया है, वह इसी बात से लिया है, इसी माध्यम से लिया है कि उन्होंने एक कदम बढ़ाया कि कैसे हम ग्राउंड वॉटर को बेहतर कर सकते हैं? माननीय सभापति महोदय, उस गांव के अंदर जब भी एक बेटी बोर्न होती है तो उसके नाम पर एक पेड़ लगता है और धीरे-धीरे, हमारे आदरणीय पद्मश्री जी का भी उसमें पूरा योगदान है। गांव के लोगों का योगदान है। आसपास के सभी जनों का योगदान है। उसके माध्यम से आज उस क्षेत्र में जो कि एक खनन क्षेत्र हुआ करता था, उन पेड़ों के माध्यम से भू-जल की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गयी है। वहां पर किसान अलग-अलग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं तो यह भी अपने आप में एक रोल मॉडल है कि कैसे अगर हम कदम उठायें तो भू-जल को हम बेहतर कर सकते हैं।

इस विधेयक के माध्यम से जैसे कि अलग-अलग बातें रखी गयीं। कितनी इंडस्ट्रीज़,

कितने अलग-अलग प्लांट्स, कितनी जगह हम यह सब बोलें कि सिंचाई के लिए जो भू-जल का यूज होता है, मेन यूज सिंचाई के लिये है या पीने के पानी के लिये है। सिंचाई में जब नहर की हम बात करेंगे या कितनी जगह यह कह सकते हैं कि वॉटर का जो वेस्टेज होता है, उसको कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेन्ट है, क्योंकि भू-जल जितना ग्राउंड में होगा, उसका स्तर बढ़ाना होगा। हमारे यहां पर औसतन वर्षा वैसे ही कम होती है, Compare to other states in India. तो जब हमारे पास ये ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि हमारे पास बारिश से भी पूर्ति नहीं होती। हमारे पास माध्यम है कि हम एनिकट के माध्यम से उस क्षेत्र का स्तर बढ़ायें। ट्यूबवैल खोदना आसान होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पलासड़ी है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि हमने एक गर्मी के सीज़न में वहां पर करीबन पांच ट्यूबवेल खुदाये, पर एक में भी पानी नहीं निकला, तो ऐसी भी समस्या आती है। ट्यूबवेल खुदाना आसान है, लेकिन नीचे पानी को संरक्षित करना बहुत बड़ा काम होता है। इस विधेयक के माध्यम से, जिस तरीके से हम यह सोच रहे हैं कि हम इस बात को कंट्रोल करें कि अंधाधुंध पानी का दोहन जो होता है, इन्डस्ट्री के माध्यम से एसटीपी प्लांट हम लगा सकते हैं, जिसमें वोटर री-साइकल होकर इन इंडस्ट्रीज को पहुंच सके,ताकि ये ग्राउंड वॉटर को कम यूज़ करें। ताकि उस पानी को हम उसको बचा सकें। उस बारे में भी जो बात बातें रखी गयी हैं, मैं उसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वे इस बात को हमारे सबके बीच में लायें। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगी कि इस विधेयक के अंदर जो पैनेलाइज करने की बात है, वह बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि हम बार-बार बिना सोचे-समझे वॉटर को वेस्ट कर रहे हैं। ट्यूबवेल के साथ-साथ हम रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, डेफिनेटली जो कि हमारी केंद्र सरकार की भी एक बहुत बड़ी योजना है। उसके साथ-साथ युवा पीढ़ी के अन्दर, अगर हम कॉलेजेज में भी ऐसे अभियान शुरू करें, जिसमें इन अभियानों के माध्यम से यह बता सकें कि हमारी स्टेट की क्या स्थिति है और हमें उसको बेहतर करने के लिए अपने छोटे कदम क्या उठा सकते हैं? हमारे गांव के स्तर पर, हमारे कस्बे के स्तर पर क्या कदम उठा सकते हैं? तो अगर हम युवाओं के माध्यम से भी अगर इस अभियान को रखें तो उससे भी बहुत सारी जगह जानकारी प्राप्त होगी, जागरूकता बढ़ेगी और युवा पीढ़ी भी मोटिवेट होगी। क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, आने वाली पीढ़ी में भी जब भू-जल..

जो रिपोर्ट्स हैं, वे रिपोर्ट्स यह कहती हैं कि एवरी ईअर राजस्थान के अंदर एक मीटर से भू-जल कम होता जा रहा है, तो यह बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। इसके अंदर जो जागरूकता अभियान है, उसके माध्यम से भी हम बच्चों में और आने वाली पीढ़ी में इस बात का कहीं ना कहीं मोटिवेशन डवलप कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से वॉटर को सेव करना चाहिए। ...(व्यवधान)... आपने बोला था, हमने तो आपको नहीं डिस्टर्ब किया। यह तो चर्चा है। इस सदन में सार्थक चर्चा करना हमेशा मुश्किल हो जाता है। ...(व्यवधान)... जनता से तो मतलब है, तभी हम लोगों ने जनता के बारे में सोचा है।

अगर जल जीवन मिशन के द्वारा हम पानी पहुंचा रहे हैं तो यह हमने सोचा है। आपके पास सोचने के लिए और पढ़ने के लिए इतना टाइम था तब आपने नहीं सोचा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। भू-जल का विषय है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार ने अटल भू-जल योजना चालू की। हमने तो बहुत सारी चीजें की हैं और जनता के बारे सोचा है। इसलिए जनता को हमारे ऊपर इस बात का यकीन है कि अगर काम कोई होगा, जनता के बारे में कोई सोच रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी है। ये जो सीधे-सीधे हर स्टेट में हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं, वे अपने आप में बता रहे हैं कि हम कितना जनता के बीच में जाते हैं। जनता का जो टेल एंड आप बता रहे थे कि वह टेल पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं। इसलिए हम उसकी समस्या को अच्छे से बता कर इन विधेयकों को ला सकते हैं। यह चर्चा इसलिए हो रही है ताकि हम सब मिलकर, जो राजस्थान की एक गंभीर समस्या है, उस बारे में हम सब मिलकर चर्चा कर सकें। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए, धन्यवाद।

मैं अंत में यही बोलना चाहूंगी कि मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेती हूं। यह जो विधेयक है, यह बहुत अच्छा है, एक अच्छा कदम है कि हम कैसे अपने भू-जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन।

सूचना

नोहर के धनासिया ग्राम में ओलावृष्टि

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, आपने मुझे पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर बोलने का अवसर दिया। ...(व्यवधान)... मेरे विधान सभा क्षेत्र के धानसिया गांव में एक भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की जो खड़ी हुई फसल थी, वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और किसान आज सदमे में हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस फसल का उचित उनको मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसानों को रात मिले, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन शर्मा। आप अपने स्थान पर बैठें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सभापति महोदय, आपने सप्रेम मुझे बोलने के लिए पुकारा, उसके लिए हृदय की गहराई से आपका आभार। इस बिल के दो पक्ष हैं। मंत्री महोदय, आप सुनें। वह तो वहां से बना रखा है,लिखित में है। जो पढ़ना है, वह तो अलग चीज़ है, लेकिन सुन तो लें, करना चाहे मत करना।

श्री सभापतिः आप तो अपनी बात रखें, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): दो भाग हैं। एक तो यह बिल इस उद्देश्य के लिए बना है,

एक भाग तो वह है और दूसरा भाग वह है कि इसके प्रोविजंस के मामले में।

mdp/rtm/19.03.25/15:00/2j

जहां तक इस बिल की मूल भावना का सवाल है, उसमें कोई भी कांग्रेस वाले, कोई भी राजस्थान के आदमी असहमत नहीं है। जो दोहन राजस्थान में हो रहा है और जिस प्रकार के हालात पैदा हो गए और जिस प्रकार से वर्तमान पीढ़ी सारे जल का दोहन करके अपने निजी उपयोग में, जनता के उपयोग में ले रही है, वह भविष्य की पीढ़ी का ख्याल नहीं रख रही है। यह इसके पीछे एक भावना है। एक यह भी है कि डार्कजोन बढ़ता जा रहा है । जो सतही पानी था, वह निरंतर गिरता जा रहा है और हालात ऐसे हैं कितने ही क्षेत्रों में कि जहां पर पीने के पानी की भी समस्या पैदा हो रही है। इस बात से कोई विवाद नहीं है। भावना तो ये है, लेकिन जिस प्रोविजन के तहत, जिस कानून के तहत आप यहाँ पर आ रहे हैं क्या आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मूल भावना ये है।

भावना इसके पीछे यह है कि आपने जो प्रोविजन्स किये, उन प्रोविजन्स के अंतर्गत सबसे पहले तो आपने यह तय कर दिया कि जितने भी ट्यूबवेल लगे हुए हैं घरों में, आपका कानून आते ही उसका रजिस्ट्रेशन कराओ और एप्लाई करो, संभव है? संभव है क्या? पूरे राजस्थान में अब तक जो ट्यूबवेल और हैंडपम्प हैं, जो घरों में लग रहे हैं, जो काम ले रहे हैं अंडर ग्राउंड वाटर को, उसका रजिस्ट्रेशन कराना संभव है क्या? मुझे नहीं लगता कि वह संभव है। इसलिए वह प्रोविजन कि जिसमें आपने निर्देश दिए हैं कि अब तक जितने भी खुदे हुए ट्यूबवेल हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना और उनको भी करना पड़ेगा, अन्यथा वह भी जुर्म के भागीदार होंगे। जो मेरी समझ में आया वह बता रहा हूँ, तो मेहरबानी करके अगर ऐसी कोई बात जो मेरी समझ में आयी या तो उसको गलत साबित कर दें, या उस प्रोविजन को हटा दें। जो लग चूके हैं, डेट स्पेसिफाई कर दो आप। उस डेट तक जो लग गए, वह लग गए। इसके बाद में जो भी लगे, वह आपकी परमिशन ले। इस हिसाब से हो तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि क्यों आप लगाने वाले को सजा दे रहे हैं, आप तो एक कानून बना दो कि जो भी ड्रिलिंग मशीन वाला ट्यूबवेल खोदने जाएगा और बिना परमिशन खोदेगा तो उसको इतने महीने और इतने साल की सजा हो जाएगी। सीधा एक ही बना दो, उपभोक्ता को क्यों सजा दे रहे हो? खोदेगा तो ड्रिलिंग वाला, लेकिन अब ड्रिलिंग का तो पीएचईडी से सीधा सम्बन्ध है। सारे ठेकेदारों का सम्बन्ध पीएचईडी से हैं तो वह कानून तो आपने बनाया नहीं।

एक कानून बनाने की जरूरत है कि जो ड्रिलिंग करने जायेगा, वह ही सजा का हकदार होगा। पहले परमिशन देखें और परमिशन देखने के बाद वह ड्रिल करें, नहीं तो वह ड्रिल ही नहीं करे और करता है तो कराने वाले को तो छोड़ो, उस करने वाले को पकड़ो जो गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मेरा सुझाव आपसे ये है।

तीसरा, आपने किया है कि आपने इस ऑफेंस को, सुना, मंत्री महोदय, मैं आपको ही सुनाना चाह रहा हूं और किसी को तो कोई लेना देना ही नहीं है।

श्री सभापतिः सुन रहे हैं, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): खाली पूरे लिखे हुए पर ही भरोसा मत करो, हमारा भी सुनो। कानून बनाया आपने कि आपका अधिकारी जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कोर्ट में जाकर, जब तक कोई ऑफेंस ही नहीं बनेगा और कोर्ट सुनेगी नहीं, यही है। संभव है क्या? 4000, 5000, 6000 ट्यूबवेल लग रहे हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपके पास इतना स्टाफ है क्या कि उन कागजों को लेकर अदालत में जायेगा और अदालत में जाएगा तो उस अफसर की हाजिरी वहाँ रहेगी? हाजिरी वहाँ रहेंगी, गवाही में रहेंगी, संभव है? इससे तो सीधा ज्यादा बैटर कर देते आप कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देगा, ऑफेंस कोग्निजेबल हो जायेगा, पुलिस चालान पेश कर देगी। आपने तो सारे स्टाफ को ही इस काम में लगा दिया जा भैया ट्यूबवेल देख कर आ और कम्प्लेंट कर। उस प्रोविजन को भी आप देखिए। आपकी मेहरबानी होगी। उस प्रोविजन को आप देख लें ताकि एक ही मामले में सारा मामला यह निमटता है।

अभी ये अंडर ग्राउंड, आपने भी फैसला किया 2024-25 के बजट में तो, आप फिर मुझसे असहमत होंगे, आपने उसमें यह नहीं लिखा कि हर साल, दो साल में 5-5 देंगे। आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें आपने लिखा है 2024-25 में कि दो सालों में हम 10-10 ट्यूबवेल और 20-20 हैंडपम्प देंगे। अब आप कहेंगे कि हमने तो 5-5 के लिए ही कहा था। अब आप यह कहने लग गए। बजट को आप देख लो, पढ़ने वालों की भी गलती है, बनाने वालों की भी गलती है और फिर आपने उन्हीं हैंडपम्प को लगाया नहीं और बड़ी उस्तादी से उन ट्यूबवेल को 2025-26 के बजट में घुसा दिया। वह तो लगे नहीं और वह इसमें घुसाकर आपने पुराना बजट, इंटेक जैसा का जैसा और नये बजट में उनको घुसा दिया, यह न्याय संग नहीं है।

ऐसे ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत, सरकार आपकी है, अंडरग्राउंड पानी जल जीवन मिशन का आ रहा है सब जगह। बूंदी का एक उदाहरण दूं मैं आपको, 64 ग्राम पंचायतें हैं जो इस मिशन के अंतर्गत पानी सप्लाई कर रही है। पंचायतों में पैसा नहीं बिजली का बिल जमा कराने का। सरकार से अनुदान नहीं। यह तो ठीक है कि आपने मांगा है उनसे की एक साल में कितना खर्चा होगा ताकि हम इन योजनाओं को चालू रख सके और उसका बजट जो भी आया है, उस पर तो अभी विचार नहीं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बैठ कर बात तो कर लीजिए। इतना-सा तो कर लीजिए मेहरबानी करके, बूंदी में सारी की सारी पेयजल योजना का बिजली का कनेक्शन इन दो दिनों में काट करके छुट्टी, जनता परेशान। एक ओर तो आप उसका पैसा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री जी उन कनेक्शंस को कटा रहे हैं, जनता हल्ला कर रही है। जिम्मेदारी आपकी भी है, तो मेहरबानी करके आप इन सब बातों को देखें।

इसके साथ ही जो आपके हालात हैं, पेयजल के मामले में पूर्णतया आज की तारीख में

भी जो अंडरग्राउंड वाटर की आप बात कर रहे हैं, आपने खुद ने फैसला किया, जब सरकार फैसला कर रही है कि हमको इतने ट्यूबवेल खोदना है तो अंडरग्राउंड पानी तो आप ही निकाल रहे हो भाई। आपको तो परमिशन की जरूरत नहीं है और एक गरीब आदमी अपने घर में पीने के लिए हैण्डपम्प खोदेगा, उसको परमिशन की जरूरत है। यदि परमिशन नहीं लेगा तो छह महीने की सजा भुगतेगा, अगर एक के बजाय दो खोद दे तो, यह न्याय संगत बातें नहीं है।

मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपको याद है अपने जो पुराने साथी हैं, वह जानते हैं कि एक पैसा बढ़ाया था बिजली का, भैरोसिंह जी विपक्ष के नेता थे, पूरा राजस्थान बंद कर दिया था एक पैसा यूनिट बढ़ाया तो, आप तो ढ़ेर सारा पीने वालों के लिए पैसा बढ़ाने की योजना बना रहे हो। आपने तय कर दिया हमें इतना टैरिफ तय करेंगे। मनमाने ढंग से आप उनसे पैसा वसूल करना चाहते हैं। ये हालात तो आप पीने के पानी की, जो सरकार पिला न सके, उसके लिए भी अत्यधिक भार आर्थिक डाले, तो फिर आप जनता के साथ कुछ नहीं करोगे, पानी तो पीने दो आराम से, उस पर टेरिफ मत बढ़ाइए। यदि आपको टैरिफ बढ़ाना है तो उन पर बढ़ाओं जो 10-10 रुपये में बिसलेरी की बोतल मांगते हैं और पानी ले रहे हैं। जो घर-घर जाकर सप्लाई टैंकर से ले जा रहे हैं, उन लोगो पर करो, इन गरीब लोगों को तो अपने घर में कुआं खोद कर, अपना ट्यूबवेल खोद कर, अपना हैंडपम्प खोद कर पानी पीने दो। इसमें तो आप बाधा मत डालिए। जो प्रोविजंस आपके हैं, पूरे सरकारी नियंत्रण पर निर्भर कर दिया आपने इस कानून को।

इसमें दो विधायक आपने जोड़ने की बात की है, वह उन चीफ सेक्रेट्री लेवल का जो उसका चैयरमेन रहेगा या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहेगा, वह दो विधायक क्या करेंगे? मंत्रियों की नहीं सुनते चीफ सेक्रेट्री, एडिशनल चीफ सेक्रेट्री, तो उन विधायकों की क्या सुनेंगे? (समय सूचक घंटी) इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पॉलिटिकल, वैसे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिकल आदमी को आप उसमें लगाइए, आपके जंचे जिसको लगा लो, चाहे आरएसएस के कट्टर समर्थक, दिलावर साहब के पसंद के आदमी, उनको लगा लो।

श्री सभापति: विराजिए। श्री कालूराम।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): लेकिन लगाओ तो पॉलिटिकल मजबूत आदमी को, जो जनता की सुने, जनता के हिसाब से बात करे।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप इसको नियंत्रण करके चलाना चाहते हो, मैं इससे असहमत हूं।

श्री सभापति: आपकी बात आ गयी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपका प्रेम मेरे प्रति बहुत है। एक मिनट में।

श्री सभापति: बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपसे है। विराजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आज तो बोलने वाले ही नहीं हैं। 5 बजे से पहले निमट जाएंगे। क्यों परेशान करते हैं?

श्री सभापतिः उम्र का ख्याल तो रखिए इनका। बीमार पड़ जाएंगे, फिर क्या होगा? विराजिए, साहब। मैं आपका ध्यान रखता हूं, थोड़ा सा उम्र का आपकी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप मेरा ध्यान नहीं बोलने में रखते हैं कि नहीं बोलूं।

श्री सभापतिः नहीं, मैं आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूं।

Ans/rtm 15.10 2k 19.03.2025

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं एक मिनट में खतम करता हूं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, इतनी जल्दी नहीं है, मैं गारटेंड कहता हूं चेलेंज के साथ, आपके अधिकारी बैठे हैं, इस कानून से अगर अंडर ग्राउण्ड पानी निकालने पर कंट्रोल हो जाए तो आप अगले साल मिलना, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको मेरा यह चेलेंज है। मैं चेलेंज के साथ आपको कहता हूं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाली ये लोग दिखावट है। खाली यह कहने के लिए है कि अंडर ग्राउंड वाटर के मामले में हमारी सरकार सजग है, हम कोशिश कर रहे हैं और हम यह कर रहे हैं, यह लोग दिखावट है। यह कानून पूर्णतया विफल है, कोई उपयोगी साबित नहीं होगा, अंडर ग्राउंड पानी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसको पुनः अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाएं और जनमत जानने के लिए इसको सर्कुलेट कर दें। आराम से बैठकर इस पर विचार करें। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय राजस्थान भू जल (संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक, 2024 निर्देशित किया गया था कि समिति को और प्रतिवेदन को प्राधिकरण किए जाने और प्रवर समिति को प्रतिवेदन द्वारा यथा संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक राजस्थान विधान सभा में 26 जुलाई 2024 को पुर:स्थापित किया गया था। प्रवर समिति द्वारा 17 सितंबर 2024 को कुल 17 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। इसकी प्रथम बैठक 26 सितंबर 2024 को हुई, फिर 5 फरवरी 2025 को हुई। समिति के प्रतिवेदन को उप-स्थापित किये जाने का वर्तमान सत्र के अनुसार ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): टीकाराम जी जूली साहब का नाम है। इसमें सीधे-सीधे प्रोविजन है कि जिस वक्ता का नाम है वह ही बोलेगा। यदि किसी सदस्य को बोलना है तो थर्ड पारण पर बोलेंगे। वह बीच में कैसे बोल सकते हैं? कोई नियम ही नहीं हे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः लिस्ट में इनका नाम है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नहीं बोल सकते। टीकाराम जूली जी का नम्बर है तो टीकाराम जी ही बोलेंगे। आपकी यह लिस्ट दी हुई है। वह बीच में कैसे बोलेंगे? आप सचिव को बुलाकर पूछ लीजिए। वह नहीं बोल सकते।

श्री कालूराम (डग): आप भी सभापति रहे हैं, आपने भी कई सदस्यों को बुलाया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): टीकाराम जी जूली बोलेंगे। ...(व्यवधान)... यदि उनको थर्ड पार्ट में बुलाना है तो उनको थर्ड पार्ट में बुलाइये। वह बीच में कैसे बोलेंगे?

श्री कालूराम (डग): प्रवर समिति ने बिल पर विचार किया है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह नियम है। बीच में कैसे बोलेंगे ...(व्यवधान)... नहीं बोल सकते।

श्री सभापतिः बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति महोदय, नियम है। स्पष्ट नियम है।

श्री सभापतिः बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): स्पष्ट नियम है कि जिनके नाम है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः नाम तो इनका भी है।

श्री कालूराम (डग): मेरा नाम है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इसमें इनका नाम नहीं है।

श्री कालूराम (डग): लिस्ट में नाम है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): कहां नाम है?

श्री कालूराम (डग): लिस्ट में मेरा नाम है, देखो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इनका नाम तो चला गया।

श्री कालूराम (डग): बिल में नाम है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आपने इनका नाम पुकारा, इनका नाम तो चला गया।

श्री सभापतिः मैंने परमीशन दी है ना बोलने की।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आपने नाम पुकारा, इनका नाम चला गया, अब टीकाराम जी जूली का नाम है तो अब टीकाराम जी जूली बोलेंगे ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः जब मैं परमिशन दे रहा हूं ...(व्यवधान)... आप विराजिये। आप खड़े होकर नियम बताएंगे क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप परमिशन दे सकते हैं क्या? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप ऐसे नहीं कर सकते।

श्री सभापतिः जब लिस्ट में नाम है, वह परमीशन लेकर गये हैं, बोलेंगे। आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इनका नम्बर चला गया।

श्री सभापतिः आसन से परमिशन लेकर, उन्होंने कहा मैं कहीं जा रहा हूं, आकर बोलूंगा। उनका लिस्ट में नाम है, वह बोल सकते हैं।

श्री कालूराम (डग): माननीय, लिस्ट देख लीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने व्यवस्था दे दी तो उनको एक बार बोलने दो। सभापति जी को पूरा अधिकार है। ...(व्यवधान)...

श्री कालूराम (डग): मेरा नाम है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप इतने वरिष्ठ होकर बहस कर रहे हो, आप स्वयं सभापति रहे हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप खुद सभापति रहे हो।

श्री सभापतिः जब लिस्ट में नाम है और अगर वह आसन की परमिशन लेकर बाहर गये हैं, तो यह आसन को अधिकार नहीं है क्या ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): थर्ड पारण पर बोलेंगे, बीच में नहीं बोल सकते।

श्री सभापतिः नाम है इनका।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नाम तो आपने पुकारा था। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या फर्क पड़ गया उसमें।

श्री सभापतिः नाम है। परमिशन लेकर कोई व्यक्ति चला गया ...(व्यवधान)... आप विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): दो मिनट बोल लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप विराजिये। इतना समय आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): वेस्ट नहीं किया।

श्री सभापतिः क्या मतलब है। आप इतने वरिष्ठ हो।

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, हमारी सरकार जो बिल लेकर आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। आज इस बिल पर चर्चा हो रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नियम की बात कर रहा हूं। सेक्रेटरी से पूछो।

श्री सभापतिः तो आप विराजो यहां। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): थर्ड पारण पर बोले। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आसन की व्यवस्था भी होती है। ...(व्यवधान)...

श्री कालूराम (डग): माननीय सदस्य ट्यूबवेल की बात कर रहे थे, आज हमारे प्रदेश में ट्यूबवेल खुद रहे हैं, बिना परमिशन के ट्यूबवेल खोदते हैं, उन ट्यूबवेल को हम बेशक खुला छोड़ देते हैं। राजस्थान के कई बच्चे ट्यूबवेल में गिरकर मर रहे हैं। कई बच्चे पिछली सरकार में। पूरा प्रशासन बच्चों को निकालने में लगा है और 5-5,7-7 दिन उसमें लगे हैं।

माननीय सभापति महोदय, बिल में जो नियम लगाया गया है, जो भी टयूबवेल खुदेगा उसकी परमिशन लें। एक ओर आप जल दोहन की बात कर रहे हैं। जल दोहन हो रहा है उसको रोकेंगे, अगर नहीं रोकेंगे तो राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान में नदियों का पानी बहकर निकल जाता है, नालों का पानी बहकर निकल जाता है, उस जल को हमें रोकने की जरूरत है। उसको रोककर, छोटे-छोटे एनिकट बनाकर, छोटे-छोटे बांध बनाकर, उस पानी को रोकने की जरूरत है। उसको रोककर, छोटे-छोटे एनिकट बनाकर, छोटे-छोटे बांध बनाकर, उस पानी को रोकने की जरूरत है।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

2013 से 2018 में हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई थी। उसके माध्यम से छोटे-छोटे माइक्रो डैम, छोटे-छोटे एनिकट, छोटे-छोटे बांध बने। मेरा झालावाड़ क्षेत्र जिला डार्क ज़ोन में था, वह आज डार्क ज़ोन से बाहर आ गया है। अगर हम पानी को नहीं रोकेंगे तो हमें कल राजस्थान में पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे राजस्थान में हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम यह बिल लेकर आये है, यह बहुत ही सराहनीय बिल है। जिस प्रकार से पानी के लिए,

बिन पानी सांसे रुकीं, जीवन है मजबूर
प्यासी गौरैया कहें मुझे पीला दो नीर।

तो यह पानी पर चर्चा हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि बिल सही नहीं है, बिल सही नहीं आया। इतना अच्छा बिल है, प्रवर समिति को सौंपा गया, उसके बाद प्रवर समिति ने इस पर निर्णय लिया। 13 ज़िलों को ईआरसीपी के माध्यम से हमारी सरकार ने जोड़ा है, इसमें हज़ारों किसानों को, हज़ारों गांवों को फायदा होगा। ईआरसीपी का जो पानी बहकर जाता है, उस पानी को हम रोकेंगे। नदियों-नालों के पानी को अगर हम रोकते हैं तो इससे हमारे राजस्थान को काफी फायदा मिलेगा। राजस्थान में करीब 2 लाख 66 हजार किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। करीब 78 हजार हेक्टेयर की खेती अभी वर्तमान में चल रही है। पंचायत समितियों के माध्यम से भी 83 पंचायत समितियों में से 81 कुओं व भूजल में सुधार हुआ है और इस भूज़जल के सुधार की हमें जरूरत है। अगर जगह-जगह छोटे-छोटे एनिकट बनाएंगे, चेकडैम बनाएंगे, जिस एरिया में आपका बांध नहीं है, चेक डैम नहीं है वहां हमें 700-700 फीट टयूबवेल खुदाने पड़ते हैं। जिस एरिया में चेक डैम बन गए, बांध वगैरह, अगर उस पानी को रोका तो वहां 100- 200 फीट में पानी आता है। हम बिल के माध्यम से बहुत अच्छी योजना ला रहे हैं। मैंने जनमत जानने के लिए बोला था, मैं वापस लेता हूं। प्रवर समिति ने बिल पास किया है, इसको पारित किया जाए। इस बिल के समर्थन में जनमत जानने के लिए नाम दिया था, वापस लेता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव के समय अनुपस्थित सदस्य
तृतीय चरण पर ही चर्चा में भाग ले सकते हैं

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था। जिन-जिनके भी संशोधन प्रस्ताव आये हुए हैं वह सीरियल नंबर से बोलेंगे। माननीय कालूराम जी का नाम आसन से पुकारा गया, माननीय कालूराम जी उपस्थित नहीं थे। उस वक्त भी माननीय टीकाराम जूली साहब का नंबर था। तो इनको बोलना है तो थर्ड पारण पर बोलेंगे। बीच में ब्रेक करके किसी अन्य को बुलाओ, तो यह नियमों में नहीं है, अध्यक्ष महोदय। मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न था कि जिस व्यक्ति का नाम आसन ने पुकारा, वह व्यक्ति समय पर उपस्थित नहीं है, तो फिर थर्ड पारण में बोलेगा, वह बीच में कैसे बोलेगा, मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न था। सभापति महोदय, इस बात पर एग्री नहीं कर रहे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ध्यान में आ गया, करते हैं। टीकाराम जूली।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका नाम ही नहीं है। आपका इसमें नाम नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे बाद है।

श्री अध्यक्ष: आपका इनके बाद है। इनके बाद आपका नाम लिखा हुआ है। आपका नाम है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): रिक्वेस्ट है।

श्री अध्यक्ष: रिक्वेस्ट से नहीं, क्रम में बोलो। आपका नाम है, मैं बोलूंगा। ...(व्यवधान)... आप इनसे बढ़िया बोलना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): रहिमन पानी राखिए, बिना पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा राजस्थान जिस गंभीर समस्या से जूझ रहा है, उस समस्या के निदान के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है।

VPS-RTM-19.03.2025-15.20-2l

आज जो अगर हम राजस्थान की स्थिति देखें तो केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, वह यह कह रही है कि 2023 तक 440 जिले ऐसे हैं जिनके भू-जल में नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक है और पूरे देश में राजस्थान नम्बर वन है 49 परसेंट के साथ। कर्नाटक में 48 परसेंट है, तमिलनाडु में 37 परसेंट है। इसी प्रकार से यूरेनियम जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, यूरेनियम भी जो है विशेष रूप से राजस्थान और पंजाब में और जहां नमूनों की अधिकतम संख्या 100 पी.पी.बी. है, इससे भी ज्यादा है, यहां अपने भी चूरू और इस तरफ यह सारी स्थिति आ रही है जो कि एक बहुत गम्भीर विषय है। राजस्थान, हरियाणा,

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में फ्लोराइड भी एक बहुत बड़ी समस्या है।

आज हम पानी दोहन को तो रोक रहे हैं लेकिन पानी के अन्दर जो प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वह अत्यधिक खाद का उपयोग करने से हो या इंडस्ट्री का जो अपशिष्ट जा रहा है उससे हो, उस ओर मैं यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन के अन्दर यह बात भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक योजना चला रखी है- 'अटल भू-जल योजना' जो सिर्फ इसी काम के लिए है, तो मैं यह चाहूंगा कि जब मंत्रीजी बताये तो यह भी बताये कि डेढ़ साल में इस योजना के अन्दर कितना काम हुआ है और उसका कितना फायदा राजस्थान को मिला है?

आज हमारे यहां पर जो दोहन है न, 150 गुना, 150 प्रतिशत तक दोहन हो रहा है और राज्य के 51 परसेंट पानी में तो फ्लोराइड और 42 परसेंट खारा है, यह स्थिति है राजस्थान की और यहां की औसत की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो 50 परसेंट से भी कम है और सतही जल संसाधन केवल 1.16 परसेंट ही है। यह स्थिति है। यह कुछ चीजें मैं आपको बता रहा था। पुराने समय में टांके, बावड़ी, झालरा, एनिकट, बांध, इनके माध्यम से पानी का खूब मैनेजमेंट किया गया, उस समय तो इतना सब कुछ था भी नहीं, बरसात भी बहुत कम होती थी और एक बात और है कि राजस्थान के अन्दर जितनी पानी की जरूरत है न, उससे ज्यादा पानी बरसता है अगर हम उसका संचय कर लें, उसका संग्रहण कर लें पर इस ओर ध्यान नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बी.जे.पी. के राज में हुआ है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बी.जे.पी. के राज में, सही है। अब दूसरी बात और कह रहा हूं कि जब अपन भागीरथी बन रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी ई.आर.सी.पी. भी ले आये, यमुना जल समझौता भी कर आये, नर्मदा का पानी भी आ रहा है, तो फिर यह कानून लाने की कहां जरूरत है? यह तो साल, दो साल में आप ले ही आओगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बाकी दो-चार नदियों का और आ जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, सारी पूर्ति हो जायेगी, तो जब आप सारा सब कुछ कर ही रहे हो तो इस बिल को लाने की क्या जरूरत है? वैसे यह बिल, हमारे समय में ही यह ड्राफ्ट तैयार हो गया था लेकिन हम लोगों ने इसको लागू नहीं किया, हम लेकर नहीं आये इसको और आप भी लेकर आये हो तो इतना भारी विरोध, आपके सदस्यों के द्वारा भी किया गया कि आपने चलती चर्चा के दौरान बिल वापस ले लिया, यह तो इस बिल की हालत है।

आपने किसान की छूट कर दी, वह तो समझ में आती है लेकिन, मंत्रीजी, जो गरीब आदमी है, भाई, या तो आप यह व्यवस्था कराओ कि आपको पानी मिलेगा। आज जो गरीब व्यक्ति है या जो किसान नहीं है और किसी ढाणी में, खेत में, कहीं भी गांव में बसा हुआ है, उसकी पानी की व्यवस्था कैसे होगी? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

दूसरा, जहां डार्क जोन नहीं है, यह नियम तो वहां भी आप लागू करोगे तो जहां दिक्कत नहीं है, उन लोगों पर इस प्रकार का कानून आप क्यों लेकर आना चाहते हो? अपील कहां पर होगी? आप लोगों के यहां एप्लीकेशन लगायी कि मुझे पानी की अनुमति चाहिए और पानी की अनुमति आप लोगों ने नहीं दी तो अपील कहां करेगा? कोई प्रावधान है क्या? अपील लगाने के बाद में, गुरुजी, कितने दिनों में आप उसको परमिशन दे दोगे? यह प्रावधान आपने किये हैं क्या? समय सीमा तो आपने रखी नहीं और जैसा कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि जो पहले बोरिंग हो चुके हैं, हैंडपम्प लग चुके हैं, बोरिंग लग चुके हैं, उनकी कहां से आप पूरा, इतना तो अपने पास तो मीटर रीडिंग करने के लिए ही इतना स्टाफ नहीं है, वहां तो अपन दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, पंचायतों के भरोसे चल रहे हैं, एक-एक, दो-दो कर्मचारी बड़ी मुश्किल से अपने हैं तो अपन इसी काम में लग जाएंगे तो जो काम पहले वाला ही इतना डिले चल रहा है उसको अपन कैसे करेंगे? यह बात मैं कहना चाहता हूं।

आपने इसके अन्दर, कमेटी के अन्दर सारे अधिकारी रख लिये। दो एम.एल.एज. साहिबान को भी आपने मैम्बर रखा है पर आपने इसका अध्यक्ष जो है, किसी राजनीतिक व्यक्ति को क्यों नहीं रखा? आप तो खुद ही रह जाते इसके अन्दर। राजनीतिक व्यक्ति इस पद के ऊपर, अध्यक्ष जो है, वह राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए ताकि जनता अपनी बात उसको अपने तरीके से कह सके। अधिकारी तो है ही न। जब 15-20 जो लोग हैं, सारे ही तो अधिकारी हैं दो लोगों को छोड़कर, दो एम.एल.ए. को छोड़कर और 15-20 आदमी कौनसा फैसला कर देंगे? वह तीन-तेरह ही होंगे, तो कोई छोटी कमेटी बनती, पांच-सात आदमियों की बनती, आप अध्यक्ष होते, दो-तीन अधिकारी होते, दो-तीन जन-प्रतिनिधि होते तो उस चीज का फायदा राजस्थान की जनता को मिलता और जल्दी उसका डिस्पोजल होता।

जो लोग वाटर हॉर्वेस्टिंग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई छूट का आपने प्रावधान नहीं रखा। यानी कि जो गलत कर रहा है वह भी और जो अच्छा कर रहा है, सबको एक ही लट्ठ से हांक रहे हो आप लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग जागरूक हैं, आज वाटर हॉर्वेस्टिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिन लोगों को वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, अपना रहे हैं, उनको तो इसके अन्दर छूट मिलनी चाहिए, आप उनको छूट दीजिए। और आप यह जरूर तय कीजिए कि जो आम पब्लिक है, आम व्यक्ति है, उसको पानी कैसे मिलेगा? खुद का वह बोरिंग कर नहीं सकता। अब तो हैंडपम्प भी रोक लगा दी तो हैंडपम्प से इतना कौनसा पानी निकल रहा है? हैंडपम्प तो मैं यह समझता हूं कि हैंडपम्प तो आप इस अपने क्राइटेरिया से बाहर निकालिये क्योंकि हैंडपम्प से यह मटकी भरेगा, बाल्टी भरेगा, इतना ही पानी लेगा, ज्यादा तो यूज करता नहीं है आदमी, तो हैंडपम्प को इससे आप बाहर निकालिये। वाटर हॉर्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनको छूट दीजिए और इसके अध्यक्ष पद पर आप राजनीतिक व्यक्ति को रखिये, यही बात मैं कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो है यह राजस्थान की जनता के हितों से खिलवाड़

करने वाला है। अभी आवश्यकता है कि इसको वापस जनमत जानने के लिए भेजा जाये। यह एक प्रकार से तानाशाही राजस्थान की जनता पर लगायी जायेगी। आपने देखा होगा कि ऐसा बिल पहले भी था, कानून पहले भी था बोरिंग पर रोक का लेकिन एक अलग ही माफिया पैदा हो गया सेटिंग वाला कि बोरिंग तो हो रही थी पर सेटिंग से हो रही थी, हमें वह कानून लेकर आना पडा, बोरिंग पर छूट दी हमारी पिछली सरकार ने। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि ऐसे लोग पनप जाये जो यह परमिशन के नाम पर एक अलग ही डिपार्टमेंट, अलग ही धंधा खुल जाये, इस चीज से मैं आपको आगाह करना चाहूंगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र बुडानियां।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। सरकार यह जो बिल लेकर आयी है, यह बिल जन विरोधी बिल है और जनता की मूल भावना के खिलाफ है। इस बिल से संरक्षण और प्रबंधन एक प्राधिकरण बन जायेगा और वह प्राधिकरण संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल का हम पूरा अध्ययन करते हैं तो यह इससे साफ चीज जाहिर होती है कि यह बिल भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। यह भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। मैं सभी सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। आप मुझे यह बताइये कि वसुन्धरा राजेजी यह बिल लेकर आयी थीं, फिर क्यों नहीं पास हुआ? अधिकारियों ने यह बिल लाने के लिए उनको तैयार किया लेकिन उन्होंने जन भावना के मुताबिक वे बैक हो गये।

Ssy/Rtm/19.03.25/15.30/2m

अभी आप लेकर आये जुलाई में उस वक्त मैं उस बिल पर बोलने के लिए पूरा तैयार होकर आया था। अध्यक्ष महोदय, मैं शायद आपके कमरे में बैठा था, कहीं बैठा था, कुछ सदस्य यहाँ मौजूद हैं अभी, मैंने कहा था यह बात करो सरकार से कि यह बिल कितना घातक होगा, आप सबके समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रवर समिति को गया, क्या हुआ प्रवर समिति में, किसानों से तो डर गये आप, उनको तो आपने हटा दिया, बाकी तो क्या किया आपने? एमएलए तो डाले हैं दो, पूरी-पूरी जो आपकी कमेटी बनेगी, प्राधिकरण बनेगा, उसका चेयरमैन से लेकर के सारे लोग तो अधिकारी ही हैं, तो यह जो अपना प्राधिकरण बनेगा, यह अधिकारियों को शक्ति देने वाला बनेगा और यह तानाशाह हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ यह बात, यह बिल, आप देखिये कोई भी व्यक्ति आवेदन करेगा, एनओसी मांगेगा, क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, यह एक नई दुकान खुल रही है और इसके अंदर आम जन शामिल हो गया है। आपने किसानों को

सिंचाई के लिए अलग किया है, आम जन को, अभी जूली साहब बोल रहे थे हैंडपम्प को भी आपने शामिल किया है, तो यह सारी अव्यावहारिक चीजें हैं, इसको गहराई से देखना चाहिए, यह जनभावना से जुड़ा हुआ बिल है। अध्यक्ष महोदय, इसमें आम आदमी प्रभावित होगा।

अभी एक बात और है, अब दो एमएलए तो आपने डाल दिए, वह सुझाव देगा, कौन मानेगा उसकी, फैसला तो आप करोगे बहुमत से, तो विचार भले ही रख दो अपने, फैसला बहुमत से ही करते हो। आज हम विपक्ष में बैठे हैं, हम बोल के सुझाव दे रहे हैं, आप मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, आप पास कर लोगे। इस प्रकार के जो आपके फ़ैसले होंगे वह फैसले बहुत खतरनाक होंगे। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि यह माफिया को पनपाने वाला बिल होगा, याद रखना मेरी इस बात को।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल की भावना बहुत अच्छी है। भू-जल संरक्षण जो आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज जिस प्रकार से दोहन हो रहा है हमारे राजस्थान के अन्दर, हमारे देश के अन्दर, यह चिंता का विषय है और यदि इसका पर्पज यही है तो आप इसका अध्ययन तो करिये कि यह पर्पज पूरा हो रहा है क्या? यह पर्पज इससे पूरा नहीं हो रहा है। आप इसको गहराई से देखेंगे तो इसमें यह चीजें आपको नहीं मिलेंगी।

अध्यक्ष महोदय, यदि दोहन हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है दोहन, इसके ऊपर भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। आज वह कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, कंपनी हैं, आज इस प्रकार से पानी का दोहन कर रही हैं, जिस प्रकार से बेच रही है बाजार के अन्दर, मनमानी कीमत से, आप उसके ऊपर लगाइये बैन, आप उसको कंट्रोल करिये। आप जो बड़ी-बड़ी शराब की फैक्ट्रियां हैं, बियर की फैक्ट्रियां हैं, उनको कंट्रोल करिये। आप जो उद्योग-धंधे हैं बड़े-बड़े, उन उद्योग-धंधों में कितना पानी दोहन हो रहा है, आप उनको कंट्रोल करिये। लेकिन यह सब छोटी-छोटी चीजों को आप कर रहे हैं, यह मेरी समझ के बाहर की बात है।

अध्यक्ष महोदय, रिचार्ज एक बड़ी समस्या है और रिचार्ज के बिना आने वाली पीढ़ी जिंदा नहीं रह सकेगी। आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा कोई युद्ध होगा तो पानी का होगा। मैं कहना चाहता हूं बरसात का पानी सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे हम रीचार्ज कर सकते हैं। आज हम कहां खड़े हैं? आज बरसात का सारा का सारा पानी वेस्ट हो रहा है, सडको पर चल रहा है, सड़कें खुली नहीं, रास्ते रुक जाते हैं, कोई उसको संभालने वाला नहीं है, आज इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि रीचार्ज बढ़ कैसे सकता है?

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव के अंदर सैकड़ों टांके बने हुए हैं और पानी जहर जैसा है, पशु भी नहीं पी सकता, तो वहां जो सार्वजनिक टांके बने हुए हैं, उनसे पूरा जीवन यापन करते थे लोग और जब लोगों ने मांग की कि हमारे यहां घर-घर टोंटी होनी चाहिए, वहाँ दो टंकियां बना दीं हमने बड़ी-बड़ी, आज 1-1 हजार रुपये में पानी डलवा रहे हैं और वह टांके सारे बर्बाद हो गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि नरेगा जो मजदूरी देने का कार्यक्रम है, आप उसको इस रीचार्ज से जोड़िये। जितने भी सार्वजनिक टांके बने हुए हैं, जहाँ

सद्भावना होती थी, मैंने खुद ने पानी निकाला हुआ है, उसके अंदर 50-50 फीट गहरे बनाते हैं, पायतन बनता है, पायतन टूट गये, आप नरेगा में उन पायतनों को ठीक करवायें तो पानी चार्ज होगा आपका। नरेगा में कराइये घरों के अन्दर, आज घरों का सारा पानी बह कर जाता है, तो आप ऐसा कोई प्रोत्साहन दीजिये, कोई सब्सिडी दीजिये।

प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप उसमें जो मकान दे रहे हैं लोगों को, उसके साथ में यह एक टांका जोड़ दीजिये, एक अंडरग्राउंड टांका बनेगा। आपकी सरकारी योजनाएं हैं उनके साथ जोड़ दीजिये। बिना बरसात का पानी रोके हुए हम रीचार्ज नहीं कर सकते। हमारा निर्माण क्षेत्र इतना बढ़ गया, सड़कें बन गईं, बड़ी-बड़ी कोठियां बन गई, सीमेंटेड हो गई, पानी कहां जाएगा नीचे, इसलिये यह सोचने की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और चेताना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से पक्के निर्माण हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, किसान की खेती कम हो रही है। खतरा पैदा हो गया किसान को भी, उसका पानी भी खत्म हो रहा है, जोत खत्म हो जाएगी किसान की, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, एकाध छोटा-सा सुझाव है मेरा, कि इसमें जिस प्रकार से किसानों को सिंचाई के लिए छूट प्रदान की है, उसी प्रकार जो घरेलू सिंगल फेज है उनको आप इससे दूर करिये। यह सिंगल फेज में हैंडपम्प ही तो लगा रहा है वह, वह जो मकान बना रहा है वह कहा से बनाएगा मकान, बताइए मुझे, तो आप इन चीजों को इनसे दूर करिये। बड़े उद्योगों पर लगाइये, लेकिन छोटे उद्योगों को तो इसमें से छोड़िये। छोटे-छोटे उद्योगों को शामिल मत करो इसमें, नहीं तो कोई नहीं आएगा हमारे पास में, यह छोटे उद्योग ही हैं जो हमारे काम आते हैं, यह बड़े उद्योग तो पैसे कमाने के लिए हैं, हमारे काम नहीं आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, अंत में इतनी ही बात कहूंगा कि कानून बनाने से मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ का समाधान नहीं है। आज कितने कड़े कानून बने हुए हैं, हर चीज़ के कानून बने हुए हैं, मृत्यु तक की सजा का प्रावधान है, फिर भी क्या मर्डर रुकते हैं? आज बच्चियों के साथ किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, मृत्युदंड है, फिर भी खुले आम हो रहे हैं। कानून बना करके, अधिकारियों को इस प्रकार से ताकत दे करके आप जनता का भला नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो आप कोई भी टिप्पणी हटा दो, कोई कुछ बोले हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जब गांव में जाओगे ना तब कौन हटायेगा वहां? गांव में 3 साल, साढ़े 3 साल बाद जाना पड़ेगा, इसलिए आप इस बिल को ध्यान से सोचिये, यह जन विरोधी है, मैं इसका विरोध करता हूँ और इसको जनमत जानने के लिए जनता के बीच भेजा जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान भू-जल प्राधिकरण गठन के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों ने, पक्ष- विपक्ष के माननीय सदस्यों ने चर्चा की, अपने-अपने सुझाव दिये। सबने, यह प्राधिकरण का गठन क्यों

किया जा रहा है, अभी तक यह सब लोगों को समझ में नहीं आया कि केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का ऑलरेडी गठन हो रखा है।

spp/Rtm/19.03.25/1540/2n

और जो ये सब सदस्य बोल रहे हैं उसमें ये जो शर्तें हैं, उसमें पहले से ही लगी हुई हैं। जो कठिनाइयां थीं, इनकी परमिशन हमें केंद्र से लेनी पड़ती थीं, वह सब चीजें राजस्थान में यही मिले। अभी माननीय सदस्य रफीक जी ने भी बोला था कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं और इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। अगर आप कानून बनाएंगे तो कहां से उनको परमिशन लेने में दिक्कत आएगी। उनकी दिक्कत दूर करने के लिए ही इस प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, अभी भी जब राइज़िंग राजस्थान की बात आई तो लगभग पचास हजार करोड़ की इंडस्ट्रीज तो इसलिए वापस जा रही थी कि वह पिछले काफी समय से केंद्र के चक्कर लगा रहे थे कि हमें इसकी परमिशन दें, जबकि अगर इसमें देखें तो 85% पानी हमारा कृषि में यूज़ में आ रहा है। कृषि की हमने इसमें छूट दे रखी है। केन्द्र से भी छूट थी, यहां से भी छूट है। इसके अंदर अगर हम पूरे को देखेंगे, क्योंकि नियम अभी यहां रहा है, इसके नियम के अंदर जितने भी आप लोगों ने सुझाव दिए, वह सारे नियम में आयेंगे। व्यक्तिगत काम के लिए कोई लगा रहा है तो उसके अंदर 100% उसको परमिशन लेने की कहीं भी इसमें जरूरत नहीं है। कहीं भी नहीं है इसके अन्दर, माननीय सदस्य मनोज जी भी थे, सारे थे। प्रवर समिति में खूब डिस्कशन हुआ। कई बातें हुईं कि पहले भूजल को रखने के लिए स्टोरेज बनानी चाहिए, ये करना चाहिए। वास्तव में जरूरत है, इसके लिए आप सब लोगों ने सुझाव दिये हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी भागीरथी बनकर आये, वास्तव में भागीरथी बनकर आए हैं। बड़े-बड़े डैम भी बनेंगे, जो विशेषकर पूर्वी राजस्थान और हमारा इधर अलवर और ये पूरा भरतपुर, इसमें सबसे ज्यादा जो पानी की दिक्कत थी, अलवर का भी बोल रहा हूँ, मैं अलवर भरतपुर सारा बोल रहा हूं, वहां पर सभी जगह पर पुराने बांधों का, जो बिलकुल खत्म हो गए, मृतप्राय: हो चुके हैं, उनको भी नया रूप देंगे और नए बांध भी बनायेंगे।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता जूली जी ने भी अच्छे सुझाव दिये और विशेषकर हरि मोहन जी का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण था। मानना पड़ेगा साहब, क्योंकि बरसों बाद में इनके अनुभव का जो लाभ हमें मिल रहा है, वह लाभ 100% हमें लेना है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हम सब के लिए जहाँ पहले 1984 में 35% दोहन था हमारा, आज ये दोहन बढ़कर हमारा 150% चला गया। आज मेरे को इनकी बात माननी पड़ेगी कि ये ऐसा विषय है इसमें नीचे होना, ऊपर होने की कोई बात नहीं होती। अब इसको पांच बार भी अगर हमें वापस दोबारा सजेशन लेकर चेंज करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। इसमें चाहे बाहर जाकर कहें कि साहब, हमारी वजह से वापस दोबारा प्रवर समिति भेजना पड़ेगा तो मैं भेजूंगा। बाकी इसको लाकर भी छोड़ेंगे हम, क्योंकि

यह महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आज क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जहाँ पर हमारी सारी नदियां साल भर चलती थीं, लूणी नदी भी साल भर चलती थी एक जमाने में। अभी सिर्फ हमारी एक नदी है चंबल, जिसमें जरूर रेगुलर पानी चलता है, उसमें पानी रहता है, बाकी सब नदियां सूख जाती है। आप सब लोग विशेषकर हरिमोहन जी, धारीवाल जी और हमारे पारीक साहब और अन्य लोगों ने तो देखा होगा कि जब हमारे कोई जानवर चराने के लिए जाते थे तो कोई भी बारिश के टाइम के अंदर कोई लकड़ी को भी नीचे हाइट में, इनके शेखावाटी में तो वैसे अभी भी चले जाये, बाकी उसके अंदर भी उसको नीचे कर देते हैं तो वह पूरी की पूरी अंदर चली जाती थी, इतना भू-जल स्तर था, आज कहीं नहीं हैं। आज हम नदियां जोड़ रहे हैं। अभी आप कह दो कि जब भागीरथ बनकर पानी ला रहे थे तो इसकी आवश्यकता क्यों है? जितना यूज़ में ले सकते हैं, जितना हम उपयोग ले सकते हैं, उतना तो करना ही चाहिए। जितना हम स्टोरेज बना सकते हैं, बनाने चाहिए। जो पानी समुद्र में व्यर्थ जा रहा है, कभी तो आया ना, जैसे बालाजी की कृपा से इस साल खूब बारिश हुई तो आज भी हमारे बांधों में खूब पानी भरा हुआ है। कई जगह मैंने भी, जहाँ जाते थे, लोग कहते थे कि, साहब, बार-बार आप बांधों को क्यों बंद करा देते हो, जब हमारे चल रहा है, किसी के एक बीघा जमीन थी तो भी वह पूरी नहर को खोल देता था। हम कहते थे भैया, पानी भरा हुआ है इतना ज्यादा तो दुरुपयोग क्यों करते हो? पूरा बांध खाली हो जाएगा। ये तो अमृत है, जो आवश्यकता है, ईश्वर की कृपा नहीं हो, अगले साल बारिश कैसी होगी भविष्य के गर्त में है। इस अमृत को क्यों निकालते हो? आज इन सब चीजों के लिए है। वास्तव में इसमें छोटी मोटी कई लोगों की ये दिक्कत आ रही हैं। मैं तो चार- पांच चीजें आप लोगों को बता दूँ कि पहले तो इसमें जो अनुमति लेने का प्रावधान था तो अनुमति लेने के लिए जो सेंट्रल भूजल बोर्ड था, उसकी बजाय हम यहाँ पर लेंगे। हमारे जितने भी, क्योंकि इंडस्ट्री में पानी केवल पॉइंट 76% ही चाहिए, 85 परसेंट हमें एग्रीकल्चर में चाहिए, तो उनके लिए जो हमारे डवलपमेंट के लिए वह जो पैसा आता है, जो केंद्र के वहां जाता था, वह गठन का अगर राज्य सरकार में यहाँ पर आएगा तो कम से कम इनको पुनर्भरण करने की जो भी योजना बनाएंगे तो उसका पैसा कम से कम हम यहां पर खर्च कर सकते हैं।

रही बात, वास्तव के अंदर आप लोगों की सब की मंशा है कि इसके अंदर इसका चेयरमैन भी, अध्यक्ष कोई राजनीतिक व्यक्ति बने, कोई भी रहे आप रहो, हम रहें, कोई भी रहे तो रहे। डेफिनेटली कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमारा जनप्रतिनिधि रहता है तो काफी कुछ अंकुश रहता है। इसकी जो कमेटी राज्य स्तर से लेकर जिले पर भी बनेगी और हम उपखंड स्तर तक भी ले जाएंगे, जिससे वहां किसी को वास्तव में परमिशन लेनी हो तो वहीं परमिशन लेलें, उसको चक्कर लगाना नहीं पड़े। सारी चीज़ का इसमें यह भी प्रावधान करेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी आपकी बनेगी, उसकी तो सूचना ही नहीं दी कि कैसे बनेगी?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जो भी प्रतीत हो रहा है, अनेक माननीय सदस्यों को प्रतीत हो रहा है कि अधिनियम लाकर नई शर्तें लगाई जा रही हैं जबकि आज भी केंद्रीय भू-जल बोर्ड के नियमों के तहत ही शर्तें लगायी गयी हैं। केवल ग्रामीण पीने के पानी के लिए भू जल उपयोग करने तथा कृषि उपयोग हेतु भू जल उपयोग में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आप सबको क्लियर दिमाग में आ जाएगी, उनमें किसी में नहीं है।

अभी हमारे बुड़ानियां जी कह रहे थे कि कम से कम हमें सिंगल फेज का, ना तो कोई जल जीवन मिशन में पानी जाता है, न किसी और योजना में जा रहा है तो कम से कम वह उपभोक्ता वहां पर खुद का सिंगल फेज का लगाकर खुद के काम में लें तो उसमें कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी क्लियरिटी की ये चीज़ है। ऐसी बहुत सी बातें हैं।

मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के, पहले हो सकता है कि आज लेना ही प्रवर समिति में ऐसे लोगों को लेना चाहिए था जो इसमें आज सुझाव दिए। पहले मनोज जी को लिया, अब जैसे भी हो सकता है, उस दिन जिन लोगों ने बोला, उनको ले लिए। आज भी कई लोगों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं वापस आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जनमत जानने का प्रस्ताव तो वापस ले लो, बाकी प्रवर समिति के अंदर और कुछ नये लोग, जिन्होंने अच्छे अच्छे लोगो ने सजेशन दिए हैं, उनको रखते हुए पुनर्विचार के लिए मैं वापस रखता हूं और वापस जब आप सब लोग अच्छे सजेशन दे देंगे तब दोबारा लेकर आएंगे, मगर लाना बहुत जरूरी है। पोंग बांध में भी बर्फ़ कम जमने लगी है, वह भी आधा खाली है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। धीरे धीरे आप जाकर देखोगे तो बर्फ़ सिमटते सिमटते, हिमालय ही सिमटता जा रहा है। फ्यूचर में कहाँ से लेकर आएंगे। कहीं तो हमें इसका संरक्षण करना ही पड़ेगा। ये वापस लेने नहीं और आप लोग और कोई सजेशन देदो, अच्छा क्या हो सकता है? बेस्ट क्या हो सकता है, वापस दोबारा जब चाहोगे तब पांच दिन में, सात दिन में, दस दिन में, छह महीने में जैसे आप सजेशन दोगे, पर लाना तो पड़ेगा और ये अपने लिए नहीं, राजस्थान की जनता के हित में लाना ही पड़ेगा। और अच्छे कोई सुझाव दे दो, बिलकुल 100 प्रतिशत लायेंगे।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव रखिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्रवर समिति के लिए जनमत जानने से पुनः वापस लिया जाए। पुनर्विचार किया जाए और पुनर्विचार हेतु प्रवर समिति में वापस भेजा जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधित प्रस्ताव अस्वीकार किया

गया।

श्री कन्हैयालाल जी, प्रभारी मंत्री।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान भूजल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भूजल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पुनः इसी प्रवर समिति को, कुछ सदस्य सम्मिलित करते हुए, जो अच्छे हों उनके रहते सौंपा जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन प्रभारी मंत्री के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया।

सदन की बैठक दिनांक 20 मार्च, 2025 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 15.49 बजे, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

--------------- .